

वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011



दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11



सत्यमेव जयते

दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

अनुक्रमणिका

I.	भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : सिंहावलोकन	1-14
II.	दूरसंचार आयोग	15
III.	दूरसंचार विभाग	17-29
III. 1.	बेतार आयोजना एवं समन्वय	30-39
III. 2.	दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र	40-42
III. 3.	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	43-47
III. 4.	संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय	48-50
III. 5.	सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप	51-52
III. 6.	दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा	53-56
III. 7.	महिला सशक्तिकरण	57-58
III. 8.	विकलांग व्यक्ति	59-60
III. 9.	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	61-65
IV.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	67-74
V.	दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण	75-76
VI.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणियां	77-82
VII.	टेलीमैटिक्स विकास केंद्र	83-86
VIII.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	87
VIII. 1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	89-101
VIII. 2.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	103-116
VIII. 3.	आईटीआई लिमिटेड	117-122
VIII. 4.	टेलीकम्युनिकेशंस कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	123-127
IX.	सांख्यिकीय परिशिष्ट	129-135
X.	ग्राफ एवं चार्ट	137-144
	परिवर्णी शब्द	145-147
	संगठनात्मक चार्ट	148



I. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : सिंहावलोकन

विकास प्रक्रिया में दूरसंचार क्षेत्र की भूमिका

विश्वभर में दूरसंचार को किसी भी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण उपादान माना गया है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र विकास और आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक एक प्रमुख सहायक सेवा है। हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए अत्यधिक विकास और अर्थव्यवस्था के शेष क्षेत्रों पर इसके कारण पड़ने वाले उल्लेखनीय संभावित प्रभाव के दृष्टिगत दूरसंचार का महत्व और अधिक बढ़ गया है। दूरसंचार क्षेत्र का अर्थव्यवस्था पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है और दक्षता में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में इसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उपलब्ध अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि दूरसंचार सेवाओं के उपयोग से व्यावसायिक निकायों और परिवारों की भी आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार यह सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने में सहायक है। भारत सरकार का मानना है कि विश्वस्तरीय दूरसंचार अवसंरचना और सूचना की उपलब्धता देश के तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास की कुंजी है।

इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

दूरसंचार क्षेत्र भारत के कुछ ऐसे क्षेत्रों में शामिल है जिसमें वर्ष 1991 से सर्वाधिक मौलिक ढांचागत और संस्थागत सुधार हुए हैं। हाल के वर्षों में हमारा देश विश्व में सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रहे दूरसंचार बाजार के रूप में, विशेषकर मोबाइल टेलीफोनी के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के माध्यम से, उभरा है। इसके प्रमुख भाग में यह उच्च वृद्धि दर प्रशुल्कों में अत्यधिक कमी के कारण प्राप्त हुई है। भारतीय दूरसंचार सेवाओं में तीव्र वृद्धि ने दूरसंचार उपकरण के प्रमुख वैश्विक विनिर्माताओं को भारत में अपना निवेश करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक संचार सेवाओं को व्यापक स्तर पर प्रदान किए जाने और साथ ही सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने से यह वृद्धि और अधिक तेजी से होगी। 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में 787.29 मिलियन कनेक्शन काम कर रहे हैं। 752.20 मिलियन वायरलेस कनेक्शनों से युक्त भारतीय दूरसंचार विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वायरलेस नेटवर्क बन गया है। हमारे देश में दूरसंचार के क्षेत्र में प्रगति की काफी अधिक संभावना है। प्रतिमाह 18 मिलियन कनेक्शनों से अधिक की वृद्धि होना दूरसंचार क्षेत्र में सुदृढ़ उपभोक्ता आधार का परिचायक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 600 मिलियन टेलीफोनों का लक्ष्य फरवरी 2010 में ही प्राप्त कर लिया गया है। इस गति से विस्तार को देखते हुए यह विभाग ग्यारहवीं योजनावधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त है। दूरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाई गई है :

बॉक्स 1 : दूरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- भारतीय दूरसंचार बाजार विश्व में एक सबसे तेजी से उभर रहा बाजार है।
- 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 787.29 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों से युक्त भारतीय दूरसंचार विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क बन गया है।
- भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वायरलेस नेटवर्क काम कर रहा है
- इसमें प्रतिमाह 18 मिलियन से अधिक कनेक्शनों की वृद्धि हो रही है।



- 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 600 मिलियन टेलीफोनों का लक्ष्य फरवरी 2010 में ही प्राप्त कर लिया गया है।
- वायरलेस टेलीफोनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 31 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार वायरलेस टेलीफोनों की संख्या कुल फोनों का 95.54% है।
- कुल टेलीफोनों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 84.60% है।
- समग्र टेलीघनत्व 66.17% तक पहुंच चुका है। शहरी टेलीघनत्व लगभग 148% है जबकि ग्रामीण टेलीघनत्व 31.22% है और इसमें भी तीव्र वृद्धि हो रही है।
- नवंबर, 2010 तक ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 10.71 मिलियन पर पहुंच गई है।

दूरसंचार क्षेत्र का विकास

दूरसंचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने से न केवल इस क्षेत्र का तीव्र विकास हुआ है बल्कि इससे उपभोक्ताओं के लिए लाभ को अधिकतम करने में भी सहायता प्राप्त हुई है क्योंकि इससे निर्बाध प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप प्रशुल्क में काफी कमी आई है। दूरसंचार क्षेत्र में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1999 में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या मात्र 22.8 मिलियन थी जो मार्च, 2010 के अंत तक बढ़कर 621.28 मिलियन पर पहुंच चुकी है। 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 787.29 मिलियन है जो मार्च से दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में 166.01 मिलियन की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि में वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों का योगदान रहा है क्योंकि वायरलेस कनेक्शनों की संख्या वर्ष 2004 के 35.61 मिलियन से बढ़कर मार्च 2010 में 584.32 मिलियन और 31 दिसंबर, 2010 को 752.20 मिलियन हो गई है। वायरलाइन कनेक्शनों की संख्या वर्ष 2004 में घटना शुरू हो गई और यह वर्ष 2004 के 40.92 मिलियन से घटकर मार्च, 2010 में 36.96 मिलियन और दिसंबर, 2010 में 35.09 मिलियन हो गई है तथापि अब यह स्थिर हो रही है।

तालिका 1 : पिछले वर्षों में टेलीफोन की वृद्धि


(मिलियन में)

	मार्च, 04	मार्च, 05	मार्च, 06	मार्च, 07	मार्च, 08	मार्च 09	मार्च,10	दिसम्बर 10
स्थिर लाइन	40.92	41.42	40.23	40.77	39.41	37.97	36.96	35.09
वायरलेस	35.61	56.95	101.86	165.09	261.08	391.76	584.32	752.20
सकल योग	76.53	98.37	142.09	205.87	300.49	429.73	621.28	787.29
वार्षिक वृद्धि (%)	40%	29%	44%	45%	46%	43%	45%	27%

दूरसंचार क्षेत्र के गठन की संरचना में परिवर्तन

वायरलाइन बनाम वायरलेस


2004 से वायरलेस उपभोक्ताओं की 57.1 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ वायरलेस सेवाओं में मूलभूत रूप से वृद्धि हुई है। वायरलेस सेवा वायरलाइन से आगे निकल गई है। 1999 में वायरलेस फोनों की हिस्सेदारी वर्ष 2004 के 46.54 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर, 2010 में 95.54 प्रतिशत हो गयी है।



स्थिर वायरलाइन की हिस्सेदारी इसके विपरीत तेजी से घटी है। प्राइवेट सेवा प्रदाताओं ने वायरलेस प्रौद्योगिकी ही अपनायी है, क्योंकि वायरलेस दूरसंचार सेवाओं के रॉल आउट में यही आसान है। इसी वर्ष दो अन्य दूरसंचार कंपनियों ने वायरलेस कनेक्शनों की दिशा में 100 मिलियन कनेक्शनों का लक्ष्य पार किया। भारती एयरटेल ऐसा पहला भारतीय प्रचालक रहा जिसने 2009 में यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। इसके बाद वोडाफोन और रिलायंस कम्युनिकेशन ने 2010 में यह उपलब्धि प्राप्त की वायरलेस फोनों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि उनकी सुविधा और शुल्क वहनीयता के कारण ये पसंद किये जाते हैं। इसी के परिणामस्वरूप टेलीफोन आज आम लोगों की पहुंच के दायरे में है।

निजी बनाम सार्वजनिक


सरकार का उदारीकरण प्रयास निजी क्षेत्र की बढ़ रही हिस्सेदारी का प्रमाण है। आज दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र भूमिका निभा रहा है। दिसंबर, 2010 के लिए उपलब्ध नवीनतम सांख्यिकी के अनुसार निजी क्षेत्र के कुल टेलीफोन कनेक्शनों की हिस्सेदारी अब 84.60% है जबकि 1999 में यह नगण्य अर्थात् मात्र 5% थी।





टेलीघनत्व में रुझान

टेलीघनत्व देश में दूरसंचार के प्रसार का एक महत्वपूर्ण सूचक है। नई वायरलेस प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ-साथ देश में टेलीघनत्व की वृद्धि में असाधारण तेजी आई है।



- मार्च, 2004 में जो टेलीघनत्व 7.02 % था वह मार्च, 2010 में बढ़कर 53.46% हो गया और दिसंबर, 2010 में 66.17% हो गया। इस प्रकार देश के समग्र टेलीघनत्व में सतत रूप से वृद्धि हुई है।
- ग्रामीण टेलीघनत्व जो मार्च, 2004 में 1.55 % था वह मार्च, 2010 में बढ़कर 24.56% हो गया और दिसंबर, 2010 की समाप्ति तक 31.22% हो गया।
- शहरी टेलीघनत्व जो मार्च, 2004 में 20.79% था वह मार्च, 2010 में बढ़कर 122% हो गया और दिसंबर, 2010 की समाप्ति तक यह 147.52% हो गया है।

इस प्रकार शहरी और ग्रामीण टेलीघनत्व में काफी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ग्रामीण टेलीघनत्व में तेजी से वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस फोनों की शुरुआत होने से ग्रामीण टेलीघनत्व में रुझान बढ़ रहा है। सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के लिए यूएसओ निधि के अंतर्गत अनेक उपाय कर रही है। क्योंकि शहरी क्षेत्र में इन सुविधाओं की भरमार है, निजी सेवा प्रदाता भी ग्रामीण क्षेत्रों में और अवसरों की तलाश कर रहे हैं। हाल में इन सभी तथ्यों ने ग्रामीण टेली-घनत्व में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है।



ग्रामीण टेलीफोनों पर ध्यान केंद्रित करना

जबकि शहरी उपभोक्ता पर्याप्त रूप से बढ़ रहे हैं यद्यपि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में इस तरह वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की शुरुआत से अब ग्रामीण उपभोक्ताओं में वृद्धि हो रही है। यूएसओ निधि द्वारा ग्रामीण कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के लिए शुरू किए गए उपायों का बॉक्स 2 में उल्लेख किया गया है।

- ग्रामीण टेलीफोनों की संख्या मार्च, 2004 के 12.3 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2010 में 200.77 मिलियन और दिसम्बर, 2010 में बढ़कर 259.83 मिलियन तक पहुंच गई है।
- कुल टेलीफोनों में उनका हिस्सा 2004 में 16.03% की तुलना में 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 33% हो गया है।
- कुल ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों में भी मोबाइल कनेक्शनों ने अपना पर्याप्त योगदान दिया है।
- वर्ष 2010-11 के दौरान, शहरी टेलीफोन कनेक्शनों की 25.43% की वृद्धि दर की तुलना में ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों की वृद्धि दर 29.41% रही। ग्रामीण टेलीफोनों की वृद्धि में निजी क्षेत्र ने भी योगदान दिया है क्योंकि 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार उन्होंने लगभग 85% ग्रामीण टेलीफोनों का हिस्सा प्रदान किया है।

बॉक्स 2 : ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

- 31 दिसंबर, 2010 तक वीपीटी द्वारा लगभग 5.70 लाख (96%) गांवों को कवर किया गया।
- भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत शेष बचे 62302 गांवों में से 61985 गांवों को दिसंबर, 2010 तक कवर कर लिया गया।
- देश के 27 राज्यों के 500 जिलों में अवस्थित 7363 टावर लगाए जाने के लिए अवसंरचना साझेदारी की स्कीम का क्रियान्वयन किया गया; 31 दिसंबर, 2010 तक लगभग 7236 टावर स्थापित किए गए।

भावी वृद्धि की संभावना

भारतीय दूरसंचार बाजार में और भावी वृद्धि की अभी बहुत संभावना है। बड़ी आबादी अभी भी दूरसंचार सुविधाओं से वंचित है और टेलीघनत्व अभी भी 66.17% और ग्रामीण टेलीघनत्व 31.22% है। इस क्षेत्र हेतु संभावना बहुत अधिक है विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जहां 3जी और बीडब्ल्यूए सेवाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी है। यहां तक कि मोबाइल फोन सेवाओं ने शहरी क्षेत्रों में बहुत वृद्धि की है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक नहीं पहुंची है। वृद्धि के अगले दौर में ग्रामीण बाजार में वायस आधारित सेवाओं का विकास होने की आशा है जबकि अधिक अपेक्षा रखने वाले शहरी बाजारों का झुकाव डाटा सेवाओं की ओर हो जाएगा। शेरधारकों का ध्यान अब इन नये ग्रामीण क्षेत्रों में वायस आधारित सेवाओं और शहरी क्षेत्रों में डाटा आधारित सेवाओं की तरफ जा रहा है जो कि भारतीय दूरसंचार को तरक्की के दूसरे चरण के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वर्ष 2014 तक ग्रामीण टेलीघनत्व बढ़कर 40% हो जाएगा। आशा है कि वर्ष 2015 तक देश में एक बिलियन टेलीफोन हो जाएंगे।

ब्रॉडबैंड

तीव्र वृद्धि और अनुवर्ती लाभों के लिए ज्ञान-सम्पन्न समाज के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाना आवश्यक है। अगामी वर्षों में सम्मुख आने वाली जिन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का अधिकाधिक उपयोग किया जाएगा उनमें उभरने वाली एक प्रौद्योगिकी 3जी प्रौद्योगिकी है, जिसका शुभारंभ कर दिया गया है। 3जी/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। बीडब्ल्यूए और 3जी जैसी नवीनतम अभिगम प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भारत में इंटरनेट / ब्रॉडबैंड परिदृश्य के स्वरूप में उल्लेखनीय परिवर्तन किया जा सकता है। देश में ब्रॉडबैंड को बढ़ाने की दृष्टि से अनेक नीतियां घोषित और क्रियान्वित की गई हैं (बॉक्स 3)।



- इन उपायों के परिणामस्वरूप, ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या जो 2005 में 0.18 मिलियन थी, 31 मार्च, 2010 को बढ़कर 8.8 मिलियन और नवम्बर, 2010 के अंत तक बढ़कर 10.71 मिलियन हो गई है।
- ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 4044 शहरों, 5431 ब्लॉक मुख्यालयों में और 613 जिला मुख्यालयों में उपलब्ध कराई गई है जिनमें 1,06,559 गांव शामिल हैं।
- देश के सभी गांवों में 100,000 सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) की स्थापना से ब्रॉडबैंड कवरेज को बढ़ावा मिलेगा। नवम्बर, 2010 को 86,521 सीएससी शामिल हो गए हैं। ये आम नागरिक को इंटरनेट सुविधा और ई-गवर्नेंस के लाभ उपलब्ध कराएंगे।
- ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार में भारत को प्रौद्योगिकीय तथा वाणिज्यिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- ज्यादा कीमत होने के कारण पीसी की कम संख्या और इसकी वहनीयता इसके मुख्य कारक हैं। वहनीयता की समस्या पर काबू पाने की दृष्टि से भारत सरकार ने प्रोटोटाइप टेबलेट कंप्यूटर प्रस्तुत किया है जो 1500/-रुपए के वहनीय मूल्य पर बेचा जाएगा। यह टेबलेट कंप्यूटर सौर ऊर्जा के विकल्प सहित भी उपलब्ध होगा जिससे यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी व्यवहारिक हो सकेगा।
- देश के लोगों को ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ज्यादातर प्रचालकों द्वारा बेतार ब्रॉडबैंड को चुनने की संभावना है। बेतार प्रौद्योगिकी में व्यापक ब्रॉडबैंड अभिगम प्रदान करने तथा मोबाइल बैंकिंग, टेली एजुकेशन, ई-गवर्नेंस, टेली मेडिसिन इत्यादि के द्वारा समेकित वृद्धि करने की क्षमता है।



बॉक्स 3 : ग्रामीण ब्रॉडबैंड को बढ़ाने में यूएसओएफ की भूमिका

- निजी और सरकारी संस्थानों को 2014 तक 8,88,832 बेतार ब्रॉडबैंड प्रदान करने की स्कीम।
- 30 नवम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 670 क्योस्क उपलब्ध कराए गए।
- संस्थागत प्रयोक्ताओं जैसे ग्राम पंचायत, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाएगा।
- बीटीएस जैसी बेतार ब्रॉडबैंड सक्रिय अवसंरचना हेतु सब्सिडी प्रस्तावित। इससे लगभग 5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कवरेज मिलेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए वॉयस और डाटा परियात को एकीकृत करने के लिए पर्याप्त बैंक हॉल क्षमता के लिए पहल।



विकास के वाहक

तीसरी पीढ़ी की दूरसंचार सेवाएं

भारत के दूरसंचार उद्योग में व्यापक स्तर पर विकास हो जाने पर बेहतर प्रौद्योगिकी तथा अगले चरण की सेवा सुपुर्दगी को अपनाने के प्रति रुझान हो रहा है। हालांकि भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए गत पांच वर्ष की अवधि विकास की दृष्टि से परिवर्तनकारी रही है और आगामी कुछ वर्षों के दौरान और भी अधिक उत्साहवर्धक विकास की संभावना है। बीडब्ल्यू से भारत में आरओडब्ल्यू से संबंधित मुख्य बाधा समाप्त होगी जबकि 3जी में मोबाइल फोन को इंटरनेट तक अभिगम के लिए एक सर्वव्यापक उपकरण बनाने की क्षमता है। 3जी मोबाइल, वीएएस, वाई-मैक्स, एम-वाणिज्य, मोबाइल बैंकिंग तथा बेतार ब्राडबैंड सेवाओं जैसी नई सेवाओं के जरिए खुले नए अवसरों से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इनके अधिक विस्तार को बल मिलेगा।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)



एमएनपी व्यवस्था के तहत किसी भी उपभोक्ता को यह छूट होगी कि वह मोबाइल फोन नंबर को बदले बिना ही अपना सेवा प्रदाता बदल सके। बहु प्रतीक्षित मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत 25 नवम्बर, 2010 को हरियाणा में तथा देशभर में 20 जनवरी, 2011 को की गई। एमएनपी के विस्तार के साथ ही मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने ग्राहकों के खोने से बचने के लिए अपनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बाध्य होंगे। इसे भारतीय दूरसंचार उद्योग के परिपक्व होने के रूप में देखा जा सकता है और यह इस उद्योग के आगे बढ़ने की दिशा में एक स्वाभाविक कदम होगा।

मूल्य वर्द्धित सेवाएं (वीएएस)

मोबाइल मूल्य वर्द्धित सेवाओं में टेक्स्ट या एसएमएस, मेनु आधारित सेवाएं, म्यूजिक या रिंगटोनों की डाउनलोडिंग, मोबाइल टीवी, वीडियो, स्ट्रीमिंग, परिष्कृत एम-कॉमर्स अनुप्रयोग, इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 2008 के पूर्व, अधिकांश वीएएस राजस्व की प्राप्ति एसएमएस से हुई। तथापि, मौजूदा स्थिति से यह पता चलता है कि वीएएस का यह मिला-जुला स्वरूप विकसित हो रहा है। नई सेवाओं के व्यापक विस्तार अपेक्षाकृत कम खर्चीले एवं बहुआयामी विशिष्टतायुक्त हैंडसेटों तथा ग्राहक शिक्षा की उपलब्धता होने से, एसएमएस की जगह वीएएस का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आशा की जाती है कि 3जी और बीडब्ल्यू की नीलामियों से डाटा तथा सामग्री आधारित सेवाओं की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद बढ़ेगी। इन सेवाओं में क्लाउड कम्प्यूटिंग, दूरस्थ निगरानी, बेड़ा प्रबंधन, टेलीमैटिक्स तथा रिटेल स्पलाई चैन शामिल है। मोबाइल वीएएस यथा मोबाइल टीवी, मोबाइल बैंकिंग तथा मोबाइल गवर्नेंस की मांग भविष्य में बढ़ेगी।

विनिर्माण

भारतीय दूरसंचार उद्योग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण करता है। बेतार क्षेत्र के विकास के मद्देनज़र, विनिर्माण के क्षेत्र में घरेलू एवं विदेशी निवेशकों के लिए उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध हैं। इस समय अधिकांश बेतार मुख्य उपस्करों का आयात किया जा रहा है और इनका देश में विनिर्माण करने की बड़ी संभावना है। गत पांच वर्षों के दौरान कई जानी-मानी दूरसंचार कंपनियों ने भारत में अपना विनिर्माण आधार स्थापित किया है। दूरसंचार





माननीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह 20 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत पर संबोधित करते हुए



माननीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के साथ माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कपिल सिबल नई दिल्ली में 20 जनवरी, 2011 को संपूर्ण भारत के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत करते हुए



माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कपिल सिब्बल द्वारा नई दिल्ली में "इंडिया टेलीकॉम 2010" का उद्घाटन




माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कपिल सिब्बल द्वारा नई दिल्ली में 19 जनवरी, 2011 को गोल मेज बैठक करते हुए माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री सचिन पायलट और श्री आर० चन्द्रोखर, सचिव, दूरसंचार विभाग भी उपस्थित हैं



उपस्करों का उत्पादन 2008-09 के दौरान 488000 मिलियन रुपए से बढ़कर 2009-2010 के दौरान 510000 मिलियन रुपए हो गया है। 2010-11 के दौरान उपभोक्ता परिसर उपस्कर (सीपीई) सहित दूरसंचार उपस्कर का उत्पादन लगभग 535000 मिलियन रुपए होने की आशा है। सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहल ऑफर किए गए प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा की उपलब्धता तथा कम श्रम लागत जैसे कुछ ऐसे अनुकूल कारक हैं जो उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। दूरसंचार उपस्करों का निर्यात भी 2008-09 में 110000 मिलियन रुपए से बढ़कर 2009-10 के दौरान 135000 मिलियन रुपए का हो गया है और 2010-11 में बढ़कर 140000 मिलियन रुपए तक बढ़ जाने की आशा है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण के परिणाम लाभदायक रहे हैं ऐसा ही दूरसंचार के क्षेत्र में भी हुआ है। निजी क्षेत्र की फर्मों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देकर किए गए उदारीकरण के परिणामस्वरूप दूरसंचार के क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ। विदेशी निवेशकों की अधिकाधिक भागीदारी की अनुमति देने से इस क्षेत्र के विकास में सहायता मिली है। आज, सेवाएं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र के बाद, दूरसंचार ऐसा तीसरा प्रमुख क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को आकर्षित कर रहा है। इस समय विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए 74% से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। यह निवेश दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। दूरसंचार के क्षेत्र में 2010-11 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का अंतर्वाह 1093 मिलियन अमेरिकी डालर का रहा जैसा नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।



विनियामक ढांचा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदा ही बेहतर गुणवत्ता और वहनीय कीमतों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। 2010-11 के दौरान ट्राई द्वारा अनेक विनियम और निदेश जारी किए गए जिनमें अन्य के साथ-साथ दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2010, स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग रूपरेखा, नम्बरिंग संसाधनों का कुशल उपयोग, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना और दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता तरजीह विनियम, 2010 शामिल है। इन निदेशों और विनियमों से दूरसंचार क्षेत्र को विकसित करने में सहायता मिलेगी।

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दृष्टि से, ट्राई ने मापन की विशुद्धता और बिलिंग की विश्वसनीयता आदि के संबंध में एकरूपता और पारदर्शिता लाने, इनके लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए मीटरिंग और बिलिंग की लेखा परीक्षा कराए जाने के संबंध में कदम उठाए हैं। सेवा प्रदाताओं को प्रतिवर्ष ट्राई को लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और उसके साथ सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी कमियों के संबंध में की गई सुधारत्मक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, ट्राई ने उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की दिशा में अनेक कार्यक्रमलाप शुरू किए हैं।

ट्राई ने तिमाही आधार पर बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के निष्पादन की और इसके अतिरिक्त मासिक रिपोर्टों के माध्यम से प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) की मानीटरिंग करके सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय भी किए हैं।

आशा है कि उपर्युक्त उपायों से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किए जाने के अलावा स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिए जाने और निवेश दक्षता में वृद्धि के द्वारा दूरसंचार क्षेत्र का सुगमतापूर्वक सुव्यवस्थित विकास होगा।



अनुसंधान एवं विकास

सी-डॉट दूरसंचार विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है जो दूरसंचार में राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य कर रही है। सी-डॉट विभिन्न विकासपरक परियोजनाओं जैसे ग्रामीण भारत के लिए मोबाइल संचार रेडियो अभिगम नेटवर्क की साझी वैश्विक प्रणाली (एसजी-आरएएन), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए परंपरागत स्विचों का अगली पीढ़ी की सेवाओं में उन्नयन, संचार अनुश्रवण प्रणालियों, सुरक्षित समर्पित संचार नेटवर्कों, गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल (जी-पॉन) प्रणालियों जैसे ब्रॉडबैंड सेवा वितरण प्लेटफार्मों पर कार्य कर रहा है। एसजी-आरएएन और जी-पॉन जैसी परियोजनाओं से स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

नई प्रौद्योगिकियों के बढ़े हुए प्रयोगों, निगमितीकरण, प्रतिस्पर्धा की दिशा में किए जाने वाले प्रयास और विनियामक कार्यों को प्रचालनात्मक सेवाओं से अलग करने के लिए उन्नत स्तर की नीति, विनियामक, प्रबंधकीय और प्रौद्योगिकीय सुविज्ञता अपेक्षित है। इस सुविज्ञता को उत्पन्न करने का सामर्थ्य विकसित करने और उसे सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इस क्षेत्र में कार्यरत सभी स्टेकधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्रों (टीसीओई) की अवधारणा बनाई गई है। अनुप्रयोग के अनुकूल अनुसंधान के अतिरिक्त, इन केंद्रों को उच्च स्तर पर निर्णय करने वाले दूरसंचार संगठनों को क्षेत्र में सुधार कार्यों को व्यवस्थित करने तथा कार्पोरेट प्रबंधकों को नेटवर्कों तथा सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए दोनों वर्गों को सहायता प्रदान करने तथा प्रशिक्षण देने की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में आठ टीसीओई होंगे तथा प्रत्येक केंद्र को सहायता प्रदान करने हेतु सात प्रमुख दूरसंचार प्रचालक होंगे। स्पैक्ट्रम प्रबंधन केंद्र को उद्योग कंसोर्टियम की सहायता से स्वायत्त मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। विनिर्माण तथा अनुसंधान एवं विकास संबंधी हमारे प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु, संचार सुरक्षा, अनुसंधान एवं निगरानी के लिए दूरसंचार परीक्षण एवं सुरक्षा प्रमाणन केंद्र (टीईटीसी) की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है। अल्काटेल, सिस्को इत्यादि जैसी अनेक कंपनियों ने भी भारत में अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना की है।

दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

मटीएनएल और बीएसएनएल विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो प्रमुख उपक्रम हैं जिनका टेलीफोनों एवं अन्य संबंधित सेवाओं की बढ़ती अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु काफी विकास हुआ है। एमटीएनएल, जिसकी स्थापना मुख्यतः गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि करने तथा भारत के प्रमुख महानगरों-दिल्ली एवं मुंबई में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए राजस्व जुटाने हेतु की गई थी, ने 1986 में अपने गठन के समय से ही भारत की अग्रणी कंपनी बनने एवं एशिया की सबसे बड़ी दूरसंचार प्रचालक कंपनियों में अपना नाम शुमार करने के लिए तीव्र गति से प्रयास किया है। एमटीएनएल की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होने के अलावा इसके ग्राहकों की संख्या दिसंबर, 2010 के अंत में 8.87 मिलियन हो गई है। एमटीएनएल ने अपने उपभोक्ताओं के बीच 3जी सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने सभी जीएसएम मोबाइल उपभोक्ताओं को 3जी सेवाओं की अभिगम्यता की अनुमति दे दी है। दिसंबर, 2010 के अंत तक कंपनी में ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या 9.14 लाख है। कंपनी ने अपने 100% टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क को अत्याधुनिक डिजिटल मोड में परिवर्तित करके प्रौद्योगिकी को लागू करने की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। फिलहाल, भारत सरकार का कंपनी में 56.25% शेक है।

बीएसएनएल, जिसका गठन अक्टूबर, 2000 में हुआ था, विश्व की 7वीं सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है जो भारत में दूरसंचार सेवाओं का व्यापक रेंज उपलब्ध कराती है जिनमें वायरलाइन, सीडीएमए वायरलेस, जीएसएम वायरलेस, इंटरनेट, ब्राडबैंड, वाहक सेवा, एमपीएलएस-वीपीएन, वीएसएटी, वीओआईपी सेवाएं, आईएन सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। यह आठ वर्षों की अल्प अवधि में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का सेवा प्रदाता बन गया है जो दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 86.71 मिलियन बेतार ग्राहकों (सीडीएमए और जीएसएम सहित) सहित 112.36 मिलियन उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बीएसएनएल ग्रामीण टेलीफोनी पर विशेष ध्यान दे रहा है। दिसंबर, 10 के अंत तक इसने 5.70 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 396.30 लाख टेलीफोन उपलब्ध कराए हैं। बीएसएनएल ने जनवरी, 2005 से ब्रॉडबैंड सेवाएं आरंभ कर दी है तथा इसने दिसंबर, 2010 तक 68.09 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं।



प्रमुख नीतिगत पहलें

टेलीघनत्व के तीव्र विस्तार को सुनिश्चित करने के एनटीपी-99 के मुख्य लक्ष्य और "शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी सेवा प्रदाताओं के लिए प्रतिस्पर्धा के समान अवसर प्रदान करते हुए दूरसंचार के क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से व्यापक प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश के लिए रुपांतरित करने" के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग ने नीचे दी गई विभिन्न नीतिगत पहलों को अपनाया है जिसने दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सहायता की है और वहनीय तथा गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं के हित में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की :

- सुप्रतीक्षित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत 25 नवंबर, 2010 को हरियाणा से की गई तथा 20.01.2011 से यह सेवा संपूर्ण देश में लागू कर दी गई है।
- टेलीमार्केटिंग करने वालों से आने वाली अनचाही कॉलों को विनियमित करने के उद्देश्यार्थ, एक ऐसा विनियम लागू किया गया है जिसके अंतर्गत "नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री (एनडीएनसी)" को प्रभावी बना दिया गया है। इसके लागू हो जाने से अनचाही कॉलों की संख्या काफी कम हो गई है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। इससे दूरसंचार का क्षेत्र देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है।

3जी और बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम की नीलामी

दूरसंचार विभाग ने जून, 2010 में 3जी और बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम की नीलामियां की जो अत्यंत सफल रहीं। इन नीलामियों को सभी पणधारियों ने कुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी तथा नीलामी प्रक्रिया से सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने वाली नीलामी के रूप में सराहना की। समग्र नीलामी से 1,06,262 करोड़ रूपए की प्राप्ति हुई। 3जी नीलामी में बोली जीतने वाली समग्र कीमत आरक्षित कीमत से लगभग पांच गुना अधिक थी और डब्ल्यूए की नीलामी में यह आरक्षित कीमत से सात गुना से भी अधिक थी।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 27.09.2006 की "3जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए स्पैक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण" के संबंध में अपनी सिफारिशों में 3जी स्पैक्ट्रम का आवंटन 2.1 गीगाहर्ट्ज बैंड में तथा बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम का आवंटन 2.3 गीगाहर्ट्ज बैंड में ई-नीलामी के माध्यम से करने की सिफारिश की थी।

दूरसंचार विभाग ने अगस्त 2008 में "3जी और बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम की नीलामी हेतु दिशा-निर्देश" जारी किए थे। इसके पश्चात् दिनांक 12.12.2008 को नीलामी के संबंध में सूचना देते हुए एक सूचना ज्ञापन (आईएम0) जारी किया गया। तदनंतर इस आईएम को कतिपय बदलावों को शामिल करने के लिए और अंततः 25.2.2010 की नीलामी हेतु "आवेदन आमंत्रित करते हुए नोटिस" को संशोधित किया गया, जिसमें अन्य ब्योरों के साथ-साथ नीलामी के उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए।

ये निम्नलिखित थे:

- एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम की बाजार द्वारा निर्धारित कीमत प्राप्त की जाए।
- स्पैक्ट्रम का कुशल प्रयोग सुनिश्चित किया जाए और जमाखोरी से बचें।
- क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रेरित किया जाए।
- 3जी और ब्रॉडबैंड सेवाओं के राल आउट को प्रोत्साहन दिया जाए।
- नीलामियों से अधिकतम राजस्व प्राप्तियां की जाए।
- दूसरी जेनरेशन ("2जी") मोबाइल सेवाओं के संकुलन से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाए।

उद्देश्यों को परिभाषित करने से अनेक लाभ हुए:

- नीलामी संबंधी नियमों को तैयार करने में उद्देश्यों का प्रयोग किया गया - नीलामी के उद्देश्यों के अनुसार नीलामी नियमावली की जानकारी प्रदान की गई।



- मुकदमेबाजी का खतरा न्यूनतम हो गया।
- नीलामी की प्रक्रिया को अधिक कुशलता से पूरा किया गया और अनिश्चितता में कमी आई।

नीलामी प्रक्रिया निर्धारित करना

नीलामी की रूपरेखा सभी संगत स्टेकहोल्डरों के साथ गहन परामर्श प्रक्रिया के बाद विकसित की गई। विभिन्न चरणों में प्रचालकों, संभावित बोलीदाताओं, विशेषज्ञों, उद्योग भागीदारों और आम जनता से जानकारी प्राप्त की गई। स्टेकहोल्डरों के लिए दो ओपन-हाऊस सत्र आयोजित किए गए। नीलामी की रूपरेखा के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, योजना आयोग आदि के प्रतिनिधियों सहित सरकार के समक्ष नीलामी संरचना के बारे में उनकी राय जानने के लिए इसका प्रस्तुतीकरण भी किया गया। नीलामी की रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

इलेक्ट्रॉनिक या ई-नीलामी: बोलियां सिर्फ सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली (ईएएस) के माध्यम से स्वीकार की गईं। चूंकि नीलामी इंटरनेट के माध्यम से संचालित की गईं, बोलीदाताओं को बुनियादी इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी स्थान से बोली देने का विकल्प था।

नीलामी प्रणाली द्वारा कीमत-निर्धारण: प्रत्येक नीलामी समकालिक आरोही ई-नीलामी थी जिसमें बोली चक्रों की श्रृंखला (लगातार चक्र) शामिल है। मांग-आपूर्ति साम्य तक पहुंचने तक स्पैक्ट्रम ब्लॉक की कीमत बढ़ती रही। बोलीदाताओं द्वारा नहीं बल्कि पूर्व-निर्धारित एल्गोरिथ्म पर आधारित नीलामी प्रणाली द्वारा बोली की कीमत निर्धारित की गई।

बोली जीतने की सामान्य कीमत: किसी भी सेवा क्षेत्र के लिए बोली जीतने की कीमत सर्वाधिक कीमत थी जिस पर उस सेवा क्षेत्र में ऑफर पर सभी ब्लॉकों को बेचा जा सका।

समकालिक नीलामी: देश के 22 सेवा क्षेत्रों में से प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए एक ही समय नीलामी आयोजित की गई अर्थात् सभी 22 सेवा क्षेत्रों के लिए एक ही समय नीलामी लगातार चक्र में की गई।

बेचे नहीं गए हिस्से का न्यूनतम खतरा: नीलामी के प्रत्येक चक्र के बाद प्रत्येक सेवा क्षेत्र में अनंतिम रूप से नीलामी जीतने वाले बोलीदाताओं, को नामोद्दिष्ट करने की प्रणाली द्वारा बेचे नहीं गए हिस्से के लिए नीलामी से न्यूनतम खतरा होता है। अनंतिम रूप से नीलामी जीतने वाले बोलीदाताओं को एक ही सेवा-क्षेत्र के लिए "आरक्षित" कर दिया गया जब तक कि उनकी बोली से अधिक मूल्य की बोली नहीं लगाई गई।

सुरक्षा संबंधी विशेषताएं: इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली पूर्णरूपेण सुरक्षित प्रणाली थी जिसमें हर समय बहुविध प्रकार की सुरक्षा बरती जाती थी। बोलीदाताओं को प्रमाणीकरण प्रमाण-पत्रों के चार सेट एंव पासवर्ड विभिन्न माध्यमों से प्रदान किए गए ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

पारदर्शिता के साथ, गोपनीयता: नीलामी के प्रत्येक चक्र के बाद, बोलीदाताओं को प्रत्येक सेवा क्षेत्र के कीमत स्तरों तथा संकलित मांग-आपूर्ति स्थिति और उनकी अपनी बोलियों के बारे में सूचित किया गया। तथापि अन्य बोलीदाताओं के पहचान और उनकी स्थितियों के विषय में नहीं बताया गया। पर्याप्त पारदर्शिता दिखाते हुए भी, इस विशिष्टता से प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने और आपसी टक्कर को कम करने में सहायता मिली।

नीलामी प्रक्रिया

आवेदन आमंत्रित करने वाली सूचना 25 फरवरी, 2010 को जारी की गई।

- विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में नीलामी के लिए अधिकतम 4 ब्लॉकों और न्यूनतम 3 ब्लॉकों की पहचान की गई।
- दूरसंचार विभाग की ओर से मै0 एन एम रोथसचाइल्ड एंड सॉन्स (इंडिया) प्रा0 लि0 द्वारा एक नियंत्रित, समकालिक, आरोही ई नीलामी संचालित की गई ।



- 3जी नीलामी 9 अप्रैल, 2010 को शुरू हुई और 19.5.2010 को समाप्त हुई ।
- कुल 9 कंपनियों ने 3जी नीलामी में भाग लिया ।
- विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में 7 कंपनियों ने 3जी नीलामी जीती ।
- बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित सफल बोलीदाताओं ने विभाग के पास कुल 67718.95 करोड़ रूपए की राशि जमा की।
- सफल बोलीदाताओं को 3जी फ्रीक्वेंसियां आवंटित करने वाला आशय पत्र 11.6.2010 को जारी किया गया है।
- 3जी नीलामी के विजेताओं को केवल 1 सितम्बर, 2010 से वाणिज्यिक प्रचालकों के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
- बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी 24.5.2010 को आरंभ हुई तथा 11.6.2010 को पूरी हुई।
- बीडब्ल्यूए नीलामी में कुल 11 कंपनियों ने भाग लिया।
- 2.3 गीगीहर्ट्ज में 20 मेगाहर्ट्ज के 2 ब्लॉकों की नीलामी हुई।
- विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में बीडब्ल्यूए की नीलामी 6 कंपनियों ने जीती।
- बीएसएनएल और एमटीएनएल के अलावा सफल बोलीदाताओं ने विभाग को 38543.31 करोड़ ₹ की राशि प्रदान की है।

तीसरी पीढ़ी की सेवाएं और ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम दूरसंचार के क्षेत्र में विकास का अलगा कदम है। ऐसा अनुमान है कि उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2015 तक 200 मिलियन एवं वर्ष 2019 तक 300 मिलियन से अधिक हो जाएगी, जो कुल बेतार उपभोक्ताओं की संख्या का क्रमशः 20% और 27% होगी।

भावी विकास की नीति

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल सिद्ध हुआ है। इस क्षेत्र में गत 2 वर्षों के दौरान सराहनीय प्रगति हुई है। 787.29 मिलियन समग्र उपभोक्ता आधार और 66.17% टेलीघनत्व के साथ यह क्षेत्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। शहरी टेलीघनत्व के 150% के आस-पास पहुंच जाने से दूरसंचार बाजार विशेषकर वॉइस आधारित सेवाओं को प्राप्त करने के मामले में प्रगति परिलक्षित हो रही है। ग्रामीण भारत अब प्रमुख लक्षित बाजार है जिसमें अब विशेषकर वॉइस आधारित सेवाओं के मामले में प्रगति का अगला चरण आरंभ होने वाला है। अतः वर्ष 2014 के अंत तक 40% ग्रामीण टेलीघनत्व प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रगति की ओर अग्रसर शहरी बाजार में 3जी और बीडब्ल्यूए सेवाएं उपलब्ध होने से इस बाजार के पुनः गति पकड़ने की संभावना है जिससे अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास में सहायता प्राप्त होगी। मोबाइल सेवाओं में हुई जोरदार वृद्धि अभी ब्रॉडबैंड सेवाओं में भी परिलक्षित होनी शेष है जिसमें वर्तमान में उपभोक्ता आधार लगभग 11 मिलियन है। बीडब्ल्यूए और 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने से देश भर में वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा में वृद्धि होगी तथा भारत भर के सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने में सहायता प्राप्त होगी। सरकार की योजना देशभर में मांग पर और उचित मूल्य पर टेलीफोन कनेक्शन और ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध कराने की है और यह इसकी प्राप्ति की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है।





II. दूरसंचार आयोग

भूमिका और कार्य

भारत सरकार ने दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित 11 अप्रैल, 1989 के संकल्प के द्वारा दूरसंचार आयोग का गठन किया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य, जो कि दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव हैं तथा चार अंशकालिक सदस्य हैं जो कि संबंधित विभागों में भारत सरकार के सचिव हैं। आयोग का वर्तमान संघटन निम्नानुसार है:-

अध्यक्ष	श्री आर० चंद्रशेखर	24 सितंबर, 2010 से
सदस्य (वित्त)	डा० (श्रीमती) विजयलक्ष्मी के.गुप्ता	4 सितंबर, 2009 से
सदस्य (सेवाएं)	श्री एस०सी० मिश्र	17 मार्च, 2010 से
सदस्य (प्रौद्योगिकी)	श्री चंद्र प्रकाश	17 सितंबर, 2009 से

सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), सचिव (वित्त), सचिव (योजना आयोग) और सचिव (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन) इसके अंशकालिक सदस्य हैं।

दूरसंचार आयोग के मुख्य कार्यों में नीति निर्माण, कार्य-निष्पादन की समीक्षा, लाइसेंसिंग, वायरलैस स्पैक्ट्रम प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रशासनिक मॉनीटरिंग, अनुसंधान और विकास तथा उपस्कर का मानकीकरण/विधिमान्यकरण तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध शामिल हैं।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. दूरसंचार विभाग

भूमिका तथा कार्य

दूरसंचार विभाग, सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न शहरों और दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी तथा मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने हेतु नीति बनाने, कार्यनिष्पादन समीक्षा, निगरानी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और विकास तथा प्रचालकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके फ्रीक्वेंसी आबंटन और रेडियो संचार के लिए प्रबंधन का कार्य भी करता है। यह विभाग बेतार विनियामक उपायों को लागू करने तथा देश में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारेषण पर निगरानी रखने के लिए भी जिम्मेदार है। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से दिनांक 1 जून, 2002 से प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय की स्थापना की गई है। अक्टूबर, 2000 में भारत संचार निगम लि0 के गठन के बाद भारत सरकार (कार्य आबंटन), नियमावली, 1961 के अन्तर्गत दूरसंचार विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

- टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलैस, डाटा, फ़ैसिमाइल तथा टेलीमेटिक्स सेवाओं एवं संचार के अन्य समान साधनों के संबंध में नीति निर्धारण, लाइसेंसिंग तथा समन्वय संबंधी मामले।
- अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), इसके रेडियो विनियमन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो संचार सेक्टर (आईटीयू-आर), दूरसंचार मानकीकरण सेक्टर (आईटीयू-टी), विकास सेक्टर (आईटीयू-डी), अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टेलसैट), अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन (इनमारसैट), एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) जैसे दूरसंचार से संबंधित सभी अंतरराष्ट्रीय निकायों के मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
- दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना।
- दूरसंचार में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
- निम्नलिखित कार्यों सहित संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा अध्ययन को बढ़ावा देने और दूरसंचार संबंधी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन हेतु वित्तीय सहायता :-
 - (क) उच्च वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान हेतु संस्थानों/वैज्ञानिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना; तथा
 - (ख) शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना और दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन हेतु विदेश जाने वाले छात्रों सहित अन्य व्यक्तियों को अन्य किस्म की वित्तीय सहायता देना।
- दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित भंडार-सामग्रियों एवं उपकरणों का प्रापण।
- दूरसंचार आयोग।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
- दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण।



- इस सूची में उल्लिखित किन्हीं मामलों के संबंध में कानूनों का प्रशासन, नामतः-
 - (क) भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13)
 - (ख) भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17), और
 - (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)
- भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड।
- मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटेर्स लिमिटेड से संबंधित विनिवेश के बाद के मामले।
- भारत संचार निगम लिमिटेड।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड।
- टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड से संबंधित विनिवेश के बाद के मामले।
- टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र(सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले।
- पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित अवशिष्ट कार्य, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित मामले भी शामिल हैं :-
 - (क) भारत संचार निगम लि. में आमेलन होने तक समूह "क" और अन्य वर्गों के कार्मिकों के संवर्ग नियंत्रण कार्य;
 - (ख) सेवांत लाभों का प्रशासन तथा भुगतान।
- निर्माण कार्यों का निष्पादन, भूमि की खरीद और अधिग्रहण जिसे दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट के नामे डाला जाना है।

लाइसेंस प्रदान करना

एकीकृत अभिगम सेवाएं

- 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 240 एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस), 2 बुनियादी सेवा और 37 सेल्युलर मोबाइल सेवा(सीएमटीएस) लाइसेंस मौजूद थे।
- 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, 8 कंपनियों को दोहरे प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम (सीडीएमए और जीएसएम, दोनों) का प्रयोग करने के लिए उसी सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंस के तहत अनुमति प्रदान की गई है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)

दूरसंचार विभाग ने हरियाणा में 25 नवंबर, 2010 को और समूचे देश में 20 जनवरी, 2010 को एमएनपी सेवा की शुरुआत कर दी है। भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के जरिए उपभोक्ता को एक सेवा प्रदाता को छोड़कर दूसरे सेवा प्रदाता का चयन कर लेने पर अथवा उसी सेवा प्रदाता की एक प्रौद्योगिकी को छोड़कर कोई अन्य प्रौद्योगिकी का चयन कर लेने पर अपने मौजूदा टेलीफोन नंबर को बनाए रखने की सुविधा दी जाएगी। भारत में एमएनपी सेवा हेतु लाइसेंस प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, समूचे देश को 2 एमएनपी ज़ोन में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक ज़ोन में 11 सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है और निविदा प्रक्रिया के आधार पर अप्रैल, 2009 में प्रत्येक एमएनपी ज़ोन में एमएनपी सेवा के लिए एक लाइसेंस दिया गया है।



कैरियर सेवाएं

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा को निजी क्षेत्र के लिए 13 अगस्त, 2000 से खोला गया था। जिन भारतीय पंजीकृत कंपनियों की नेटवर्थ 2.5 करोड़ ₹ है और प्रदत्त इक्विटी 2.5 करोड़ ₹ है वे इसके लिए आवेदन करने की पात्र हैं। इसके साथ-साथ आवेदन करने वाली कंपनी में, लाइसेंस की समूची अवधि के दौरान, किसी भी समय पर कुल विदेशी इक्विटी 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक कंपनी की इक्विटी में किसी एनआरआई/ओसीबी/अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसी द्वारा किए गए निवेश की गणना इसकी विदेशी इक्विटी के रूप में की जाती है। लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 2.5 करोड़ ₹ का प्रवेश शुल्क जमा कराना होता है। प्रचालकों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई राष्ट्रीय लंबी दूरी का प्रचालक देश में अंतर-सर्किल परियात का प्रचालन कर सकता है। राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक का लाइसेंस गैर-अनन्य आधार पर 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है और इसकी अवधि को एकमुश्त रूप में 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अतिरिक्त 29 अन्य कंपनियों ने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप प्रशुल्कों में कमी आई है।

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा मूलतः नेटवर्क कैरिज सेवा है जो विदेशी कैरियरों द्वारा प्रचालित नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नई दूरसंचार नीति-1999 के अनुसरण में, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा को पहली अप्रैल, 2002 से निजी प्रचालकों के लिए खोल दिया है। प्रचालकों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। जिन भारतीय पंजीकृत कंपनियों की नेटवर्थ 2.5 करोड़ ₹ है वे इसके लिए आवेदन करने की पात्र हैं। आवेदन करने वाली कंपनी में, लाइसेंस की समूची अवधि के दौरान, किसी भी समय पर कुल विदेशी इक्विटी 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक कंपनी की इक्विटी में किसी एनआरआई/ओसीबी/अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसी द्वारा किए गए निवेश की गणना इसकी विदेशी इक्विटी के रूप में की जाती है। लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 2.5 करोड़ ₹ के प्रवेश शुल्क के साथ-साथ 2.5 करोड़ ₹ की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करानी होती है। इसका लाइसेंस, लाइसेंस करार की तारीख से 20 वर्ष तक वैध होता है। अब तक 25 कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I (आईपी-I)

अवसंरचना प्रदाता-I के लिए आवेदन करने वाली कंपनी को केवल दूरसंचार विभाग में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। अवसंरचना प्रदाता-I के रूप में पंजीकृत कंपनियां डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डस्ट स्पेस और टावर जैसी संपत्तियों की सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं। सभी भारतीय पंजीकृत कंपनियां इसके लिए आवेदन करने की पात्र हैं। इसमें विदेशी इक्विटी और प्रवेश करने वाले प्रचालकों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें कोई प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी नहीं है। आवेदक कंपनी को आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 5000 ₹ का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। अब तक 351 कंपनियों को अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I के रूप में पंजीकृत किया गया है।

वॉयस मेल सेवा/ऑडियोटेक्स/एकीकृत संदेश सेवा

- नई दूरसंचार नीति(एनटीपी)-99 के अनुसार वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स सेवा के लिए नई नीति जुलाई, 2001 में घोषित की गई थी जिसमें यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा(यूएमएस) नामक नई सेवा भी शामिल की गई थी। यूएमएस एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा टेलीफोन उपकरण, फैक्स मशीन, मोबाइल फोन, इंटरनेट ब्राउज़र इत्यादि का उपयोग करते हुए एक मेल बॉक्स से वॉयस मेल, फैक्स और ई-मेल(तीनों) प्राप्त किए जा सकते हैं।
- 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 16 कंपनियों के पास 8 शहरों में वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विस प्रदान करने के लिए 25 लाइसेंस हैं।
- वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स सेवा प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं है।



पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा लाइसेंस

- नई दूरसंचार नीति, 99 के अनुसार पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विस(पीएमआरटीएस) की नीति 1 नवंबर, 2001 को घोषित की गई थी। पीएमआरटीएस के नए लाइसेंस बिना किसी भेदभाव के "पहले आओ, पहले पाओ" आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे।
- पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रदान करने के लिए 8 कंपनियों के पास 3 महानगरों और 10 सर्किलों में 42 लाइसेंस हैं।

जीएमपीसीएस सर्विस लाइसेंस

- नई दूरसंचार नीति-99 की शर्तों में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विस(जीएमपीसीएस) के लाइसेंस प्रदान करने की नीति 2 नवंबर, 2001 को घोषित की गई थी। अद्यतन स्थिति के अनुसार भारत में जीएमपीसीएस सेवा प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। मै0 नोएडा साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क लिमिटेड को जीएमपीसीएस लाइसेंस के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया है।
- राजस्व साझे के रूप में लाइसेंसशुल्क समायोजित सकल राजस्व का 10 प्रतिशत है तथा प्रवेश शुल्क 1 करोड़ ₹ है।

अन्य सेवा प्रदाता(ओएसपी) एवं टेली विपणनकर्ता

- ओएसपी श्रेणी के अंतर्गत कॉल सेंटरों (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू), नेटवर्क प्रचालन केन्द्रों और वाहन ट्रैकिंग प्रणालियों का पंजीकरण किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग मुख्यालय में ओएसपी श्रेणी के अंतर्गत 2500 से अधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं।
- 1 सितम्बर, 2007 से ओएसपी श्रेणी के अंतर्गत काल सेंटरों और टेलीमार्केटिंग श्रेणी के अंतर्गत विपणनकर्ताओं का पंजीकरण कार्य दूरसंचार विभाग मुख्यालय से विकेंद्रित कर 10 सर्किलों में टीईआरएम प्रकोष्ठों को प्रदान किया गया है। इसके अलावा 1 जून, 2008 से इस कार्य को विकेंद्रित कर इसे सभी टीईआरएम प्रकोष्ठों को सौंप दिया गया है। तथापि, दूरसंचार विभाग का सीएस प्रकोष्ठ नीतिगत मामलों की देखरेख करता रहेगा।
- ओएसपी पंजीकरण नीति 5 अगस्त, 2008 से संशोधित कर दी गयी है और नई नीति के अनुसार ओएसपी के काल सेंटरों के लिए घर पर काम की अवधारणा को अनुमति दे दी गयी है।

वैरी स्माल अपचर टर्मिनल (वी सैट) सर्विस

- दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक सीयूजी वी-सैट सेवा के लिए 13 लाइसेंस हैं। दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार 1,00,000 से अधिक वाणिज्यिक सीयूजी वी-सैट प्रचालनरत हैं।

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं

- 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, इंटरनेट सेवाओं के लिए 376 लाइसेंसधारक हैं जिसमें 101 क श्रेणी के लाइसेंसधारक, 139 ख श्रेणी के लाइसेंसधारक और 136 ग श्रेणी के लाइसेंसधारक शामिल हैं। आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए दो इंटरनेट सेवा लाइसेंसधारकों को अनुमति दी गई है। इसके अलावा 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार 17.96 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता और 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार लगभग 10.92 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हैं।



निवेश नीति (आईपी)

दूरसंचार सेक्टर को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे अधिक पसंदीदा सेक्टरों में से एक समझा जाता है। दूरसंचार सेक्टर हेतु मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति निम्नानुसार है :

बुनियादी और सेल्युलर, एकीकृत अभिगम सेवाएं, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी, वी-सैट, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सेवाएं (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्प्यूनिकेशंस सर्विस (जीएमपीसीएस) और अन्य मूल्य वर्द्धित दूरसंचार सेवाएं।

74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई, एफसीसीबी, एडीआर, जीडीआर परिवर्तनीय अधिमान शेयर और भारतीय संवर्द्धकों/निवेशक कंपनी में समानुपाती विदेशी इक्विटी सहित) अनुमत्य है। ऑटोमैटिक रूट के तहत 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है, प्रेस टिप्पणी सं 2/2009 के साथ पठित प्रेस टिप्पणी 3 (2007 श्रृंखला) की शर्तों के अनुसार 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से।

आईएसपी (गेटवेज सहित), एंड टू एंड बैंडविड्थ और पेजिंग सर्विस

लाइसेंसिंग और सुरक्षा संबंधी जरूरतों के अध्यधीन 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है। ऑटोमैटिक रूट के तहत 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है और 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से।

गेटवे के बिना आईएसपी, डार्कफाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टॉवर (श्रेणी-1), इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉयस मेल उपलब्ध कराने वाले अवसंरचना प्रदाता।

100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इन शर्तों के अध्यधीन अनुमत्य है कि यदि ये कंपनियां विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध हैं तो ऐसी कंपनियां अपनी इक्विटी का 26% भाग 5 वर्षों में भारतीय जनता को हस्तांतरित कर देंगी। यह लाइसेंसिंग और सुरक्षा संबंधी जरूरतों, जहां भी आवश्यक है के भी अध्यधीन है। 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आटोमैटिक रूट के अंतर्गत और 49% के आगे एफआईपीबी द्वारा अनुमत्य है।

दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण

आटोमैटिक प्रवेश रूट के जरिए 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत्य है।

अप्रैल 2000 से नवम्बर, 2010 तक दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक अंतर्प्रवाह 45,668 करोड़ रुपये है। अप्रैल, 2000 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	एफडीआई की आमद	वर्ष	एफडीआई की आमद
2000-01	784	2006-07	2,155
2001-02	3,938		
2002-03	908	2007-08	5,103
2003-04	409	2008-09	11,727
2004-05	570	2009-10	12,338
2005-06	2,774	2010-11 (अप्रैल-नवम्बर, 2010)	4,962
		कुल जोड़	45,668



दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण

भारत दीर्घकालिक विकल्प के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के तौर पर विनिर्माण हब के रूप में तेजी से उभरा है। सरकार की नीति के फलस्वरूप देश में दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण में काफी प्रगति हुई है। देश में महत्वपूर्ण दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण आधार है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का संतुलित विकास हुआ है। पिछले पांच वर्षों में मोबाइल यंत्रों में देश का योगदान वैश्विक मोबाइल यंत्रों के उत्पादन में 0% से बढ़कर 6% तक हो गया है। अनेक भारतीय कम्पनियां दूरसंचार और इलैक्ट्रॉनिक उद्योग में वैश्विक स्तर पर उत्पादन कर रही हैं।

दूरसंचार उपस्करों के संबंध में विशेष रूप से मोबाइल दूरसंचार के क्षेत्र में व्यापक रूप से बढ़ रही मांग ने स्वदेशी तथा विदेशी पूंजी निवेशकों को विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। पिछले दो वर्षों में अनेक प्रख्यात दूरसंचार कम्पनियों ने भारत में अपने विनिर्माण आधार स्थापित किये हैं। नोकिया और नोकिया साइमेन्स नेटवर्क्स ने चेन्नै में अपने विनिर्माण संयंत्र स्थापित किये हैं। एरिक्सन ने जयपुर में जीएसएम रेडियो बेस स्टेशन विनिर्माण सुविधा स्थापित किया है। मोटोरोला, फाक्सकान (ओईएम) ने चेन्नै में विशाल विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की है। एल्कोटेक ने बेंगलुरु में हैण्डसेट विनिर्माण सुविधाएं स्थापित किया है। एलजी इलैक्ट्रॉनिक्स ने पुणे के समीप जीएसएम मोबाइल फोनों के विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है। एरिक्सन ने चेन्नै में अपना अनुसंधान और विकास केन्द्र शुरू किया है। फ्लेकस्ट्रॉनिक्स ने चेन्नै में एसईजेड स्थापित किया है। एल्काटेल, सिसको जैसी बहुसंख्यक कम्पनियों ने भारत में अपने-अपने अनुसंधान एवम विकास केन्द्र स्थापित करने में अभिरुचि प्रदर्शित की है। उपर्युक्त पहल से भारत को दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण हब बनने की संभावना है।

आगामी ब्रॉडबैंड क्रांति से भारतीय और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध होने के साथ-साथ वायरलाइन उत्पादों, पारेषण उपस्कर, बेतार उपस्कर फाइबर और यंत्रों की मांग में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। भारत में सेमीकन्डक्टर ईकोसिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ईको सिस्टम दूरसंचार क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वदेशी और विदेशी कम्पनियां दोनों ही देश में समूचे पूर्ण मूल्य श्रृंखला वाले उत्पादों के प्रचालनों का विस्तार कर रही हैं।

2008-09, 2009-10 के दौरान निर्यात और आयात सहित दूरसंचार उपस्करों के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

2009-10 के दौरान

दूरसंचार उपस्कर का उत्पादन : 510,000 मिलियन रु0
भारत का दूरसंचार की मर्दों का निर्यात : 135,000 मिलियन रु0
भारत का दूरसंचार मर्दों का आयात : 450,250 मिलियन रु0
भारत का दूरसंचार परामर्श का निर्यात : 72.70 मिलियन रु0

2010-11 के दौरान

दूरसंचार उपस्करों का उत्पादन : 535,000 मिलियन रु0 (अनुमानित)
भारत का दूरसंचार मर्दों का निर्यात : 140,000 मिलियन रु0 (अनुमानित)
भारत का दूरसंचार परामर्श का निर्यात : 12.70 मिलियन रु0 (सितंबर, 2010 तक)

इंडिया टेलीकॉम 2010

दूरसंचार विभाग ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) के साथ नई दिल्ली में दिसंबर, 2010 में "इंडिया टेलीकॉम 2010" नाम से 5वीं प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया जिसका उद्देश्य भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की क्षमताओं और अवसरों को बढ़ावा देना और इन्हें प्रदर्शित करना था। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय "सभी के लिए ब्रॉडबैंड" था। इस सम्मेलन में सरकार, नीति निर्माताओं, भावी निवेशकों, प्रचालकों, विनिर्माताओं, अवसरंचना प्रदाताओं, विचार या सामग्री प्रदाताओं,



श्री आर० चन्द्रशेखर, सचिव, दूरसंचार विभाग द्वारा नई दिल्ली में "इंडिया टेलीकॉम 2010" प्रदर्शनी का उदघाटन

शिक्षाविदों और गैर सरकारी संगठनों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया गया जहां उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर चर्चा की कि सकल घरेलू उत्पाद, विकास, रोजगार और राजस्व के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था के "सर्वतोमुखी विकास" में दूरसंचार किस प्रकार सहायक हो सकता है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 9 दिसंबर, 2010 को उदघाटन समारोह के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए इस सम्मेलन की सराहना की। इस प्रदर्शनी को काफी सफलता मिली तथा इसमें 40 देशों से आए 273 प्रदर्शकों और इसमें 5 देशों के पवेलियन ने भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में देश के भीतर और बाहर कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दौरों के अलावा भ्रमणकारी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श होते हैं। इनमें से कुछ बैठकों की सूची नीचे दी गई है :

वर्ष 2010-11 (अप्रैल-दिसंबर) की अवधि के कार्यकलाप

आईटीयू प्लेनिपोट्‌नशियरी कान्फ्रेंस 2010

भारत ने अक्टूबर, 2010 में ग्वादालाजारा, मैक्सिको में आयोजित किए गए आईटीयू पूर्णाधिकार सम्मेलन में भाग लिया। इसमें माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल की अगुवाई की। पीपी-10 के दौरान इंटरनेशनल टेलीकॉम



यूनियन के महासचिव, उप महासचिव और ब्यूरो के निदेशकों जैसे चुने हुए पदाधिकारियों के अतिरिक्त आईटीयू के परिषद सदस्यों तथा रेडियो विनियमन बोर्ड सदस्यों के चुनाव कराए गए।

भारत को आईटीयू परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था तथा भारत के नामिती को भी आईटीयू के रेडियो विनियमन बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया। इस अवसर पर 2 अक्टूबर, 2010 को ग्वादालाजारा, मैक्सिको में आईटीयू परिषद 2010 का अतिरिक्त सत्र भी आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता भारत ने की।

विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन, 2010

भारत ने पहली बार 24 मई से 4 जून, 2010 के दौरान एचआईसीसी, हैदराबाद में अतिविशिष्ट तथा महत्वपूर्ण आईटीयू कार्यक्रमलाप-वर्ल्ड टेलीकॉम डिवल्पमेंट कांफ्रेंस का आयोजन किया। इस कांफ्रेंस में वैश्विक आईसीटी सेक्टर के विकास की रूपरेखा निर्धारित की गई। माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन-2010 का उद्घाटन किया था।



श्री पी०जे० थामस, तत्कालीन सचिव दूरसंचार एवं आईटीयू डब्ल्यूटीडीसी - 10 के अध्यक्ष द्वारा एचआईसीसी हैदराबाद, भारत में सम्मेलन का आयोजन

दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में विश्व के 139 सदस्य देशों के 67 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों सहित 1300 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में हैदराबाद घोषणा और हैदराबाद कार्य योजना के अतिरिक्त 16 नए संकल्पों को स्वीकार किया गया तथा 47 संकल्पों को संशोधित किया गया।



आईटीयू परिषद का 2010 सत्र

आईटीयू परिषद के 2010 सत्र का आयोजन जेनेवा में किया गया। यह सत्र आईटीयू के लिए विशेषरूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि आईटीयू प्लेनिपोटनशियरी सम्मेलन से पहले यह परिषद की अंतिम बैठक थी। भारत को सर्वसम्मति से आईटीयू परिषद के 2010 सत्र का अध्यक्ष चुना गया।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) क्लोइडोस्कोप 2010 का आयोजन

दिसंबर, 2010 के दौरान सिंघाद तकनीकी शिक्षा सोसाइटी परिसर पुणे में क्लोइडोस्कोप 2010 का आयोजन किया गया। सलाहकार (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार विभाग द्वारा इस आयोजन का उद्घाटन किया गया। इस आयोजन में पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति, आलबोर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और आईटीयू के निदेशक टीएसबी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस आयोजन का शीर्षक था "इंटरनेट से आगे? - भावी नेटवर्क और सेवाओं के लिए नवीकरण"।

द्विपक्षीय सहयोग/संयुक्त आयोग की बैठकें जिनमें दूरसंचार विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है :-

- 31.05.2010 को भूटान के साथ द्विपक्षीय सहयोग बैठक में दूरसंचार विभाग के सचिव (टी) और सचिव, आरजीओबी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- भारत की ओर से सचिव (टी) की अध्यक्षता में 17 अगस्त, 2010 को अमरीकी शिष्टमंडल के साथ बैठक आयोजित की गई ।
- 20-10-2010 को नई दिल्ली में अमरीकी शिष्टमंडल की सचिव (टी) के साथ बैठक
- 27.10.2010 को नई दिल्ली में सचिव (टी) की कनाडा के उच्चायुक्त के साथ बैठक
- 9.11.2010 को सचिव (टी) की यूएनडीपी के सहायक जनरल और यूएनडीपी के सहायक निदेशक, प्रशासक निदेशक के साथ बैठक।
- अंतरराष्ट्रीय संचार और सूचना नीति के लिए अमरीकी राजदूत और समन्वयक के साथ सचिव(टी) की 8 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक।
- माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की फिनलैंड के माननीय संचार मंत्री के साथ 8.12.2010 को नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित।

विदेशों में प्रतिनियुक्ति

- माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, भारत सरकार के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल को 9-10 अप्रैल, 2010 के लिए भारत में निवेश की संभावनाओं के बारे में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हांगकांग से बात करने और चर्चा करने के लिए भेजा गया ।
- माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार के नेतृत्व में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को 10-18 जून, 2010 के दौरान जेनेवा, स्वीटजरलैंड में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए भेजा गया।
- अध्यक्ष (दूरसंचार आयोग), दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारतीय शिष्टमंडल को सिंगापुर में आयोजित होने वाले कॉन्फ्रेंस एशिया 2010 में भाग लेने के लिए भेजा गया।
- सदस्य (सेवा) और पदेन सचिव, दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारतीय



शिष्टमंडल को 22-24 जून, 2010 को वाशिंगटन डी0सी0, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (आईटीएसओ) के पक्षकारों की सभा की 34वीं बैठक में भाग लेने के लिए भेजा गया।

- सदस्य (प्रौद्योगिकी) और पदेन सचिव, दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल को सरकारी खर्च पर 9-15 सितंबर, 2010 को कोलम्बो, श्रीलंका में "सभी के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी" पर राष्ट्रमंडल आईटीयू समूह बैठक और सीटीओ फोरम में भाग लेने के लिए भेजा गया।
- माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री भारत सरकार ने 4-5 अक्टूबर, 2010 को गुआडालजरा, मेक्सिको में आईटीयू परिषद की बैठक और आईटीयू पूर्णाधिकार सम्मेलन में भाग लिया।
- दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सदस्य (सेवा) और पदेन सचिव, दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल को 16-17 नवंबर, 2010 को वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (आईटीएसओ) की सलाहकार समिति की 13वीं बैठक में भाग लेने के लिए भेजा गया।
- माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, भारत सरकार के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने 13-16 दिसंबर, 2010 (यात्रा समय को छोड़कर) को अदीस अबाबा, इथियोपिया का दौरा किया।

राजभाषा (हिंदी) का प्रयोग

कार्यकलाप

वर्ष 2010-11 की अवधि (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान, दूरसंचार विभाग के राजभाषा प्रभाग द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों पर कार्य किए गए :

भारत सरकार की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी अनुभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राजभाषा अधिनियम, नियमों एवं उनके तहत जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई। ताकि राजभाषा विभाग द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2010-11 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विभाग, इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजभाषा अधिनियम-1963 की धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन किया गया।

मानीटरिंग और निरीक्षण

इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण भारत में फैले दूरसंचार विभाग के सभी कार्यालयों/इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा पर संसद की दूसरी उप-समिति द्वारा ग्यारह (11) निरीक्षण किए गए। ऐसे सभी निरीक्षणों की अवधि के दौरान राजभाषा प्रभाग ने एक समन्वयक के रूप में कार्य किया। राजभाषा प्रभाग ने इस संबंध में जारी राजभाषा अनुदेशों के उपबंधों के अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु स्वतंत्र रूप से ऐसे आठ (8) निरीक्षण भी किए।

राजभाषा सम्मेलन

दूरसंचार विभाग के राजभाषा प्रभाग के एक अधिकारी ने 12 से 16 मई, 2010 तक जापान में भारतीय संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन " में भाग लिया।



राजभाषा कार्यान्वयन समिति

विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की गईं जिनमें विभाग में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें आयोजित की गईं।

प्रशिक्षण और कार्यशाला

रिपोर्ट अवधि के दौरान इस विभाग के हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखने वाले/कंप्यूटर/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण नहीं जानने वाले कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और कुछ को फरवरी 2011 से शुरू होने वाले इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर के प्रयोग के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गईं।

हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में 14 सितम्बर, 2010 से 30 सितम्बर, 2010 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। विभाग में राजभाषा की प्रगति से संबंधित 14 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए टिप्पण/मसौदा और निबंध लेखन के लिए अलग से प्रतियोगिता आयोजित की गईं।

हिंदी सलाहकार समिति

दिनांक 21 अक्टूबर 2010 के संकल्प द्वारा दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।

कर्मचारी कल्याण तथा खेलकूद संबंधी कार्यकलाप

कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल/कालेजों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को वाहन भत्ता/छात्रावास सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में विपत्तिग्रस्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और मनोरंजन भ्रमण यात्राओं आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना भी शामिल है। वर्ष 2010-11 के दौरान कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :

- मृतक कर्मचारियों के परिवारों को 40,000/- रुपए (चालीस हजार रुपए मात्र) की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई।
- दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) के कर्मचारियों को उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र (एनटीआर)/भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न खेलकूद-कार्यक्रमों में तथा अंतर्मंत्रालयीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए भेजा गया।
- दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि वितरित की गई।
- पिछले वर्ष किये गए अन्य सभी क्रियाकलाप भी विधिवत रूप से निष्पादित किए गए

जेंडर बजटिंग और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान

कल्याणकारी योजनाएं व्यापक तौर पर लिंग-निरपेक्ष और संयुक्त स्वरूप की हैं। तथापि, कुछ योजनाओं जैसे बुक अवार्ड, स्कॉलरशिप अवार्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को अंकों में छूट दी जाती है। इन श्रेणियों के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि बुक अवार्ड/ स्कॉलरशिप योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र आवेदकों



को प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के संबंध में कर्मचारी कल्याण निधि से किया गया व्यय निम्नानुसार है :

- महिला कल्याण पर व्यय की गई धन राशि : 5,90,000/-
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास पर व्यय की गई धनराशि : 3,13,100/-

जेंडर बजटिंग

दूरसंचार विभाग में नवंबर, 2006 में जेंडर बजट प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। उक्त प्रकोष्ठ को आगे अप्रैल, 2010 में पुनर्गठित किया गया था। विभाग का जेंडर बजट प्रकोष्ठ सरकार की जेंडर बजट संबंधी पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा इस क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों की आयोजना तथा प्रतिपादन के स्तर पर संबंधित जेंडर के सरोकार को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए दूरसंचार विभाग की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए महिलाओं के हितलाभ के लिए गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत निधियों का आवंटन निम्नानुसार है :-

(करोड़ ₹ में)

सम्पूर्ण रूप से महिला केन्द्रित कार्यक्रम			
स्कीम का ब्यौरा	ब0प्रा0 2009-10	सं0प्रा0 2009-10	ब0प्रा0 2010-11
कर्मचारियों की सुख-सुविधा	0.00	0.00	0.30
30% तक महिला केंद्रित कार्यक्रम			
स्कीम का ब्यौरा	ब0प्रा0 2009-10	सं0प्रा0 2009-10	ब0प्रा0 2010-11
कर्मचारियों की सुख-सुविधा	0.10	0.10	0.10

सूचना का अधिकार अधिनियम

इस विभाग में सूचना का अधिकार की एक पृथक इकाई की स्थापना की गई और यह 1 जनवरी, 2007 से कार्य कर रही है।

दूरसंचार विभाग की सूचना का अधिकार इकाई जनता की संतुष्टि के अनुरूप आरटीआई आवेदनों के निपटान की प्रणाली को निरंतर सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रही है। आरटीआई इकाई जिसमें केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में निदेशक (समन्वय), सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी की अध्यक्षता में आरटीआई अनुभाग हैं, जो समूचे विभाग, इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों तथा अन्य विभागों/मंत्रालयों के लिए नोडल इकाई के रूप में कार्य रही है। इसके अलावा आरटीआई आवेदनों/अपीलों का शीघ्र निपटान सुकर बनाने के लिए दूरसंचार विभाग में 69 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी अतिरिक्त प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान, 31 दिसंबर, तक 1432 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 426 आवेदनों को अन्य विभागीय लोक प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पास भेजा गया। सूचना के साथ आवेदनों का निपटान लगभग 99% रहा। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो अपवाद हैं, उनको छोड़कर सूचना प्रदान करने से मनाही नहीं की गई।



लोक शिकायत और उनका निवारण

दूरसंचार विभाग अपने लोक शिकायत प्रकोष्ठ में माननीय प्रधानमंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यालय, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, अध्यक्ष के कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा जनता से सीधे शिकायतें प्राप्त करता है। दूरसंचार विभाग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतों के शीघ्र और समय पर निपटान के लिए उनकी मॉनटरिंग करता है।

30 अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार आरंभिक शेष	उक्त अवधि के दौरान दर्ज की गई शिकायतें	कुल	उक्त अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31, दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार
3509	54,746	58,255	55,425	2830

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नीति के अनुसार, निदेशक (कर्मचारी सम्बन्ध) के पर्यवेक्षण के तहत दूरसंचार विभाग में एक एससीटी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है जिन्हें दूरसंचार विभाग के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। संपर्क अधिकारी न केवल विभाग के अधिकारियों को अपितु दूरसंचार विभाग के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 19 निर्णय/आदेशों का कार्यान्वयन किया गया।



III. 1 बेतार आयोजना एवं समन्वय

भूमिका

दूरसंचार विभाग का बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध स्पैक्ट्रम प्रबंधन, बेतार लाइसेंसिंग, फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी नीतियों, स्पैक्ट्रम प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय तथा रेडियो संचार प्रणालियों के लिए भारतीय तार अधिनियम 1885 (आईटीए, 1885) और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 (आईडब्ल्यूटीए, 1933) के प्रशासन का कार्य देखता है।

रेडियो फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए)

एसएसीएफए, सचिव (दूरसंचार) की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय स्थायी समिति है और यह सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं तथा अन्य बेतार प्रयोक्ताओं के लिए बेतार एंटीना की संस्थापना हेतु स्थल स्वीकृति के संबंध में नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। एसएसीएफए ने बेतार प्रयोक्ताओं द्वारा बेतार एंटीना के अप्राधिकृत इस्तेमाल/संस्थापना के मामलों का निपटान किया और किसी बेतार प्रयोक्ता/नेटवर्क के कारण होने वाले अंतःक्षेत्र/व्यवधान/उड़ान संबंधी खतरों के मामलों का भी निपटान किया। बेतार प्रयोक्ताओं को ढांचागत सुरक्षा, पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित अन्य स्थानीय उप विधियों का अनुपालन करना होता है।

राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना (एनएफएपी-2008)

नीतिगत दस्तावेज राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना-2008 (एनएफएपी-2008) को आईटीयू संस्करण 2008 के रेडियो विनियम के अनुरूप तैयार किया गया है ताकि मौजूदा उपयोगों पर अनुचित रूप से दबाव डाले बिना नई उभरती प्रौद्योगिकियों सहित स्पेक्ट्रम की परस्पर विरोधी मांग को पूरा किया जा सके। एनएफएपी-2008 को डब्ल्यूपीसी स्कंध की वेबसाइट पर प्रकाशित और उपलब्ध कराया जाता है।

एनएफएपी-2008 का परिशोधन करने हेतु बेतार सलाहकार की अध्यक्षता में एनएफएपी समीक्षा/पुनरीक्षा समिति का गठन किया गया है। इसकी बैठकें नवंबर और दिसंबर 2010 में आयोजित की गईं।

उपग्रह प्रणाली समन्वय

उपग्रह प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय कार्य अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के अंतरराष्ट्रीय रेडियो विनियमों (आरआर) के उपबंधों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। नेटवर्कों के व्यतिकरण मुक्त प्रचालनों तथा इनके पारस्परिक सह-अस्तित्व के लिए उपग्रह नेटवर्कों का अन्य देशों के उपग्रह नेटवर्कों के साथ फ्रीक्वेंसी आबंटनों का समन्वय आवश्यक है।

2010-2011 की अवधि (अप्रैल-दिसंबर, 2010) के दौरान की वास्तविक स्थिति

अन्य प्रशासनों के साथ उपग्रह समन्वयन

प्रचालक स्तर की कोई भी समन्वयन बैठक नहीं हो पाई, तथापि, डब्ल्यूआरसी-12 हेतु एपीजी की बैठक (13-18 दिसंबर, 2010 के दौरान हाँगकांग में संपन्न) में उपग्रह समन्वय संबंधी द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा इसरो और चीन के एपीटी उपग्रह, मलेशिया के एमईए सैट, ईरान के जॉरसैट के बीच प्रचालक स्तरीय संपर्क स्थापित कराया गया।



आईटीयू के साथ समन्वय

अधिसूचना

जीएसओ से क्रमशः 55ई, 111.5 ई और 83ई पर स्थित उपग्रह नेटवर्क इनसैट-केयू 10(55ई), इनसैट-केयू 10 (111.5 ई) और इनसैट-2(83) के उपग्रह नेटवर्क के पंजीकरण अनुरोधों हेतु फ्रीक्वेंसी संबंधी सूचना रेडियो कम्यूनिकेशन ब्यूरो के बीआर आईएफआईसी में प्रकाशनार्थ बीआर को उपलब्ध करा दी गई है।

प्रशासकीय सम्यक तत्परता

इनसैट केयू 10 (111.5ई) के लिए प्रशासकीय सम्यक तत्परता से संबंधित सामग्री रेडियो कम्यूनिकेशन ब्यूरो के बीआर आईएफआईसी में प्रकाशनार्थ आईटीयू को अग्रेषित कर दी गई है।

समन्वयन अनुरोध

उपग्रह नेटवर्क इनसैट-एमईटी 74ई, इनसैट-एमईटी 81.5ई, इनसैट - एमईटी 82ई, इनसैट - एमईटी 83ई और इनसैट एमईटी 93.5 ई जिनकी जीएसओ अवस्थिति क्रमशः 74, 81.5, 82, 83 और 93.5ई है, के संबंध में समन्वयन संबंधी अनुरोध रेडियो संचार ब्यूरो के बीआर आईएफआईसी में प्रकाशनार्थ आईटीयू को प्रस्तुत की गई है।

उन्नत प्रकाशन सूचना

इनसैट-एनएवी - एनजीएसए (एनजीएसओ) उपग्रह नेटवर्क के संबंध में उन्नत प्रकाशन सूचना आईएफआईसी में प्रकाशनार्थ बीआर को भेजी गई है।

भारतीय अंतरिक्ष, स्थलीय और रेडियो गणित ज्योतिष सेवाओं की अन्य देशों के उपग्रह नेटवर्कों से रक्षा करना

भारतीय उपग्रह और स्थलीय नेटवर्कों को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से चीन, पीएनजी, मॉरीशस, कतर, यूएई, यूएसए, रूस, इजरायल, एएफएस, कोरिया, फ्रांस, नाइजीरिया, नॉर्वे, जर्मनी, जापान, वियतनाम, स्विट्जरलैंड, साइप्रस, मलेशिया, लक्जेम्बर्ग, हॉलैंड, मिस्र, स्वीडन, थाइलैंड, यूनान, यूके, तुर्की, उक्रेन, पाकिस्तान, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सउदी अरब, मोनाको, नीदरलैंड और कोटे डिवॉयरे के अंतरिक्ष प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संबंध में बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित फ्रीक्वेंसी आवंटन सूचनाओं पर आपत्ति व्यक्त की गई।

उन्नत प्रकाशन सूचना (एपीआई) वर्तमान और आयोजनागत इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के दृष्टिगत यूके, हॉलैंड, यूएसए, कोरिया, पीएनजी, स्पेन, इजरायल, नॉर्वे जापान, उक्रेन और यूएई प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संबंध में बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित की गई **उन्नत प्रकाशन सूचना (एपीआई)** पर आपत्ति व्यक्त की गई।

समन्वयन अनुरोध (सीआर): वर्तमान और आयोजनागत इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के दृष्टिगत चीन, अजरबैजान, फ्रांस, लक्जेम्बर्ग, पीएनजी और सिंगापुर प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संबंध में बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित किए गए फ्रीक्वेंसी आवंटनों पर आपत्ति व्यक्त की गई।

पंजीकरण हेतु फ्रीक्वेंसी नोटिस (पार्ट-1 एस): वर्तमान और आयोजनागत इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के दृष्टिगत चीन और रूस प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संबंध में बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित किए गए फ्रीक्वेंसी आवंटनों पर आपत्ति व्यक्त की गई।

परिशिष्ट एपी 30 बी के अनुसार एफएसएस योजना: वर्तमान और आयोजनागत इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के दृष्टिगत हॉलैंड, सिंगापुर और लक्जेम्बर्ग प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संबंध में फ्रीक्वेंसी आवंटनों पर आपत्ति व्यक्त की गई।



अंतरराष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन सर्कुलर (बीआरआईएफआईसी) के विशिष्ट अनुच्छेदों में निम्नलिखित भारतीय उपग्रह नेटवर्क प्रकाशित किए गए:

पंजीकरण हेतु फ्रीक्वेंसी नोटिस (पार्ट-II-एस)

- (i) चंद्रयाण-1 उपग्रह नेटवर्क के संबंध में पार्ट-II एस प्रकाशित किया गया है।
- (ii) इनसैट-2 ए (83ई) इनसैट-2बी (93.5ई), इनसैट 2सी (74ई), इनसैट-इके 48 (48ई), इनसैट-ईके 55 (55ई), इनसैट-केयू 10(111.5) ई (111.5ई) और इनसैट - केयू 10(55ई)(55ई) उपग्रह नेटवर्क के संबंध में भाग 1-एस प्रकाशित किया गया है।

समन्वयन अनुरोध (सीआर/सी)

- (i) इनसैट-टीटीसी (81.5ई) (81.5ई) के संबंध में एआरएस, बीएलआर/आईके, सीएचएन, सीवाईपी, एफ,जे, एमएलए, पीएके, पीएनजी, आरयूएस/आईके, आरयूएस, एसएनजी, टीएचए, टीयूआर, यूएसए के विरुद्ध आरआर 9.7 में समन्वयन अनुरोध (सीआर) प्रकाशित किए गए हैं।
- (ii) समन्वयन प्रगति रिपोर्ट (सीआर/डी) भारत के इनसैट - केएयूएचएफ (74), इनसैट-केएयूएचएफ (83) और इनसैट-केएयूएचएफ (93.5) जो क्रमशः 74ई, 83ई और 93.5ई अवस्थितियों पर हैं तथा इनसैट - एनएवी-ए - जीएस (एनजीएसओ), इनसैट-एनएवी-ए (34) (34ई), इनसैट-एनएवी-ए (83) (83ई) और इनसैट-एनएवी (131.5) (131.5ई) के संबंध में समन्वयन प्रगति रिपोर्ट (सीआर/डी) अंतरराष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन सर्कुलर ऑफ रेडियो कम्यूनिकेशन ब्यूरो (बीआरआईएफ आईसी) में प्रकाशित किया गया है।

उन्नत प्रकाशन सूचना

भारतीय प्रशासन के इनसैट-एमईटी 81.5ई (81.5ई), इनसैट-एमईटी (82ई) (82ई), इनसैट - एमईटी (94ई) (94ई), इनसैट एनएवी-ए-जीएस और ओसियन सैट-2 (एनजीएसओ) के संबंध में उन्नत प्रकाशन सूचना (एपीआई) प्रकाशित की गई है।

एफएसएस योजना प्रकाशन (एपी 30 बी)

- क्रमशः इनसैट-ईएक्ससी-40.5ई (40.5ई) इनसैट-ईएक्ससी-49ई (49ई) इनसैट-ईएक्ससी-59.1ई(59.1ई), इनसैट-ईएक्ससी 67 ई (67ई) और इनसैट-ईएक्ससी-114ई (114ई) को आईएफआईसी के अंतर्गत प्रकाशित कराया गया।
- आईएनडी00000 (74ई) के संबंध में प्रकाशन का समनुदेशन में रूपांतरण को बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित किया जाता है।

प्रशासकीय सम्यक तत्परता

भारतीय प्रशासन की 55ई अवस्थिति पर इनसैट-केयू 10 (55ई) के संबंध में आरईएस-49/1382 प्रकाशन के अंतर्गत सम्यक तत्परता से संबंधित सामग्री प्रकाशित की गई है।

राष्ट्रीय स्तर की बैठकें

उपग्रह समन्वयन संबंधी विभिन्न मुद्दों के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए उपग्रह प्रचालकों के साथ राष्ट्रीय स्तर की तीन बैठकें आयोजित की गई हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बैठकें

राष्ट्रीय हितों विशेषकर स्पेक्ट्रम प्रबंधन तथा रेडियो संचार से जुड़े मामलों के संरक्षणार्थ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) तथा एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) के तत्वावधान में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों के लिए राष्ट्रीय तैयारियों, भागीदारी तथा अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई थी।



अप्रैल-दिसंबर, 2010 के दौरान उपलब्धियां

भारत में सबसे पहली बार 15 मार्च से 01 अप्रैल, 2010 के दौरान बेंगलुरु में इसरो द्वारा 4ए, 4बी और 4सी वर्किंग पार्टी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विश्वभर से 250 से भी अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए और यह बैठक काफी सफल हुई। भारत ने विश्व रेडियो संचार कन्फ्रेंस 2012 की (डब्ल्यूआरसी-12) कार्यसूची मद 1.13 के संबंध में सीपीएम टेक्स्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए वर्किंग दस्तावेज के संबंध में प्रस्ताव किया। डब्ल्यूपीसी विंग के अधिकारियों ने आईटीयू और एमपीटी की निम्निलिखित बैठकों में भाग लिया।

- 13-22 अप्रैल, 2010 के दौरान जेनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न आईटीयू परिषद का 2010 सत्र।
- 30 अप्रैल से 07 मई, 2010 के दौरान जेनेवा में संपन्न आईटीयू - आर संयुक्त कार्यदल 5-6 की पांचवीं और अंतिम बैठक।
- 27 से 30 अप्रैल, 2010 के दौरान जेनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न आईटीयू-आर अध्ययन दल 6 की वर्किंग पार्टियों 6ए, 6बी और 6सी की बैठकें। भारत ने वर्किंग पार्टी 6ए के विचारार्थ दो तकनीकी प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए।
- 09-16 जून, 2010 के दौरान वियतनाम में संपन्न आईटीयू - आर अध्ययन दल 5डी की वर्किंग पार्टी 5डी की बैठक।
- सिंगापुर में 17-18 जून, 2010 के दौरान संपन्न स्पेक्ट्रम/ऑर्बिट संसाधन के दक्ष प्रयोग पर आईटीयू/आईडीए कार्यशाला का आयोजन।
- 28 जून से 6 जुलाई, 2010 के दौरान जेनेवा में संपन्न आईटीयू आर स्टडी ग्रुप 4 की वर्किंग पार्टी 4सी की बैठक।
- 7-15 जुलाई, 2010 के दौरान जेनेवा में संपन्न आईटीयू-आर अध्ययन दल 4 की वर्किंग पार्टी 4 ए की बैठक।
- 06-08 सितंबर, 2010 के दौरान लंदन में इंडो-ब्रिटिश टेलीकॉम फोरम की तीसरी बैठक।
- 13 से 16 सितंबर, 2010 के दौरान सियोल, कोरिया गणराज्य में संपन्न एपीटी वायरलेस फोरम (एडब्ल्यूएफ-9) की नौवीं बैठक। भारत में एडब्ल्यूएफ-9 के विचारार्थ "यूएचएफ 698-806 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तावित फ्रीक्वेंसी व्यवस्था" पर एक दस्तावेज भी प्रस्तुत किया।
- 13-20 अक्टूबर, 2010 के दौरान जेनेवा में संपन्न आईटीयू आर एसजी 5 की डब्ल्यूपी 5 डी की नौवीं बैठक। भारत ने इस बैठक में विचारार्थ "यूएचएफ बैंड 698-806 मेगाहर्ट्ज के लिए प्रस्तावित फ्रीक्वेंसी विन्यास" विषय पर एक दस्तावेज की प्रस्तुत किया।
- विनियामक और क्रियाविधि मामलों पर आईटीयू-आर विशेष समिति की बैठक 1 से 5 नवम्बर, 2010 के दौरान जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई।
- आईटीयू विश्व रेडियो संचार सेमिनार-2010 6 से 10 दिसम्बर, 2010 के दौरान जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ।



- डब्ल्यूआरसी-12 के लिए एशिया प्रशांत टेलीकम्युनिटी सम्मेलन के तैयारी समूह की चौथी बैठक 13 से 18 दिसम्बर, 2010 के दौरान हांगकांग, चीन में आयोजित की गई। डब्ल्यूआरसी-12 एजेंडा मद से 1.2, 1.3 और 7 पर तीन प्रस्ताव, जिन्हें इस बैठक के विचारार्थ भेजा गया, फरवरी, 2011 में जेनेवा में आयोजित होने वाले आईटीयू-आर सम्मेलन की तैयारी बैठक (सीपीएम 11-2) की दूसरी बैठक के विचारार्थ साझा एपीटी प्रस्ताव में शामिल थे।
- आईटीयू का पूर्णाधिकारी सम्मेलन 2010 (पीपी-10) 4-20 अक्टूबर, 2010 को मेक्सिको में आयोजित हुआ। श्री पी.के.गर्ग, पूर्व बेतार सलाहकार, भारत सरकार, रेडियो विनियमन बोर्ड (आरआरबी) के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए।

राष्ट्रीय तैयारी समिति (एनपीसी)

डब्ल्यूआरसी-12 के लिए राष्ट्रीय तैयारी समिति (एनपीसी) जिसे सम्मेलन के कार्य के लिए भारतीय प्रस्तावों को तैयार करने के लिए डब्ल्यूआरसी-12 के विभिन्न एजेंडा मदों पर राष्ट्रीय विचारों का समन्वय करने तथा उनमें सामंजस्य लाने तथा अन्य प्रशासनों के प्रस्तावों पर भारतीय दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने के लिए गठित किया गया है, की तीन बार बैठकें हुईं। इसने डब्ल्यूआरसी-12 के एजेंडा मदों 1.2, 1.5, 1.13, 1.18, 1.23, 4 और 7 पर आठ प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया।

जनवरी से मार्च, 2011 तक प्रत्याशित उपलब्धियां

राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना को अंतिम रूप दिया जाना

एपीजी और डब्ल्यूआरसी-12 की अगली बैठक के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए एनपीसी की बैठक।

भारतीय दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए आईटीयू और एपीटी बैठकों में भागीदारी जारी रखी जाएगी।

विनियमन

अप्रैल - दिसम्बर, 2010 की अवधि के लिए एकक की वास्तविक उपलब्धियां, कार्यकलाप और कार्य-निष्पादन

इस अवधि के दौरान अत्यंत कम शक्ति के रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरणों या उपकरणों, जिसमें कम रेंज के उपकरण या रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान उपकरण शामिल हैं, के उपयोग के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धाराओं 4 और 7 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 (1933 का 17) की धाराओं 4 और 10 के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित की गई। इससे हमारे देश की जनता को विशेष रूप से अन्य उद्योग सहित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र में काफी लाभ प्राप्त होता है।

लघु शीर्ष और प्रारंभ: 13.553-13.567 मेगाहर्टज फ्रीक्वेंसी रेंज में इंडोर अनुप्रयोग के लिए अत्यंत कम शक्ति के रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरणों का उपयोग (लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट) नियमावली, 2010 (सा.का.नि.884(ई), दिनांक 4 नवंबर, 2010)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) नई दिल्ली द्वारा निर्मित "कोर समूह" ने देश के भीतर विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञों की विभिन्न बैठकें बुलाने के पश्चात राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एनडीसीएन) पर दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जिनमें डब्ल्यूपीसी स्कंध ने निम्नलिखित तरीके से महत्वपूर्ण योगदान किया।



कोर समूह की विभिन्न बैठकों के दौरान एनडीएमए को सूचित किया गया कि 1 अप्रैल, 2009 से लागू वर्तमान राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना-2008 (एनएफएपी-2008) दस्तावेज नई उभरती और मौजूदा प्रौद्योगिकियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से तेजी से बदलते परिदृश्य में सरकारी और निजी क्षेत्रों की स्पेक्ट्रम आवश्यकता को ध्यान में रखकर और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2003 और 2007 (डब्ल्यूआरसी 2003 और 2007) के निर्णयों/सिफारिशों आदि को ध्यान में रखकर आईटीयू के ढांचे के भीतर तैयार किया गया है।

एनएफएपी-2008 जो डब्ल्यूपीसी स्कंध की वेबसाइट अर्थात् www.wpc.dot.gov.in पर उपलब्ध है, के अनुसार किसी आपदा के दौरान वायरलेस संचार संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान एनएफएपी स्पेक्ट्रम नीति दस्तावेज में जन सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। इस समय लागू एनएफएपी 2008 दस्तावेज में वर्णित प्रासंगिक आईएनडी 73 टिप्पणी विश्वभर में अपनाए गए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमन व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए संशोधित की गई है जिसमें दर्शाया गया है कि विशिष्ट आवश्यकता और उपकरणों की उपलब्धता के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर जहां तक संभव हो, फ्रीक्वेंसी बैंड 380 - 400 मेगाहर्ट्ज, 406.1-430 मेगाहर्ट्ज, 440-470 मेगाहर्ट्ज, 746-806 मेगाहर्ट्ज, 806-824/851-869 मेगाहर्ट्ज, 4940-4990 मेगाहर्ट्ज और 5850-5925 मेगाहर्ट्ज में जन सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार की आवश्यकता पर विचार किया जाए।

अप्रैल-दिसम्बर अवधि के लिए प्रत्याशित उपलब्धियां, कार्यकलाप

विभिन्न आवेदकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर फ्रीक्वेंसी बैंड 433-434 मेगाहर्ट्ज में कम शक्ति के रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरणों के प्रयोग को लाइसेंस मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि गैर व्यतिकरण, गैर सुरक्षा और साझा (गैर अनन्य) आधार पर कतिपय तकनीकी पैरामीटरों के अनुपालन के अधधीन बैंड में लाइसेंस मुक्त दशाओं में कार्य किया जा सके।

स्पेक्ट्रम प्रबंधन का स्वचालन और अनुश्रवण प्रणाली का संवर्धन

- **एनआरएसएमएमएस परियोजना:** "राष्ट्रीय रेडियो स्पेक्ट्रम प्रबंधन और अनुश्रवण प्रणाली (एनआरएसएमएमएस) परियोजना की डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापना और उसे चालू करने के कार्य को डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के अधीन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन और अनुश्रवण कार्यों को स्वचालित किया गया है ताकि इन गतिविधियों को और अधिक प्रभावी और कुशलतापूर्ण बनाया जा सके। एनआरएसएमएमएस के दो अंतरसंबंधित घटक हैं - "स्वचालित स्पेक्ट्रम प्रबंधन प्रणाली (एएसएमएस) और "राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम अनुश्रवण प्रणाली (एनएसएमएस)"। एएसएमएस संबंधी कार्य पूरा हो गया है और प्रचालन में है। एनआरएसएमएमएस परियोजना के तहत पूर्ण सुविधाओं को संविदा करार के अनुसार 15.10.2009 से एएमसी के अधीन रखा गया है। दूसरे वर्ष के लिए एएमसी को बढ़ाया जा रहा है।

वर्ष के दौरान रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रबंधन, नए फ्रीक्वेंसी आवंटन/जारी किए गए लाइसेंसों के संबंध में उपलब्धियां आगे तालिका में दी गई हैं।



	अप्रैल-दिसंबर, 2010 (वास्तविक)	जनवरी-मार्च 2010 (अनुमानित)
1.1 रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन		
विभिन्न प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत नई रेडियो फ्रीक्वेंसी	512598	25350
पंजीकरण हेतु आईटीयू के रेडियो संचार ब्यूरो को सूचित फ्रीक्वेंसी आबंटन	-	-
अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे के लिए आबंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी	-	-
एसएसीएफए (फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) की आयोजित बैठकें	-	-
आयोजित अंतर-विभागीय बैठकों की सं०	-	-
नए बेतार केन्द्रों हेतु स्वीकृत स्थल	321793	265511
विशेष मॉनीटरिंग मामलों की संख्या -	-	-
1.1 जारी किए गए बेतार लाइसेंस		
जारी किए गए आयात लाइसेंसों की सं०	856	550
नए बेतार केंद्रों को जारी किए गए लाइसेंसों की सं०	102292	27650
नवीकृत लाइसेंसों (बेतार केंद्रों हेतु) की सं०	28150	4085
1.1 प्रवीणता प्रमाण-पत्र (सीओपी) परीक्षा/लाइसेंस		
आयोजित प्रवीणता प्रमाण-पत्र परीक्षाओं की सं०	36	13
दाखिल किए गए उम्मीदवारों की सं०	7321	2700
जारी किये गए लाइसेंसों की सं०	1756	575
नवीकृत लाइसेंसों की सं०	2809	800
नए रेडियो एमेच्योर केंद्रों को जारी लाइसेंसों की सं०	40	60
पुराने रेडियो एमेच्योर केंद्रों हेतु नवीकृत लाइसेंसों की सं०	272	300

बेतार अनुश्रवण संगठन

बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ) 3जी, बीडब्ल्यूए इत्यादि जैसी नई सेवाएं प्रारंभ करने के लिए तेजी से संकुलित होते रेडियो वातावरण में डब्ल्यूपीसी स्कंध को आवश्यक तकनीकी डाटा प्रदान करने के साथ-साथ बाधा रहित बेतार सेवाएं सतत रूप से प्रदान कर रहा है।

रेडियो मॉनीटरिंग - एक विनियामक और संधिपरक अपेक्षा

रेडियो मॉनीटरिंग सेवा, एक विनियामक और संधिपरक अपेक्षा का क्रियान्वयन बेतार अनुश्रवण संगठन, बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध (डब्ल्यूपीसी विंग), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। यह अनिवार्यतः



तकनीकी प्रकृति का मामला है और इसके प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संधिपरक दस्तावेज़ - अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो विनियमन से लिए गए हैं।

रेडियो विनियम की प्रस्तावना में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रत्येक सदस्य देश की रेडियो मॉनीटरिंग सेवा के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित हैं।

- रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और भूस्थानिक-उपग्रह कक्ष के प्राकृतिक संसाधनों तक साम्ययुक्त अभिगम्यता और उनके युक्तिसंगत उपयोग को सुगम बनाना;
- विपत्ति और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई फ्रीक्वेंसियों की खतरनाक व्यतिकरण से रक्षा करना और इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- विभिन्न प्रशासनों की रेडियो सेवाओं के बीच खतरनाक व्यतिकरण के मामलों से बचने और उनको निपटाने में सहायता करना;
- सभी रेडियो संचार सेवाओं के दक्ष और प्रभावी प्रचालन को सुगम बनाना;
- रेडियो-संचार प्रौद्योगिकी के नए अनुप्रयोगों को, जहां आवश्यक हो, उपलब्ध कराना और नियंत्रित करना।

बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ) के प्रमुख कार्य

डब्ल्यूएमओ के प्रमुख कार्यों के रूप में ऊपर सूचीबद्ध उद्देश्यों के साथ, राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम प्रबंधन निकाय-डब्ल्यूपीसी स्कंध - को डब्ल्यूएमओ से अनेक सेवाओं की अपेक्षा है। व्यावहारिक रूप से, डब्ल्यूएमओ के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :-

- खतरनाक व्यतिकरण का समाधान;
- नई सेवाएं प्रारंभ करने और/या मौजूदा सेवाओं हेतु अतिरिक्त आवंटन के लिए फ्रीक्वेंसी उप-बैंडों की पहचान के लिए मॉनीटरिंग;
- प्राधिकृत एजेंसियों से अप्रयुक्त/कम-प्रयुक्त फ्रीक्वेंसी के संबंध में स्पेक्ट्रम की वापसी के लिए मॉनीटरिंग;
- लाइसेंसिंग शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग;
- घरेलू बेतार प्रयोक्ताओं को सहायता;
- विदेशी प्रशासन को सहायता;
- अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विशेष मॉनीटरिंग अभियानों में भागीदारी;
- नए रेडियो संचार मानकों के लागू किए जाने की संभावना और साथ ही प्रस्तावित नए अधिष्ठापनों की ईएमसी अनुरूपता का अध्ययन करने के लिए रेडियो उत्सर्जनों (इरादतन और गैर-इरादतन) मापन;
- लाइसेंसिकृत अधिष्ठापनों का निरीक्षण; और
- प्राधिकृत उपग्रह पारेषणों की रक्षा के लिए आकाशीय उत्सर्जनों की मॉनीटरिंग।

डब्ल्यूएमओ के समक्ष चुनौतियां

समाज (सरकार और सार्वजनिक समान रूप से) की बेतार संचार पर बढ़ती निर्भरता के कारण डब्ल्यूएमओ से अपेक्षा की जाती है कि वह रेडियो संचार का निर्बाध वातावरण सुनिश्चित करे। अतः फिलहाल डब्ल्यूएमओ का ध्यान प्राथमिक रूप



से सार्वजनिक मोबाइल रेडियो संचार सेवाओं, सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं और जीवन-सुरक्षा सेवाओं पर है। डब्ल्यूएमओ बाधा रहित वातावरण में इन सेवाओं का सतत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों -- जन-शक्ति और मशीनी-शक्ति -- पर गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहा है। इन सेवाओं के बाधा रहित प्रचालन का प्राथमिक कारण समग्र समाज को अत्यधिक महत्व देने में निहित है। सार्वजनिक मोबाइल सेल्युलर सेवा के संबंध में, डब्ल्यूएमओ के दो उद्देश्य हैं : (i) विभिन्न कारणों की वजह से होने वाली बाधा के स्रोतों को पहचानना और उन्हें दूर करना और (ii) मौजूदा 2जी सेवाओं के विस्तार और 3जी सेवाओं की शुरुआत के लिए अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना। जहां तक सार्वजनिक प्रसारण का संबंध है, इसके पारेषण से एयरोनोटिकल मोबाइल संचार (नागर विमानन) पर प्रभाव पड़ता देखा गया है और इससे लाइसेंसिकरण के मानदंडों का उल्लंघन भी होता है। इन अतिमहत्वपूर्ण सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएमओ ग्राहकों के अनुकूल रेडियो अनुश्रवण उत्पादों के अधिप्रापण पर कार्य कर रहा है। रेडियो मानीटरिंग के सेवा संबंधी पहलु के अलावा, डब्ल्यूएमओ को स्पेक्ट्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होती है जिससे डब्ल्यूपीसी स्कंध/डब्ल्यूएमओ का राजस्व संग्रहण लगभग 3500 करोड़ रु0 प्रति वर्ष बनता है जो वह लाइसेंसधारकों से स्पेक्ट्रम प्रभारों के रूप में प्राप्त करता है।

दूरसंचार आयोग के अनुमोदन से, डब्ल्यूएमओ ने नवंबर, 2009 में भुवनेश्वर, देहरादून, लखनऊ, पटना, रायपुर और विजयवाड़ा में छह नए बेतार अनुश्रवण स्टेशन स्थापित करने का आदेश जारी किया है। इन छह अतिरिक्त बेतार अनुश्रवण स्टेशनों के लिए तकनीकी अवसंरचना अन्य बेतार अनुश्रवण स्टेशनों के पास मौजूदा उपलब्ध अवसंरचना की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से सार्वजनिक मोबाइल तथा प्रसारण सेवाओं की अनुश्रवण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस प्रयोजनार्थ डब्ल्यूएमओ ने "पोर्टेबल मानीटरिंग उपस्कर युक्त छह वाहन आरोपित मानीटरिंग टर्मिनल तथा नेटवर्क विश्लेषण एवं कवरेज मापक उपस्करों" के प्रापण हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन सुविधाओं की अनुमानित लागत 28.0 करोड़ रु0 है और प्रापण वर्ष 2010-11 में प्रभावी हो सकेगा।

नए बेतार अनुश्रवण केंद्रों के लिए भूमि के प्रापण के मामले को वर्ष 2007 में संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया था। डब्ल्यूएमओ निरन्तर प्रयास से बेतार अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से भुवनेश्वर, देहरादून और नया रायपुर में पहले ही भूमि का प्रापण कर चुका है।

डब्ल्यूएमओ चालू वित्त वर्ष की योजना में 28.0 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत के 4 "एसएचएफ माइक्रोवेव मॉनीटरिंग टर्मिनलों" का अधिप्रापण करना चाहता है। इन माइक्रोवेव टर्मिनलों का अधिप्रापण डब्ल्यूएमओ को माइक्रोवेव मानीटरिंग क्षमता से सुसज्जित करने का प्रथम चरण होगा।

अत्यधिक संकुलित रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के चलते नई अनुश्रवण चुनौतियों को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक दूर करने के लिए डब्ल्यूएमओ ने नई प्रौद्योगिकियों को लाने और क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाए हैं। जहां तक नई प्रौद्योगिकियों का संबंध है साफ्टवेयर और हार्डवेयर का अधिप्रापण पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है। अनुश्रवण और सूचना प्रौद्योगिकी पर गहन प्रशिक्षण का लक्ष्य क्षमता-निर्माण है। इन दोनों पहलुओं को संयुक्त रूप से अनुश्रवण मुख्यालय और प्रशिक्षण व विकास केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

जालना (महाराष्ट्र) में स्थित उपग्रह अनुश्रवण भू-केन्द्र भारत से संबंधित ज्यो-आर्क में स्थित सभी उपग्रहों से प्राप्त सिगनलों का अनुश्रवण सतत रूप से कर रहा है। निकट भविष्य में इसके मापन प्रकार्यात्मकता को बढ़ाने की योजना है।

विशाखापट्टनम और भोपाल में दो नए भवनों का निर्माण 2009 में पूरा हो गया था। इस स्थानों पर स्थित बेतार अनुश्रवण केन्द्रों ने नए निर्मित भवनों से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएमओ ने जालंधर, मैंगलोर और सिलिगुडी स्थित बेतार अनुश्रवण केन्द्रों के कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए 14.66 करोड़ रु0 के व्यय की



मंजूरी दी है। इस अतिरिक्त, नागपुर में नए भवनों के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किया गया प्रारंभिक प्राक्कलन वित्तीय सहमति हेतु प्रक्रियाधीन है।

डब्ल्यूएमओ ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त दूरसंचार सुधार परियोजना के माध्यम से रेडियो स्पैक्ट्रम अनुश्रवण क्षमताओं का व्यापक आधुनिकीकरण किया है। इस परियोजना के तहत 21वीं/यूएचएफ मोबाइल अनुश्रवण टर्मिनलों का अधिप्रापण किया गया। इसके अतिरिक्त एचएफ और डीएफ सुविधाओं को भी हासिल किया गया है।

डब्ल्यूएमओ के सरकारी काम-काज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009-10 में किए गए प्रशंसनीय कार्य के सम्मान में श्री वी0वी0 सिंह, निदेशक, बेतार अनुश्रवण संगठन की अध्यक्षता में दिनांक 19 दिसंबर, 2010 को अंतरराष्ट्रीय बेतार अनुश्रवण केन्द्र, नई दिल्ली में राजभाषा शील्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय बेतार अनुश्रवण केन्द्र, नई दिल्ली ("क" क्षेत्र से), अंतरराष्ट्रीय बेतार अनुश्रवण केन्द्र, मुम्बई ("ख" क्षेत्र से) और अंतरराष्ट्रीय बेतार अनुश्रवण केन्द्र, कोलकाता और बेतार अनुश्रवण केन्द्र बंगलुरु (दोनों "ग" क्षेत्र से) को राजभाषा शील्ड प्रदान किए गए थे।

चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल-दिसंबर, 2010 के पहले नौ माह के दौरान सांख्यिकीय निष्पादन संबंधी आंकड़ें और जनवरी-मार्च, 2011 के दौरान अनुमानित निष्पादन का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :-

क्र० सं०	मर्दे	01.04.2010 से 31.12.2010 के दौरान वास्तविक उपलब्धि	01.01.2011 से 31.03.2011 के दौरान अनुमानित उपलब्धि
1.	निपटाए गए मानीटरिंग कार्य	9028	6800
2.	मानीटर किए गए बेतार पारेषणों की सं०	104934	241000
3.	विनिर्दिष्ट मानकों के भीतर अपना प्रचालन बनाए रखने के लिए दी गई तकनीकी सहायता	549	600
4.	सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु विभिन्न बेतार प्रयोक्ता को सूचित अतिलंघनों की संख्या	5285	1800
5.	रेडियो मानीटरिंग हेतु प्रयुक्त चैनल दिवस	4821	4480
6.	निरीक्षण किए गए बेतार केन्द्रों की संख्या	2763	900
7.	रेडियो नॉयज मापकों की संख्या	693988	45000
8.	निपटाई गई अति प्राथमिकता व्यतिकरण संबंधी शिकायतों की संख्या	83	20
9.	निपटाई गई मानक व्यतिकरण संबंधी शिकायतों की सं०	22	10
10.	उच्च स्तरीय तकनीकी कार्य हेतु श्रम दिवसों की संख्या	350	100
11.	आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या	03	02
12.	प्रशिक्षण हेतु श्रम दिवसों की संख्या	211	213

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 2 दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र

प्रस्तावना

दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र, दूरसंचार विभाग का एक तकनीकी स्कंध है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं :-

- भारतीय दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रचालकों हेतु मानक और विनिर्देशन तैयार करना।
- उपस्कर और सेवाओं का मूल्यांकन करना।
- उपस्कर, प्रौद्योगिकी और सेवाओं हेतु अनुमोदन देना।
- नई प्रौद्योगिकी और सेवाओं का अध्ययन करना तथा भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में सेवाओं को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग को तकनीकी परामर्श प्रदान करना।
- दूरसंचार विभाग को तकनीकी और परामर्शी सहायता प्रदान करना।
- दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर ट्राई, टीडीएसएटी, यूएसओएफ, बीएसएनएल और एमटीएनएल को तकनीकी सलाह देना।
- दूरसंचार विभाग की मूलभूत तकनीकी योजनाएं तैयार करना।
- दूरसंचार विभाग के माध्यम से एपीटी, ईटीएसआई और आईटीयू आदि जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से संवाद करना।
- एमआरए के लक्ष्यों का विस्तार करने के लिए सुविधाओं का सृजन।
- आर एण्ड डी के परिणामों और अद्यतन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आवश्यक दक्षता विकसित करना।
- दूरसंचार विभाग स्तर पर नीति नियोजन हेतु, दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकासों पर ब्यौरे प्रदान करने के लिए सी-डॉट के साथ समन्वय बनाना।

उपलब्धियां

अप्रैल-दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

जारी किए गए नए जीआर/आईआर	4
संशोधित किए गए जीआर/आईआर	11
तैयार की गई परीक्षण अनुसूचियां/प्रक्रियाएं	15

अनुमोदन प्रदान करने संबंधी इसके कार्यकलापों के भाग के रूप में

- अन्य नेटवर्क के साथ इंटरफेसिंग के लिए उपस्कर हेतु 97 इंटरफेस अनुमोदन जारी किए गए।
- निजी प्रचालकों के नेटवर्क के लिए 61 अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किए गए।
- उपस्कर के लिए 11 टाइप अनुमोदन जारी किए गए।



- अप्रैल 2010 - सितंबर 2010 के दौरान विभिन्न विक्रेताओं से परीक्षण शुल्क और दस्तावेजों की बिक्री से एकत्र किए गए राजस्व की राशि 1.34 करोड़ रु0 है।
- स्विचन और पारेषण से जुड़े मुद्दों के संबंध में दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया गया।
- "पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड नेटवर्क" परियोजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 40 वी-सैट टर्मिनल संस्थापित किए गए।
- एएलटीटीसी, गाजियाबाद में टीईसी के अधीन राष्ट्रीय दूरसंचार अकादमी (एनटीए) का गठन।

अंतरराष्ट्रीय बैठकों में प्रस्तुतीकरण

- एपीटी की बैठकों में और हैदराबाद में आईटीयू की डब्ल्यूटीडीसी-10 की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों की प्रस्तुति की तैयारी और उनका प्रस्तुतीकरण
 - i. आपातकालीन संचार हेतु सूचना के साझा डाटाबेस और रेडियो उपस्कर के साझेदारी-तंत्र का सृजन।
 - ii. अगली पीढ़ी के नेटवर्कों में अंतर-प्रचालनीयता।
 - iii. डिजिटल प्रसारण में आईटीयू-डी की सहायता।
- आईटीयू की डब्ल्यूटीडीसी-10 बैठक में "हैदराबाद घोषणा" का प्रतिपादन।
- भारत के हितों की सुरक्षा करने के लिए आईटीयू के विभिन्न सत्रों और एपीटी की बैठकों में किए गए अतिरिक्त योगदान।
- नई दिल्ली में आईटीयू की कार्यशाला में "एनजीएन विनियमन और माइग्रेशन कार्यनीतियों" और "आईपीवी6 में सुरक्षा संबंधी मुद्दे" पर प्रस्तुतीकरण।
- नई दिल्ली में भारतीय उद्योग मंडल की ओर से इंडिया टेलीकॉम 2010 के संबंध में आयोजित संगोष्ठी में "स्वदेशी विनिर्माण कार्य को सामर्थ्य प्रदान करने की दृष्टि से अनुसंधान एवं विकास की सहायता के माध्यम से आईपीआर का सृजन करने" के संबंध में प्रस्तुतीकरण।

नवीन प्रौद्योगिकियों में अद्यतन विकास कार्यों के साथ-साथ चलने और भारत के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय बैठकों में सहभागिता की गई

- (i) जिनेवा में आईटीयू-टी अध्ययन समूह-13 की बैठक
- (ii) जिनेवा में भावी नेटवर्कों के संबंध में फोकस ग्रुप की आईटीयू-टी की बैठक
- (iii) हैदराबाद में आईटीयू की डब्ल्यूटीडीसी-10 की बैठक
- (iv) जिनेवा में आईटीयू-आर कार्यदल 4बी की बैठक
- (v) जिनेवा में आईटीयू-टी एनजीएन - जीएसआई की बैठक
- (vi) जिनेवा में भावी नेटवर्कों के संबंध में फोकस ग्रुप की आईटीयू-टी की बैठक
- (vii) ग्वाडालाजरा, मैक्सिको में आईटीयू का पूर्णाधिकारी सम्मेलन-2010
- (viii) चीन में आईटीयू-आर कार्यदल 5डी की बैठक; जिनेवा में आईटीयू-टी एसजी-5 की बैठक
- (ix) जिनेवा में आईटीयू-आर कार्यदल 5ए की बैठक
- (x) ल्जुब्लजाना में भावी नेटवर्कों के संबंध में फोकस ग्रुप की आईटीयू-टी की बैठक
- (xi) हांग कांग में डब्ल्यूआरसी के लिए एपीटी की प्रारंभिक बैठक।

एएलटीटीसी गाजियाबाद में एनटीए का कार्यकरण

- मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर 2 कार्यशालाएं
- "ईएमएफ मापन और अनुपालन लेखा परीक्षा" पर 2 कार्यशालाएं



महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन

- राष्ट्रीय कार्यदल 5ए और 5बी की बैठक
- राष्ट्रीय कार्य समूह 11, 15 और 17 की बैठक

अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप

- टीईसी की आईएसओ 9001: 2008 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया
- "आईपीवी4 से आईपीवी6 में माइग्रेशन में सहायता प्रदान करने" के लिए आईपीवी6 प्रोमोशन काउंसिल, जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- यूएसओएफ के अधीन ग्रामीण जीएसएम नेटवर्क की प्रायोगिक परियोजना का वैधीकरण
- सी-डॉट की एडीएसएल और डीएसएलएएम परियोजना का क्षेत्र परीक्षण
- टीईसी की द्विभाषी वेबसाइट का शुभारंभ
- राष्ट्रीय आईपीवी6 संस्थापन की रूपरेखा जारी की गई
- आईपीवी6, ग्रामीण संचार और एनजीएन रिलीज़-II से संबंधित सार-संग्रहों का संकलन किया गया
- आईपीवी6 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों, सेवा प्रदाताओं तथा अन्य स्टेकधारकों के साथ बैठकों का आयोजन
- ईएमएफ जांच की कार्यविधि जारी की गई
- एमएनपी जांच की गई
- "भारत में दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के कारगर उपायों" से संबंधित रिपोर्ट; "अनुसंधान एवं विकास" के संबंध में दूरसंचार विभाग की कार्यनीतिगत योजना के तहत कोर दल की रिपोर्ट "एमपीआईएन-आधारित मोबाइल बैंकिंग पीओएस उपायों" के संबंध में रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं
- विभिन्न प्रौद्योगिकियों के संबंध में टीईसी के तिमाही समाचार-पत्र जारी किए गए





III. 3 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

संगठनात्मक ढांचा

संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के अध्यक्ष प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि हैं, जिन्हें निधि की देखरेख के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रशासक, यूएसओएफ को यूएसओ निधि स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं का निर्माण करने तथा यूएसओएफ से निधियों का संवितरण करने का अधिकार प्राप्त है। इनका कार्यालय दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

चालू कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति

सार्वजनिक अभिगम

क) देश में 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों, घने वन क्षेत्रों में स्थित और उग्रवाद से प्रभावित गांवों को छोड़कर (62302 पहले 66822) से संशोधित सुविधारहित गांवों में वीपीटी प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने हेतु नवम्बर, 2004 में मैसर्स बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इन गांवों में वीपीटी प्रदान करने के कार्य को भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार 61985 वीपीटी प्रदान किए गए हैं।

2010-11 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक उपलब्धियां	जनवरी-मार्च, 2011 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां
327	50

ख) 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों में कार्यरत वीपीटी का मौजूदा वीपीटी और भारत निर्माण के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए वीपीटी को ध्यान में रखकर सामंजस्य किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार शेष सभी 62443 आबादी वाले गांवों को जनसंख्या, दूरस्थता, पहुंच और कानून तथा व्यवस्था के मानदंडों को ध्यान में न रखते हुए, इस स्कीम के अंतर्गत यूएसओ निधि से आर्थिक सहायता प्रदान कर वीपीटी उपलब्ध कराने के लिए शामिल किया गया है। इस संबंध में 27.02.2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के अंतर्गत, 31.12.2010 तक 45,783 वीपीटी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष वीपीटी चरणबद्ध रूप में फरवरी, 2012 तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

2010-11 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक उपलब्धियां	जनवरी-मार्च, 2011 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां
3401	2500

ग) ऐसे 185121 वीपीटी जो पहले फोन मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे थे और 01.04.2002 से पहले संस्थापित हुए थे को सितंबर 2003 और मार्च 2004 में बदलने के लिए मैसर्स बीएसएनएल के



साथ करार पर हस्ताक्षर किए थे। दिसम्बर, 2010 तक मै0 बीएसएनएल द्वारा कुल 1,84,648 एमएआरआर वीपीटी बदले जा चुके हैं।

2010-11 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक उपलब्धियां	जनवरी-मार्च, 2011 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां
127	10

वैयक्तिक अभिगम

बीएसएनएल के साथ 12.03.2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें एडीसी के हट जाने के बदले 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के प्रचालन को बनाए रखने के लिए यूएसओ निधि द्वारा बीएसएनएल को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 2000 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

मोबाइल सेवाओं के लिए अवसंरचना सहायता (चरण-I) ऐसे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजूदा फीक्सड वायरलेस और मोबाइल कवरेज नहीं हैं, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7871 अवसंरचना स्थलों/ टॉवरों (7363 से संशोधित) को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे गांव अथवा गांवों का समूह जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है में टावर संस्थापित करने के लिए विचार किया गया है। करार की शर्तों के अनुसार वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण और प्राप्त सुविधा के आधार पर टॉवरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए, इस प्रकार सृजित अवसंरचना का उपयोग तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा रूप से किया जाएगा। 01.06.2007 से प्रभावी इस करार को मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 7236 टॉवर स्थापित किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत शेष टॉवरों के चरणबद्ध रूप में मार्च, 2011 तक शुरू होने की संभावना है। इस प्रकार सृजित अवसंरचना का उपयोग करते हुए, विभिन्न सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं द्वारा बीटीएस शुरू किए जा रहे हैं और इन टावरों से चरणबद्ध तरीके से मोबाइल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं ।

2010-11 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक उपलब्धियां	जनवरी-मार्च, 2011 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां
138	127

ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीमें

वर्ष 2009-10 के दौरान संक्षिप्त उपलब्धियां

- यूएसओएफ की वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान कुल **1,37,321 ब्रॉडबैंड कनेक्शन** प्रदान किए गए थे।
- उक्त स्कीम के अंतर्गत मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार **42.57 करोड़ रु0** की आर्थिक सहायता वितरित की गई थी।
- वाएस और डाटा परियात को संघटित करने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए पहल की गई है।



असम राज्य को सर्वप्रथम इस उद्देश्यार्थ लिया गया है तथा 12 फरवरी 2010 को बीएसएनएल के साथ 98.89 करोड़ ₹ की आर्थिक सहायता के संबंध में एक करार किया गया है।

गांव स्तर तक वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता के प्रावधान के विस्तार के लिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीम

मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और कॉपर वायरलाइन नेटवर्क को स्तरोन्नत करके ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ ने ग्रामीण वायरलाईन ब्राडबैंड स्कीम के अन्तर्गत 20 जनवरी, 2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति कम से कम 512 केबीपीएस रहेगी। बीएसएनएल द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात् 2014 तक एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 28,672 कियोस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह आर्थिक सहायता (i) ब्रॉडबैंड संयोजन, ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई), कम्प्यूटर/ कम्प्यूटिंग उपकरण और (ii) ब्रॉडबैंड सेवा के लिए सार्वजनिक अभिगम्यता के लिए कियोस्कों की स्थापना करना। 5 वर्ष की अवधि में अनुमानित सब्सिडी 1500 करोड़ ₹ की है जिसमें 9 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शनों, ग्राहक परिसर उपस्करों, कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग उपकरणों और कियोस्कों के लिए सब्सिडी भी शामिल है। 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 2,32,852 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं तथा 670 क्योस्क स्थापित किए गए हैं।

2010-11 के दौरान नवम्बर, 2010 तक वास्तविक उपलब्धियां	नवम्बर, 2010-मार्च 2011 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां
95531 ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 666 क्योस्क	54469 ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 34 क्योस्क

असम सेवा क्षेत्र में अंतरा-जिला उपमंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सर्जन और प्रबंधन

यूएसओएफ ने वायस और डाटा परियात को अभिगम नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मुख्य नेटवर्क पर समाकलित करने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने के मद्देनजर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए पहल की है। इस स्कीम के आरंभ में जिला मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवर्क बिछाने का विचार है। इस स्कीम के माध्यम से यूएसओएफ जिले के भीतर उपमंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क के संवर्द्धन, सर्जन और प्रबंधन के लिए सब्सिडी सहायता इस शर्त पर प्रदान करेगा कि करार में निर्धारित दरों पर इस नेटवर्क को अन्य प्रचालकों के साथ साझा किया जाएगा। क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम असम को लिया गया है। असम के लिए निविदा 30.10.2009 को प्रारंभ की गई थी और बीएसएनएल को 98.89 करोड़ ₹ की सब्सिडी दर पर सफल घोषित किया गया है और तत्पश्चात असम में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 12.2.2010 को बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्कीम की मुख्य विशेषताएं: यह स्कीम बीओओ मॉडल अर्थात् निर्माण, प्रचालन और स्वामित्व आधार पर कार्य करेगी और तदनुसार बीएसएनएल असम में कुल 27 जिला मुख्यालयों में कुल 354 स्थलों को जोड़ने के लिए सभी तरह के उपस्कर/अवसंरचना का निर्माण, प्रचालन, स्वामित्व और प्रबंधन करेगा।



करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 महीने के भीतर असम के सभी जिलों में इंटीग्रेटेड वॉएस, डाटा और वीडियो सिग्नलों के लिए टीडीएम, आईपी, फ्रेम रिले, एटीएम इत्यादि सहित विभिन्न प्रोटोकॉलों के दक्ष परिवहन की क्षमता के साथ केबल रूट भिन्नता और कम से कम 2.5 जीबीपीएस की रिंग क्षमता सुनिश्चित करते हुए सभी स्थलों को जिला मुख्यालय नोड के साथ वास्तविक ओएफसी रिंग रूट पर जोड़ा जाएगा। **यह करार प्रभावी तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।**

इस स्कीम के तहत सृजित सहायता प्राप्त बैंडविड्थ क्षमता का कम से कम **70%** असम के क्षेत्रों में लाइसेंसधारक सेवा प्रदाताओं द्वारा ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के **26.22%** से कम की दरों पर साझा किया जाएगा। 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार लगभग 40 नोड्स (354 में से) स्थापित कर दिए गए हैं।

यूएसओएफ की नियोजित स्कीमें

स्ट्रीम-IV: गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का चरणबद्ध तरीके से प्रावधान

I) "ग्रामीण वायरलेस ब्रॉडबैंड स्कीम"

यूएसओएफ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध मौजूदा निष्क्रिय अवसंरचना का उपयोग करते हुए बीटीएस जैसी बेतार ब्रॉडबैंड सक्रिय अवसंरचना के लिए सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम पर कार्य कर रहा है।

इस स्कीम के तहत 512 केबीपीएस की गति पर अधिकांश गांवों में ब्रॉडबैंड कवरेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस स्कीम को बीडब्ल्यूए और 3जी स्पैक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीकार किया जाएगा। स्कीम को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है।

II) ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए सेटलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

ऐसे ग्रामीण और दूरस्थ गांवों जहां स्थलीय कनेक्टिविटी अर्थात् वायरलाइन/वायरलेस नेटवर्क व्यवहार्य नहीं है में सेटलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की व्यवस्था करना प्रस्तावित है। यूएसओएफ ने 5000 गांवों की पहचान की है जिनमें स्थलीय कनेक्टिविटी नहीं है। आरंभ में इस प्रणाली पर ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए लगभग 1200 ऐसे गांवों की परिकल्पना की गई है।

स्कीम पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाना है तथा शीघ्र ही इसे चालू कर दिया जाएगा। चालू पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान इसे आरंभ किए जाने की परिकल्पना है।

स्ट्रीम-V: ओएफसी जैसी सामान्य अवसंरचना का सृजन - असम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अंतरा-जिला उप मंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क का संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन

असम में अंतरा-जिला उप मंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क के संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन की शुरुआत के बाद, पूर्वोत्तर सर्किल (जिसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य शामिल हैं) के लिए इसी प्रकार की स्कीम का सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। इस स्कीम के तहत, नेटवर्क में काफी बैंडविड्थ का सृजन किया जाएगा। अन्य राज्यों (पश्चिम बंगाल सर्किल से शुरू करते हुए जिसमें पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य शामिल हैं) में तदनुसार चरणबद्ध रूप में कार्य किया जाएगा।



निधियों के संवितरण और उपलब्धता की स्थिति

(करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	यूएसएल के रूप में संग्रहित निधियां	आवंटित निधियां	संवितरित निधियां	एलएफ और स्पक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति	बकाया
2002-03	1653.61	300.00	300.00	2300.00	1353.61
2003-04	2143.22	200.00	200.00	2300.00	3296.83
2004-05	3457.73	1314.59	1314.59	1765.68	5439.97
2005-06	3215.13	1766.85	1766.85	582.96	7206.41
2006-07	3940.73	1500.00	1500.00		9917.54
2007-08	5405.80	1290.00	1290.00		14033.00
2008-09	5515.14	1600.00	1600.00		18192.52
2009-10	6145.73*	2400.00	2400.00		14,157.01
2010-11		2400.00**	2190.18 (As on 31.12.2010)		
कुल जोड़	31,477.09	12771.44	12561.62	6948.64	

* 2009-10 का अनुमानित संग्रहण अनंतिम है।

** वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 3000 करोड़ ₹ की बजट प्राक्कलन की तुलना में, 2400 करोड़ ₹ का बजट आवंटन प्राप्त किया गया था।

नोट:-

1. यूएसएल संग्रहण वर्ष 2002-03 से आरंभ हुआ।
2. कॉलम (2) में यूएसएल संग्रहण आंकड़े दूरसंचार विभाग के लेखों में दर्ज आंकड़ों के अनुसार लिए गए हैं।
3. कॉलम (5) के अन्तर्गत भुगतान दिनांक 04.06.2008 के पत्र के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के निर्णय के अनुसार लिया गया है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 4 संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय

पेंशन और सेवांत हित लाभों के भुगतान के अलावा सभी दूरसंचार सर्किटों में दूरसंचार विभाग प्रकोष्ठों के प्रत्यायोजित कार्यों के दायरे में विस्तार हो जाने से इन दूरसंचार विभाग प्रकोष्ठों का नाम बदलकर संचार लेखा नियंत्रक का कार्यालय कर दिया गया। काफी लंबे समय से विभिन्न नीतिगत निर्णयों जैसे एनटीपी 1994, एनटीपी 1999, यूएसओ 2003 में संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों की अहम भूमिका रही है। संचार लेखा नियंत्रक यूनिट दूरसंचार विभाग और इसके विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच विभिन्न नीतिगत मुद्दों जैसे लाइसेंस शुल्क व स्पेक्ट्रम प्रभार प्रबंधन, यूएसओ निधि के संवितरण इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सहक्रिया विकसित करता रहा है।

संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य

समूचे देश में संचार लेखा नियंत्रक के 26 कार्यालय अवस्थित हैं और वे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करते हैं -

सांविधिक कार्य

- i) **पेंशन** - केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के नियम 37 (क) के प्रख्यापन हो जाने से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आमेलित पूर्ववर्ती सरकारी सेवकों के पेंशन के भुगतान में सरकार की अहम भूमिका है। सीसीए यूनिट पेंशन संबंधी व्यय का बजट बनाने और सीडीए और आईडीए वेतनमान पर सेवानिवृत्त हितलाभों का प्राधिकार बनाने के लिए जिम्मेदार है। इस समय, सीसीए कार्यालय दो लाख से अधिक पेंशन भोगियों को पेंशन का संवितरण कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष	पेंशन भोगियों की संख्या (लाखों में)	संवितरित पेंशन (करोड़ ₹0 में)
2003-04		1026.50
2004-05	1.56	1172.59
2005-06	1.66	1299.75
2006-07	1.72	1345.39
2007-08	1.81	1511.94
2008-09	1.81	1982.81
2009-10		1796.14
2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक)		2394.90

- ii) **पेंशन अंशदान और छुट्टी का वेतन** - सीसीए कार्यालय सरकार द्वारा किए गए पेंशन अंशदान और छुट्टी के वेतन भुगतान के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशियों का संग्रहण उनकी जांच और मॉनीटरिंग के कार्य करते हैं।



- iii) **सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और दीर्घावधिक ऋणों का लेखाकरण** - सीसीए कार्यालय जीपीएफ, दीर्घावधिक ऋणों और अग्रिम राशियों के अनुरक्षण और उनकी वसूली/उनके लेखाकरण के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- iv) **लेखा परीक्षा संबंधी कार्य** - सीसीए कार्यालय पेंशन भोगियों को पेंशन और संबद्ध हितलाभों का भुगतान करने के लिए नामोद्दिष्ट बैंकों और डाकघरों द्वारा किए गए संवितरण की उत्तर लेखापरीक्षा करते रहे हैं।
- v) **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करना** - सीसीए कार्यालयों द्वारा देखे जा रहे सभी मामलों के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का सरल प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सीसीए कार्यालयों के अधिकारियों को केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों (डीएए) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।
- vi) सीसीए कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की बुनियादी इकाई है और टर्म, डब्ल्यूएमओ और आरएलओ जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पीएओ और डीडीओ का कार्य करता है।

ख) मूल्यांकन और राजस्व संबंधी कार्य

- i) **लाइसेंस शुल्क का संग्रहण** - सीसीए सभी सेल्युलर, बुनियादी और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों से होने वाले राजस्व की हिस्सेदारी पर प्रतिशतता के रूप में लाइसेंस शुल्क का मूल्यांकन और संग्रहण करता है साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों नामतः एजीआर विवरणों और शपथपत्रों की जांच भी करता है। सीसीए कार्यालय यूएएसएल/ बुनियादी/सीएमटीएस/एनएलडी/अन्य सेवाओं के तहत लाइसेंसधारकों के लाइसेंस शुल्क संबंधी कार्य भी देखते हैं।
- ii) **कटौतियों का सत्यापन** - लाइसेंस करार के अनुसार, लाइसेंसधारकों ने लाइसेंस शुल्क के भुगतान का आकलन करते समय कटौतियों का दावा किया था। इन कटौतियों (पार गमन प्रभारों, रोमिंग सेवा प्रभारों, बिक्री कर, सेवा कर के लिए) को सीसीए द्वारा तिमाही आधार पर सत्यापित किया जाता है। लाइसेंसधारकों द्वारा मांगी गई कटौतियां लाइसेंसों की विभिन्न श्रेणियों के तहत सकल राजस्व का 25% से 90% तक भिन्न-भिन्न होती हैं।
- iii) **स्पैक्ट्रम प्रभारों का संग्रहण** - राजस्वहिस्सेदारी आधार पर सेल्युलर प्रचालकों के संबंध में स्पैक्ट्रम प्रभारों के संग्रहण से संबंधित कार्य 1 अप्रैल, 2004 से सीसीए कार्यालयों को प्रत्यायोजित किया गया है। स्पैक्ट्रम शुल्क प्रत्येक तिमाही में राजस्व की निर्धारित प्रतिशतता पर अग्रिम रूप से संग्रहित कर लिया जाता है।
- iv) **वित्तीय बैंक गारंटियों का अनुरक्षण** - लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बैंक गारंटियों के अनुरक्षण, नवीकरण, संशोधन और भुनाने संबंधी कार्य सीसीए को सौंपे गए हैं।

कैप्टिव वी-सेट लाइसेंस शुल्क का संग्रहण

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से संग्रहीत लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभार भारत सरकार के गैर-कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इस क्षेत्र में भारी वृद्धि से लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभार के कारण राजस्व में भी भारी वृद्धि हो रही है जैसा कि नीचे सारिणी से स्पष्ट है:



(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक)
1	स्पेक्ट्रम प्रभार	3057.00	3454.55	3809.54	2319.63
2	लाइसेंस शुल्क	8854.00*	9511.00	9778.52	5232.07
3	कुल	11911.00	12965.55	13588.06	7551.70

*इनमें यूएसएल के लिए 12500 करोड़ ₹ का एकबारगी प्रवेश शुल्क शामिल नहीं है।

3जी/बीडब्ल्यूए की नीलामी के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2010-11 में 106264.73 करोड़ ₹ वसूल किए गए।

यूएसओ से संबंधित कार्य

संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का संवितरण और उसकी निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते समय संचार लेखा नियंत्रक द्वारा निधियों के संवितरण के पूर्व दावों का सत्यापन किया जाता है। दावों की सत्यता सिद्ध करने के लिए वे उनका वास्तविक निरीक्षण और निगरानी भी करते हैं। इसके अतिरिक्त सीसीए सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक संपर्क स्थापित करने वाले कार्यालय के रूप में कार्य करता है। वे राज्य सरकारों से भी आपसी सम्पर्क करते हैं। संवितरित की जा रही राशि में कई वर्षों से वृद्धि हो रही है जो वित्तीय वर्ष 2003-04 में 200 करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2009-10 में 2400 करोड़ ₹ हो गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31.12.2010 तक 2190 करोड़ ₹ संवितरित किए गए हैं।

प्रशासनिक कार्य

संचार लेखा नियंत्रक दूरसंचार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय डब्ल्यूएमओ और वीटीएम के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी का कार्य कर रहे हैं। अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के अलावा संचार लेखा नियंत्रक, विभागाध्यक्ष (एचओडी) के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर अदालती मुकदमों को भी देखते हैं जिनमें भारत सरकार लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम प्रभार, पेंशन, आमेलन संबंधी मुद्दों इत्यादि के मामलों में एक पक्षकार के रूप में होती है। संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय पेंशन से संबंधित शिकायतों का एकल मंच पर निपटारा करने के लिए पेंशन अदालतों का भी आयोजन करते हैं। यह एकल मंच पेंशनभोगियों को अब तक उपलब्ध नहीं था।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 5 सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

दण्डात्मक सतर्कता

दूरसंचार विभाग के सतर्कता विंग और एमटीएनएल/बीएसएनएल की फील्ड यूनिटों को जनता, निजी, मंत्रियों, संसद सदस्यों/विधायकों, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो आदि से शिकायतें प्राप्त होती हैं। उसके बाद दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच हेतु इन शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) की अवधि के दौरान कुल 210 शिकायतों की छान-बीन की गई जिनमें से 52 शिकायतों पर जांच शुरू की गई। जांच के अलावा, 25 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक/अन्य कार्यवाही करने हेतु सलाह दी गई। इसी अवधि के दौरान 84 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किये गए। अनुशासनिक कार्यवाही पूरी होने पर 30 अधिकारियों/कर्मचारियों को दीर्घ शास्ति द्वारा दंडित किया गया।

कर्मचारी प्रशिक्षण

सतर्कता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में कर्मचारियों को अवगत कराने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है :-

- दूरसंचार विभाग की सतर्कता शाखा द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में निवारक सतर्कता के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिये जाते हैं।
- इसी प्रकार, विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रौद्योगिकीय धोखाधड़ी के मामलों की मॉनीटरिंग करने और उनकी रोकथाम के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिये जाते हैं।
- विभिन्न दूरसंचार सर्किलों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उक्त अवधि के दौरान देश भर में ऐसे 21 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न स्तरों के कुल मिलाकर लगभग 537 अधिकारियों को सतर्कता और अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी दी गई। ये प्रशिक्षित अधिकारी बाद में आईओ, पीओ और वीओ के बतौर कार्य करने वाले अधिकारियों के पूल में शामिल रहते हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

25 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया कर्मचारियों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए उक्त अवधि के दौरान निबंध, पहेली और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

सतर्कता निकासी

यह सतर्कता विंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसकी आवश्यकता पदोन्नति, विदेश में प्रशिक्षण, अन्य संगठनों/विभागों में प्रतिनियुक्ति, पासपोर्ट आदि प्राप्त करते समय पड़ती है। उक्त अवधि के दौरान, 2796 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए सतर्कता निकासी प्रदान की गई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श

यह भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जिसका सतर्कता संबंधी मामलों के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों



आदि पर क्षेत्राधिकार है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समुचित परामर्श प्रक्रिया अपनाने के पश्चात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। दूरसंचार विभाग का सतर्कता स्कंध दूरसंचार विभाग के सतर्कता संबंधी मामलों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करता है। चालू वर्ष के दौरान 58 सीवीसी शिकायतें प्राप्त हुईं और 35 शिकायतें पहले से लंबित थीं। कुल 93 शिकायतों में से 59 शिकायतों का निपटान कर दिया गया और दिसम्बर, 2010 में 34 मामले बकाया थे।

जनवरी से मार्च, 2010 तक के दौरान अप्रत्याशित उपलब्धियां

- तीन (3) सतर्कता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाने प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रम पांच दिन की अवधि का होगा।
- तैंतीस (33) सतर्कता निकासी जारी किए जाने प्रस्तावित।

2010-11 के दौरान विभागीय सतर्कता क्रियाकलापों का सांख्यिकीय सार

क्र. सं.	क्रियाकलाप	श्रेणी	वास्तविक
1.	इस अवधि के दौरान छानबीन की गई शिकायतों की सं०		210
2.	अधिकारियों की संख्या जिन्हें आरोप पत्र दिए गए		30
	(क) दीर्घ शास्ति	राजपत्रित	21
		अराजपत्रित	2
	(ख) लघु शास्ति	राजपत्रित	6
		अराजपत्रित	1
3.	दीर्घ/लघु शास्ति से दंडित अधिकारियों की संख्या		84
4.	जारी की गई अभियोजन संस्वीकृतियों की सं०		-
		राजपत्रित	-
		अराजपत्रित	-
5.	जाँच की गई अन्वेषण रिपोर्ट तथा सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए मामलों की संख्या (सीवीसी मामलों को छोड़कर)		25
6.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सलाह के लिए भेजी गई सीबीआई रिपोर्टों की संख्या		-
7.	उन अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में सतर्कता निकासी जारी की गई		2796
8.	जाँच के बाद निपटाए गए मामलों (पीएमओ के एसीयू से प्राप्त) की संख्या		-
9.	निपटाए गए अपील मामलों की संख्या		16
		समूह "क"	-
		समूह "ख"	-

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 6 दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा

वर्ष 2007 में दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने के परिणामस्वरूप दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) स्तर पर दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा के मुद्दे के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) में सुरक्षा नामक एक नए स्कंध का गठन किया गया था।

सुरक्षा टीईआरएम स्कंध के कार्य

- (i) टीईआरएम (दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं अनुश्रवण) प्रकोष्ठ, जिन्हें पहले वीटीएम (सतर्कता एवं दूरसंचार अनुश्रवण) सेल कहा जाता था, का समन्वय और प्रशासन।
- (ii) सी-डॉट के लिए दूरसंचार विभाग में नोडल एकक सुरक्षा स्कंध के माध्यम से सभी समन्वय, निदेशकों तथा इससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति (ख) सी-डॉट से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, निधियों की निर्मुक्ति इत्यादि की जाती है।
- (iii) सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय परियोजनाएं

● केंद्रीकृत निगरानी तंत्र

संबंधित विभिन्न एजेंसियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद केंद्रीकृत निगरानी तंत्र संबंधी परियोजना की आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया जाता है। संकल्पना से संबंधित शोध-पत्र प्रदर्शित किया गया है और परियोजना संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्य जारी हैं।

● समर्पित एवं पूर्णतः सुरक्षित संचार नेटवर्क

नेटवर्क की संरचना तथा विस्तार को अंतिम रूप दे दिया गया था। परियोजना के पैमाने एवं इसके आकार पर विचार-विमर्श किया जाता रहा है। विशिष्ट नेटवर्क का चरण। राष्ट्रीय राजधानी को कवर करेगा।

टीईआरएम प्रकोष्ठ

टीईआरएम प्रकोष्ठों का उदभव - देश में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की बढ़ती संख्या के कारण सरकार ने देश के सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों और बड़े दूरसंचार जिलों में दूरसंचार प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता महसूस की। अभिगम सेवा प्रदाताओं और आईएसपी की संख्या बढ़ने से दूरसंचार क्षेत्र में अवैध/गुप्त प्रचालन की भी वृद्धि हुई है। इस समस्या से निबटने के लिए आरंभ में सरकार ने 2004 में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नै में 4 सतर्कता दूरसंचार अनुवीक्षण प्रकोष्ठों (वीटीएम) का गठन किया। वर्ष 2006 के दौरान पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 9 और वीटीएम प्रकोष्ठ गठित किए गए। बाद में जनवरी 2007 में आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), अंडमान एवं निकोबार, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर-I, पूर्वोत्तर-II, उड़ीसा एवं उत्तरांचल में 15 वीटीएम प्रकोष्ठ गठित किए गए। हाल ही में मार्च 2007 में कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे, जयपुर और लखनऊ में 6 और वीटीएम प्रकोष्ठ स्थापित किए गए, जिससे वीटीएम प्रकोष्ठों की कुल संख्या 34 हो गई है। वीटीएम प्रकोष्ठ गठित होने के बाद से उन्हें अनेक अन्य कार्य सौंपे गए हैं, अतः इनके समग्र कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए वीटीएम प्रकोष्ठ का नाम बदल कर टीईआरएम (दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं अनुवीक्षण) प्रकोष्ठ रखा गया है।



टीईआरएम प्रकोष्ठों को सौंपे गए कार्य

टीईआरएम प्रकोष्ठ क्षेत्र में दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में काम कर रहे हैं। ये प्रकोष्ठ तार प्राधिकारी और लाइसेंसदाता का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये निम्नलिखित कार्य करते हैं :

निगरानी कार्य

- फील्ड में विभिन्न नेटवर्क प्रचालकों तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय तथा उनकी निगरानी।
- नेटवर्क पैरामीटरों की निगरानी।
- अंतर प्रचालक कॉलों के अधिकतम कॉल पूर्णता अनुपात को सुनिश्चित करना।
- लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस शर्तों का तथा लाइसेंस प्रदाता द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों का सामान्यतः जनहित में अनुपालन किए जाने के बारे में जांच करना।
- वैश्विक कॉलिंग कार्डों, अन्तर्राष्ट्रीय सिम कार्डों आदि की बिक्री के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में कम्पनियों द्वारा अनुपालन की जांच करना।
- दूरसंचार विभाग द्वारा ओएसपी, आईपी-1, आईपी-11 आदि श्रेणी के अंतर्गत दर्ज किए गए विभिन्न कम्पनियों के संबंध में अनुपालन की जांच करना।
- ग्राहकों के कागजात का सत्यापन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोबाइल सेवा प्रचालक ग्राहकों को कनेक्शन प्रदान करने के पूर्व ग्राहकों के सत्यापन संबंधी दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले।
- आपदा प्रबंधन : प्राकृतिक विपदाओं या अन्य आपात स्थितियों में नेटवर्क को अपने नियंत्रण में लेना।
- विभिन्न प्रचालकों की कमियों के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करना।
- देश एवं ग्राहकों के समग्र हित में दूरसंचार विभाग द्वारा इसे समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों को निष्पादित करना।
- दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा पेशकश की गई नई मूल्यवर्द्धित सेवाओं के मामले में एलआईएस/ एलआईएम क्षमताओं की मौजूदा प्रणाली की जांच करना ।
- इएमएफ विकिरण को नियंत्रण में रखने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीटीएस केन्द्रों द्वारा छोड़े गए इएमएफ (विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र) विकिरण और इन केन्द्रों पर आईसीआईएनआरपी मानदंडों के प्रवर्तन की जांच करना।

सुरक्षा संबंधी कार्य

- क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सम्पर्क स्थापित करना।
- उपभोक्ताओं, सीडीआर, एक्सचेंज रिकार्डों आदि से संबंधित सूचना प्रदान करने में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को सहायता प्रदान करना।
- उपभोक्ता सत्यापन, दूरसंचार विक्रय, अवसंरचना, ईएमएफ विकिरण प्रदूषण इत्यादि जैसे दूरसंचार से संबंधित मुद्दों पर राज्य पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ आपसी सम्पर्क स्थापित करना।



सतर्कता संबंधी कार्य

- इस क्षेत्र में अवैध/गुप्त काले दूरसंचार बाजार की गतिविधियों का निरीक्षण/छापेमारी।
- सभी लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं अर्थात् यूएसएल/सीएमटीएस/बेसिक (अभिगम सेवा प्रदाताओं), एनएलडीओ (राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालक), आईएलडीओ (अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालक), वीएसएटी, एमएनपीओ (मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी आपरेटर), आईएसपी (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं) आईटीएसपी आदि का निरीक्षण।
- विभिन्न लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवाओं में अवैध क्रियाकलापों को रोकना।
- लाइसेंस रहित निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा गुप्त रूप से/अवैध रूप से चलाए जाने वाले दूरसंचार नेटवर्कों के प्रचालन पर नियंत्रण करना।
- दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना, मामलों के बारे में कार्रवाई करना, लागू विभिन्न अधिनियमों की शर्तों के उल्लंघन के बारे में समय-समय पर नोटिस जारी करना।
- विभिन्न लाइसेंसधारकों के कॉल ब्यौरे के रिकार्ड/एक्सचेंज रिकार्ड/उपभोक्ता/ परियात संबंधी डाटा का विश्लेषण।
- लाइसेंसधारक के नेटवर्क के माध्यम से होकर गुजरने वाले सभी संचार के वैध अंतरावरोधन/निगरानी की तकनीकी व्यवस्था।
- यह पता लगाना कि लाइसेंसधारक अनुमत क्षेत्र के भीतर सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। दूरसंचार एवं आईएसपी लाइसेंसों के अंतर्गत लाइसेंस शर्तों को लागू करना।

अन्य प्रमुख कार्य

- लाइसेंस क्षेत्र में विभिन्न लाइसेंसयुक्त सेवा प्रदाताओं की सेवा का परीक्षण तथा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में रॉल आउट दायित्व की जांच करना।
- सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में ओएसपी और टैलीमार्केटर्स का पंजीकरण।
- सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में मोबाइल स्पेक्ट्रम उपयोग की जांच करना।
- एमओसीपीजी, विधि प्रवर्तन एजेन्सियों से प्राप्त तथा सुरक्षा टीईआरएम, दूरसंचार विभाग मुख्यालय से भेजी गई शिकायतों अथवा क्षेत्र में टीईआरएम प्रकोष्ठों से सीधे प्राप्त शिकायतों की जांच करना।
- मोबाइल सेवा प्रदाताओं तथा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रचालक की स्वीकृति जांच।
- लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र के उपभोक्ता डाटाबेस का रखरखाव करना तथा उन्हें अद्यतन बनाना।
- लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र के सेल स्थल/बीटीएस रजिस्ट्रों का रखरखाव करना और उन्हें अद्यतन बनाना।

उल्लेखनीय उपलब्धियां

- टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा क्षेत्र में प्रतिदर्शस्वरूप लगभग 7 मिलियन मोबाइल उपभोक्ता सीएएफ सत्यापन की लेखा परीक्षा की गई है। जिसके परिणामस्वरूप सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रचालन संबंधी शर्तों का अनुपालन 60% से बढ़कर 85% से भी अधिक हो गया है। टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा अथवा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से चूककर्ता खुदरा विक्रेताओं/ डीलरों/उपभोक्ताओं के विरुद्ध 3000 से भी अधिक शिकायतें/प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उपभोक्ता सीएएफ लेखा परीक्षा में, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर 400 करोड़ ₹ (लगभग) का जुर्माना लगाया गया है। क्षेत्र में टीईआरएम



की उपस्थिति तथा इसके द्वारा सीएएफ से सम्बद्ध विभिन्न कार्यों को किए जाने के फलस्वरूप मोबाइल प्रलेखन के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ी है और इससे सिम कार्ड बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं/डीलरों में सजगता तथा उत्तरदायित्व की भावना बढ़ी है।

- टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाताओं से संबंधित 6000 से अधिक बीटीएस के सेवा कवरेज परीक्षण किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप 6 करोड़ ₹0 (लगभग) के सेवा शुल्क प्राप्त हुए हैं। टीईआरएम सेलों ने सभी नए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का सेवा परीक्षण निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया है।
- टीईआरएम सेलों ने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रचालक के उपस्करों का स्वीकृति परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है और 400 से भी अधिक टेलीकॉम नेटवर्कों के साथ समन्वय करते हुए चरणबद्ध रूप से पूरे भारत के लिए कॉल फ्लो तथा पोर्टिंग प्रक्रिया संबंधी स्वीकृति परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारत में 20 जनवरी, 2010 को एमएनपी सेवा सफलतापूर्वक शुरू की गई है और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया है।
- टीईआरएम सेल ने नवंबर, 2011 से ईएमएफ विकिरण की माप के लिए 750 से भी अधिक बीटीएस की जांच की है। टर्म प्रकोष्ठ बीटीएस द्वारा उनके लाइसेंस क्षेत्र में उत्सर्जित विकिरण की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं।
- टर्म प्रकोष्ठों द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईपी-1, ओएसपी आदि के 500 से भी अधिक निरीक्षण किए गए हैं। टर्म सेलों ने विभिन्न दूरसंचार सेवाओं में लाइसेंस शुल्कों के गैर आनुपातिक समायोजन के मामले का पता लगाया है और राजकोष को होने वाली हानि की गणना करने के बाद संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किए हैं।
- टर्म प्रकोष्ठों में ओएसपी तथा टेलीमार्केटिंग हेतु रजिस्ट्रेशन के विकेन्द्रीकरण के कारण लम्बित मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। ओएसपी के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश उद्योग के प्रस्तावों को ध्यान में रखकर संशोधित किए गए हैं। टर्म प्रकोष्ठों द्वारा कुल 2700 (लगभग) ओएसपी तथा टेलीमार्केटर पंजीकृत किए गए हैं जिनसे 27 लाख ₹0 (लगभग) के शुल्क प्राप्त हुए हैं। टर्म प्रकोष्ठों द्वारा ओएसपी पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑन लाईन किया गया है। अब इच्छुक कम्पनियां ओडीटी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं और अपने आवेदन की स्थिति को ऑन लाइन मॉनीटर कर सकती हैं।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 7 महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति में वर्णित महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और लिंग-भेद दूर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के नीतिपरक दृष्टिकोण के अनुसरण में दूरसंचार विभाग और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कुछ कदम उठाए हैं।

दूरसंचार विभाग अपनी सभी यूनिटों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों/अनुदेशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुसरण करते हुए विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। विभाग के विभिन्न कार्यशील स्कंधों के द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयास नीचे दिए गए हैं:-

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

बीएसएनएल में विभिन्न स्तरों पर लगभग 40,000 महिला कर्मचारी नियुक्त हैं। पदोन्नति पर उन्हें यथासंभव उसी स्थान पर रहने दिया जाता है जिस स्थान पर वे कार्य कर रही हैं। जहां कहीं पति भी नौकरी कर रहे हैं, सामान्यतः उन्हें उसी स्थान पर तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कार्रवाई की गई है। महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए स्वैच्छिक दूरसंचार महिला संगठनों द्वारा शिशु सदनों/स्कूलों /सिलाई केन्द्रों को चलाया/अनुरक्षण किया जा रहा है। छात्राओं को बुक अवार्ड प्रदान करने के लिए अंकों में 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है। भारत संचार निगम लि0 में सर्किल/गौण स्विचन क्षेत्र के स्तरों सहित निगमित कार्यालय स्तर पर शिकायत समिति है।

महानगर टेलीफोन निगम लि0 (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लि0 में लगभग 9084 महिला कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्य कर रही हैं। कुल जनशक्ति में 20% से भी अधिक महिला कर्मचारी हैं।

इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। उनमें से कुछ उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

- रात्रि पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारी के मामले में विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके लिए विश्राम कक्ष उपलब्ध कराये जाते हैं और झूटी अवधि पूरी होने के पश्चात उन्हें घर तक छोड़ने की सुविधा दी जाती है।
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने तथा इससे संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए इकाई स्तर और निगमित कार्यालय में यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- सेवा संबंधी शर्तें समान हैं तथा कोई लिंगभेद नहीं है।
- महिला कर्मचारियों के शिशुओं के लिए शिशु सदन की सुविधा भी प्रदान की गई है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रसूति छुट्टी नियम का प्रावधान है।
- दूरसंचार महिला केन्द्रीय संगठन, नई दिल्ली और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड महिला कल्याण संघ, मुम्बई हेतु विशेष अनुदान की मंजूरी दी जा रही है, जिसके द्वारा कार्यरत और सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के सगे-संबंधियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड, सामाजिक सचेतना वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो अपने प्रारंभ से ही कर्मचारियों के कल्याण



की संकल्पना के प्रति प्रतिबद्ध है। महिला कर्मचारियों के कल्याण को यथोचित महत्व दिया जाता है। 31 अक्टूबर, 2010 की स्थिति के अनुसार आईटीआई में 841 महिला कर्मचारी हैं।

महिला कर्मचारियों को प्रदान की जा रही प्रमुख सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

- उनके लिए कैंटीन में अलग से भोजन कक्ष की व्यवस्था की गई है तथा इसकी इकाइयों में आराम कक्ष, शिशु सदन की व्यवस्था की गई है।
- कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा/प्रतिपूर्ति लाभ प्रदान करने हेतु कई बृहत् स्वास्थ्य योजनाएं हैं। कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विशेषकर महिला एवं बाल कल्याण के लिए बंगलौर, नैनी, मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में अस्पताल स्थापित किए गए हैं।
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश यूनिटों में गैर-अधिकारियों और अधिकारियों पर लागू स्थायी आदेशों में यौन उत्पीड़न संबंधी खंड को शामिल करके इन्हें वर्ष 2004-05 के दौरान संशोधित किया गया है और इसी प्रकार से अधिकारियों पर लागू सीडीए नियमों को भी संशोधित किया गया है।
- कंपनी में किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत की जांच हेतु प्रत्येक इकाई में शिकायत समिति का गठन किया गया।
- यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है कि महिला कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाए।
- कंपनी के लिए यह गर्व का विषय है कि विगत में इसकी कई महिला कर्मचारियों को "श्रम देवी" पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और इस वर्ष भी इस पुरस्कार के लिए एक महिला को नामित किया गया है।

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

सी-डॉट प्रबंधन, लिंग भेद संबंधी मामलों के प्रति हमेशा ही गंभीर रहा है तथा एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति को सृजित करने में सतत् रूप से कार्य करता रहा है जिसमें लिंग समानता की झलक दिखती हो।

- सी-डॉट के कर्मचारियों में इस समय लगभग 31% महिलाएं हैं।
- हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारे महिला कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए 1999 में महिला कर्मचारियों का सी-डॉट के साथ लियन पर दो वर्षों की नियुक्ति बनाए रखने संबंधी एक योजना शुरू की गई है, यदि उनका एक लम्बी समयावधि के लिए सी-डॉट से अलग रहना अपेक्षित हो। वे सभी महिला कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
- सी डॉट ने तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त और प्रतिभाशाली महिलाओं को घर से कार्य करने का अवसर प्रदान करने की पहल भी की है। वर्ष 1999 में, बाहरी इंजीनियरों की योजना की शुरुआत की गई थी जिनमें सी-डॉट में विशिष्ट समयबद्ध परियोजनाओं के लिए महिला इंजीनियरों की भर्ती की गई थी। इन महिलाओं को घर से परियोजना पर कार्य करने की अनुमति दी गई थी और उनकी प्रतिपूर्ति परियोजना की पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर की जानी थी।

मौजूदा नीतियां

- सभी महिला कर्मचारियों को 135 दिनों का प्रसूति अवकाश लेने की अनुमति है जिसे बाद में 270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है (135 दिनों के प्रसूति अवकाश सहित)। गर्भस्त्राव/गर्भपात के लिए पूरी सेवा अवधि में कुल 45 दिन की छुट्टी देय है।
- सी-डॉट अपनी सभी महिला कर्मचारियों को उनकी अपनी पात्रता के अनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराते हुए आवासीय और परिवहन सुविधा देता है। इससे इस कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित हो जाती है।
- सी-डॉट में महिला कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। पिछले वित्त वर्ष में, उच्च ग्रेडों में पदोन्नत किए गए कुल कर्मचारियों में से 40% महिलाएं थीं। प्रबंधन संवर्गों में महिलाएं लगभग 30% हैं।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 8 विकलांग व्यक्ति

भूमिका

दूरसंचार विभाग शारीरिक रूप से विकलांगों को नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को महत्व देता है तथा इस संबंध में विभिन्न सरकारी निर्देशों का विधिवत रूप से पालन करता है।

उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग ने हाल ही में राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान (एनआईवीएच) की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के खण्ड 2 (यू) में यथापरिभाषित अल्प दृष्टिक्षम (लो विजन) व्यक्तियों को भी आईपी एंड टीएफएस अधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए लिया जा सकता है।

टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट)

सी-डॉट विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करता है। विगत वर्षों की भांति विकलांग व्यक्तियों को वर्ष 2010-11 के दौरान पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

दिल्ली स्थित सी-डॉट के नए अनुसंधान एवं विकास कॉम्प्लेक्स में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट स्वचालित सीढियां, विभिन्न कार्य क्षेत्रों के दो स्तरों को जोड़ने वाले रैम्प आदि जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं इस प्रकार के व्यक्तियों को अनुसंधान एवं विकास के कार्य संबंधी इस इंटेलिजेंट कॉम्प्लेक्स के एक स्कंध से दूसरे स्कंध में स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने में मदद करती है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

बीएसएनएल द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

दृष्टिहीन व्यक्ति अपने टेलीफोन पर निम्नलिखित छूट पाने के हकदार है :-

- किराये में छूट - सामान्य किराए का 50%
- अग्रिम किराया - सामान्य अग्रिम किराये का 50% तथा सामान्य उपभोक्ता पर यथा लागू द्विमासिक किराया।
- पंजीकरण - नॉन-ओ वाई टी विशेष श्रेणी के अंतर्गत स्वीकार्य।

उपर्युक्त छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल या उससे उच्च स्तर के अस्पताल सीएमओ/एमएस/नेत्र-सर्जन द्वारा जारी किया गया 'दृष्टिहीन प्रमाण-पत्र' होना चाहिए। जिन दृष्टिहीन व्यक्तियों के पास पहले से ही टेलीफोन की सुविधा है वे अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके किराये में छूट प्राप्त कर सकते हैं तथा छूट श्रेणी परिवर्तन की तारीख से प्रभावी होगी।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नवीन कार्य योजनाएं बनाकर तथा कार्य योजनाओं का निष्पादन करके शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के उन्नयन के प्रति हमेशा प्रयासरत रहा है। 30 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार 204 विकलांग कर्मचारी हैं।



अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों की भर्ती के लिए सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को जीविका प्रदान करने के लिए अग्रता आधार पर पीसीओ आबंटित किए जाते हैं तथा उन्हें अन्य लोगों के लिए 20% कमीशन की तुलना में 22% कमीशन भी दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, पीसीओ के आबंटन में विलम्ब से बचने के लिए, उन्हें सीडीएमए/जीएसएम प्रौद्योगिकी पर आधारित मोबाइल बूथ प्रदान किए जा रहे हैं।

आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड सामाजिक रूप से जागरूक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, अपने प्रारंभ से ही कर्मचारियों के कल्याण की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण को यथोचित महत्व दिया जाता है। 31 अक्टूबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 146 विकलांग कर्मचारी हैं। विकलांग व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

- नगर क्षेत्र में निर्मित आवासों में निवास कर रहे शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है परंतु अधिकतम राशि प्रतिमाह 75 रूपए होनी चाहिए।
- जो कर्मचारी कंपनी के नगर क्षेत्र में नहीं रहते किंतु अपने निवास स्थान से कारखाने तक आने जाने के लिए कम्पनी की परिवहन सुविधा का उपयोग कर रहे हैं उन्हें प्रति माह मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जा रहा है। परंतु अधिकतम राशि प्रतिमाह 100 रूपए होनी चाहिए।
- शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों को पारी की शुरूआत और बंद होने के समय में आने की उपस्थिति और जाने की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए क्रमशः 10 मिनट की छूट दी जाती है। शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों को "बिना बारी" के क्वार्टर आबंटित किए जाते हैं।
- आईटीआई ने सरकारी निदेशों के अनुसार भर्ती में शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% का आरक्षण (1% अस्थि विकलांगों के लिए, 1% दृष्टि विकलांगों के लिए और 1% बधिर विकलांगों के लिए) रखा हुआ है और जहां कहीं लागू हो वहां पदोन्नति में भी आरक्षण रखा जाता है।
- शारीरिक दृष्टि से विकलांगों के मामले में कंपनी समूह ग और घ के पदों की भर्ती के मामले में 10 वर्ष की और समूह क और ख के पदों के मामले में 5 वर्ष की छूट प्रदान कर रही है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के हों तो समूह क और ख के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है।
- शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों को व्यावसायिक कर से पूर्णतः छूट प्राप्त है बशर्ते कि वे सरकारी चिकित्सक से प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करें।
- शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को कंपनी में किसी भी पद पर आवेदन करने के लिए किसी प्रकार के आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 9 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

हमारा स्वप्न

दूरसंचार के क्षेत्र में नेतृत्व, उत्कृष्टता, वहनीयता और विविधता के द्वारा एक ऐसी निर्बाध नेटवर्क सोसाइटी का विकास करना जो अच्छा प्रशासन देने में सहायक हो।

हमारा मिशन

हम अपने इस स्वप्न को विश्वस्तरीय दूरसंचार अवसंरचना और सेवाओं को जुटाने की सुविधा देकर देश को "कभी भी - कहीं भी" संचार नेटवर्क से जोड़कर साकार करेंगे, ताकि हमारे देश में सामाजिक -आर्थिक विकास की गति तीव्र हो।

हमारे कार्यक्रम / लक्ष्य / उद्देश्य

नीतियों और कार्यक्रमों को, देश में एक विश्वस्तरीय दूरसंचार अवसंरचना सृजित करने के आधारभूत लक्ष्य को ध्यान रखकर निर्धारित किया गया है, ताकि सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्र की अपेक्षाओं और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को कम से कम लागत में पूरा किया जा सके। हमारा लक्ष्य उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं को किफायती बनाना तथा हर किसी को किसी भी स्थान पर बुनियादी दूरसंचार सेवाएं आसानी से और वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराना है। हमारे प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- सभी नागरिकों को वहनीय और प्रभावी संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों सहित, सभी सुविधा रहित क्षेत्रों में सर्व सुलभ संचार सेवा उपलब्ध कराना।
- दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया के बीच परस्पर तालमेल स्थापित करने के लिए एक आधुनिक और कुशल दूरसंचार अवसंरचना सृजित करना।
- दूरसंचार क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करना, जिसमें सभी सेवा प्रचालकों को समान अवसर और सेवा की समान परिस्थितियां उपलब्ध हों।
- देश में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को सुदृढ़ करना।
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता लाना ।
- देश के रक्षा और सुरक्षा संबंधी हितों की रक्षा करना।
- भारतीय दूरसंचार कंपनियों को वास्तविक अर्थों में वैश्विक सेवा-प्रचालकों की भूमिका निभाने में समर्थ बनाना।

हमारे ग्राहक

- दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंस प्राप्त प्रचालक/प्रदाता
- लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक/संगठन
- वायरलेस टेलीग्राफ उपकरणों को रखने के लाइसेंस प्राप्त करने और उसके नवीकरण के इच्छुक नागरिक।
- स्पेक्ट्रम/फ्रीक्वेंसियों/वायरलेस टेलीग्राफ लाइसेंस के आवंटन और संबंधित सुविधाओं को प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक/संगठन।



- दूरसंचार सेवाओं के प्रयोजन से टावर लगाने की अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक/संगठन।
- दूरसंचार सेवाओं के संबंध में अपने सेवा प्रदाताओं से सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत शिकायतों का समाधान न प्राप्त कर सकने वाले नागरिक।

हमारी सेवाएं

अब दूरसंचार विभाग भारतीय नागरिकों को स्वयं दूरसंचार सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा है। तथापि, दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन हेतु इस विभाग द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत भारतीय पंजीकृत कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। दूरसंचार सेवाओं का प्रचालन निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा भी किया जा रहा है। बीएसएनएल और एमटीएनएल स्वतंत्र सांविधिक निकाय हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विधिवत् निगमित किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (दूरसंचार सेवाओं का नियामक निकाय) सभी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा गुणवत्ता पर नियमित रूप से निगरानी रखता है। जहां तक ट्राई और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों जैसेकि बीएसएनएल और एमटीएनएल का संबंध है, उन्हें अपना स्वयं का नागरिक चार्टर तैयार करने का निदेश दिया गया है।

विश्वभर में दूरसंचार सेवाओं को किसी भी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता दी गई है और इस प्रकार दूरसंचार अवसंरचना को भारत में सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निर्णायक कारक माना जाता है। तदनुसार दूरसंचार विभाग निम्नलिखित कार्यों का संचालन करता है :

1. दूरसंचार सेवाओं के तेजी से विकास के लिए विकासात्मक नीतियां तैयार करना।
2. विभाग एकीकृत अभिगम सेवा, इन्टरनेट, वीएसएटी सेवा, एनएलडी, आईएलडी, पीएमआरटीएस, वायस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस, जीएमपीएलएस, आईपीएलसी पुनर्विक्री जैसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस की मंजूरी के लिए भी जिम्मेदार है।
3. अवसंरचना प्रदाता (ओएसपी) और टेलीमार्केटर्स का पंजीकरण तथा अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) एवं टेलीमार्केटर्स का पंजीकरण।
4. विभाग अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल से रेडियो के क्षेत्र में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है।
5. यह देश विभाग में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारेषण की निगरानी करके बेतार विनियामक उपायों को भी लागू करता है।
6. अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन(आईटीयू), इसके रेडियो रेगुलेशन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो कम्यूनिकेशन सेक्टर (आईटीयू-आर), टेलीकम्यूनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर (आईटीयू-टी), डेवलपमेन्ट सेक्टर (आईटीयू-डी), इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन सेटलाइट आर्गनाइजेशन (इन्टेलसैट), इंटरनेशनल मोबाइल सेटलाइट आर्गनाइजेशन (इन्मारसैट), एशिया पैसिफिक टेलीकम्यूनिकेशन (एपीटी) जैसे दूरसंचार का कार्य करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
7. दूरसंचार के मानकीकरण, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना।
8. दूरसंचार में निजी पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देना।
9. दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और दूरसंचार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कार्मिक-शक्ति निर्मित करने हेतु वित्तीय सहायता, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) संस्थानों को सहायता, उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को सहायता; और



(ख) शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों सहित अलग-अलग छात्रों को अन्य रूप में वित्तीय सहायता की मंजूरी।

10. निम्न सभी में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित विधि प्रशासन, नामतः

(क) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13),

(ख) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17); और

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1997 का 24)।

11. ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को वहनीय और उचित मूल्यों पर तार सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का प्रशासन।

12. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं।

ग्राहकों से हमारी प्रत्याशा

दूरसंचार विभाग भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंसप्रदाता की भूमिका में भारत के नागरिकों के रूप में दूरसंचार सेवाओं के प्रयोक्ताओं के अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। तदनुसार, लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों में दूरसंचार सेवाओं के ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ अधोलिखित सुरक्षा उपाय शामिल हैं जिन्हें लाइसेंसधारियों द्वारा अपनाए जाने की आशा है :-

- लाइसेंसधारी सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा जैसा टीआरएआई या लाइसेंस प्रदाता द्वारा विनिर्धारित है।
 - लाइसेंस जारी किए गए अभिगम सेवा प्रदाताओं के निदेश दिया जाता है कि वे पुलिस, अग्नि-शमन, एम्बुलेंस, रेलवे/रोड/वायु-दुर्घटना जांच आदि जैसी जन उपयोगी सेवाएं एवं आपात सेवाएं प्रदान करें।
 - लाइसेंसधारक की यह जिम्मेवारी होगी कि वह सेवा के प्रयोग के लिए अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करेगा अथवा बिल जारी करवाएगा।
 - भुक्तभोगी पक्ष और लाइसेंसधारक के बीच सेवा प्रदान करने से संबंधित कोई विवाद, केवल उन दोनों के बीच का मामला होगा, जिसे लाइसेंसधारक सभी को विधिवत सेवा प्रदान करने के पूर्व सूचित करेगा और किसी भी सूरत में लाइसेंसदाता की मामले के संबंध में कोई वचनबद्धता अथवा जिम्मेवारी नहीं होगी। लाइसेंसधारक अपने उपभोक्ताओं और लाइसेंसधारक के बीच विवादों के निपटारे से उत्पन्न सभी दावों, लागत, प्रभारों अथवा क्षतियों से लाइसेंसदाता को क्षतिपूरित रखेगा।
1. दूरसंचार सेवाओं का लाइसेंस प्रदाता होने के कारण दूरसंचार विभाग भी नागरिकों/ग्राहकों से मोबाइल फोनों के उपयोग के लिए कतिपय शिष्टाचारों का पालन करने की आशा करता है, जो निम्नानुसार हैं :-
- i) मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं को सरकार/स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों आदि में प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों/विनियमों/आदेशों/अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
 - ii) सार्वजनिक स्थलों में मोबाइल फोन को अस्पताल, हवाई जहाजों, रेलगाड़ियों, बसों, पूजा स्थलों, श्मशान भूमि/कब्रिस्तान, सभागार, सिनेमा हाल आदि में प्राधिकारियों द्वारा साइन बोर्डों पर दर्शाए गए अनुदेशों के अनुसार स्विच ऑफ मोड में अथवा वाइब्रेशन में अथवा साइलेंट मोड में रखना चाहिए।
 - iii) वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।



- iv) सार्वजनिक स्थलों पर मोबाइल प्रयोक्ता को उनके साथ बैठे अथवा खड़े लोगों का ध्यान रखना चाहिए। वे लोगों से दूर हट जाएं ताकि वे उनकी व्यक्तिगत/व्यावसायिक बातचीत सुनने को बाध्य न हों।
 - v) मोबाइल फोन का उपयोग लोगों की जानकारी और सहमति के बिना उनके फोटो खींचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपयोग निजी माने गए सार्वजनिक स्थलों जैसे स्विमिंग पूल, जिम आदि में फोटो खींचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कैमरा फोन के प्रयोक्ता के आसपास के लोगों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए।
 - vi) रिंगटोनों को निम्न स्तर पर सेट किया जाना चाहिए और इससे आसपास के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
 - vii) मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं को टेलीविज़न प्रचालकों से टेलीविज़नों के स्क्रीन पर उनके निजी एसएमएस प्रसारित करने का अनुरोध नहीं करना चाहिए।
2. नागरिकों से आशा की जाती है कि वे अवांछनीय, अवैध कार्यकलापों के लिए टेलीफोनों/मोबाइल का इस्तेमाल न करें।
 3. नागरिकों से आशा की जाती है कि वे दूरसंचार सेवाओं से संबंधित अपनी शिकायतों के निवारण हेतु पहले अपने सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से निवारण करने के लिए कहें और उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे शिकायत की पृष्ठभूमि और निवारण हेतु जिन कर्मचारियों/चैनलों से संपर्क किया था उसका उल्लेख करते हुए शिकायत का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें।

शिकायत निवारण तंत्र

सभी शिकायतकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शिकायतों का निपटान पहली बार में ही अपने संबंधित सेवा प्रदाता से "त्रिवृतीय संस्थानीकृत शिकायत निदान पद्धति" की मार्फत करवा लें; (जिसका ब्यौरा टीआरएआई द्वारा जारी दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निपटान विनियमन, 2007 (2007 का 3) के अंतर्गत सेवा प्रदाता एवं उपभोक्ता समूह अनुभाग/उनके द्वारा स्थापित www.trai.gov.in पर उपलब्ध है) तीन वृत्त हैं :-

- संबंधित सेवा प्रदाता के कॉल सेंटर (समय सीमा: 3 दिन)
- संबंधित सेवा प्रदाता का नोडल अधिकारी और (समय सीमा: 10 दिन)
- सेवा प्रदाता की कंपनी में अपीलीय प्राधिकारी (समय सीमा: 3 माह)

शिकायत निपटान की जिम्मेदारी संबंधित संगठनों/अधीनस्थ इकाइयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मंत्रालय के प्रशासनिक अनुभागों की है। तथापि, दूरसंचार विभाग शिकायतकर्ता के समुचित न्यायालय में जाने के अधिकार के प्रति दुर्भावना न रखते हुए, अभी तक प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है।

शिकायतकर्ता उपरोक्त प्रगामी समय-सीमा के बीतने के बाद दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के जन शिकायत प्रकोष्ठ को संबंधित सेवा प्रदाता स्तर पर अपनी शिकायतों के समाधान न होने के साक्ष्य-कागजात के साथ निम्नलिखित माध्यम से संपर्क कर सकते हैं :

डाक द्वारा : जन शिकायत प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग, कमरा नं0 518, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001



वैयक्तिक रूप से: सूचना एवं सुविधा केन्द्र, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

वेब पोर्टल : www.pgportal.gov.in द्वारा :

- शिकायत के तीव्र निपटान, तीव्र पहुंच और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने, वेब प्रौद्योगिकी (सीपीजीआरएएमएस) पर आधारित, एक एकीकृत आवेदन प्रणाली का क्रियान्वयन किया है जिसका उद्देश्य दूरसंचार विभाग और नागरिकों के मध्य तुरंत एवं सरल संचार के लिए कहीं से भी और किसी भी समय (24x7) शिकायतें प्रस्तुत करने का है।
- ब्राउसर इंटरफेस का प्रयोग करके इंटरनेट की मार्फत (दूरसंचार विभाग से) पीडित नागरिकों से शिकायतों की ऑनलाइन प्रस्तुति करने पर इस प्रणाली से एक अलग पंजीकरण नम्बर उपलब्ध कराया जाता है।
- शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बारे में निदान प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करने के लिए इस प्रणाली में नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

सूचना और सुविधा

दूरसंचार विभाग में संचार भवन, नई दिल्ली-110001 के मुख्य द्वार पर अवस्थित स्वागत कक्ष के साथ सूचना एवं सुविधा केन्द्र बनाया गया है।

आरटीआई मामलों के बारे में सूचना

इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम/स्वायत्त निकाय/सोसायटी अर्थात् बीएसएनएल, एमटीएनएल, आईटीआई, टीआरआई, टीडीएसएटी एवं एचटीएल आदि हैं जो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज) के अनुसार अलग "सार्वजनिक प्राधिकरण" हैं। उनकी अपनी वेबसाइट हैं और इनमें से प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में अलग सीपीआईओ/एपीआईओ हैं। इन प्राधिकरणों से संबंधित किसी भी सूचना के लिए इन संगठनों के संबंधित सीपीआईओ/एपीआईओ को ही आवेदन प्रस्तुत किए जाने हैं जैसा उनकी वेबसाइट में उल्लेख किया गया है।

तथापि, यदि कोई भारतीय नागरिक इस विभाग के बारे में कोई सूचना मांगना चाहता है तो उसे इस विभाग के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को आवेदन करना होगा। सीपीआईओ को आवंटित कार्य सहित उनका ब्यौरा और उनकी अपीलिय प्राधिकरण, शुल्क भुगतान प्रक्रिया आदि का ब्यौरा हमारी वेबसाइट में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उप-शीर्ष में है। उपरोक्त के अलावा, दूरसंचार विभाग की आरटीआई सेल निर्धारित सीपीआईओ के नाम के अलावा भेजे गए आवेदनों के समन्वय के मामलों की देखरेख करता है।

विभागाध्यक्ष

सचिव (दूरसंचार)
दूरसंचार विभाग
210, संचार भवन, नई दिल्ली-110001
टेलीफोन: 011-23719898, फ़ैक्स: 23711514
ई मेल: secy-dot@nic.in

संपर्क सूत्र

उप महानिदेशक (लोक शिकायत),
दूरसंचार विभाग,
1210, संचार भवन
नई दिल्ली-110001
टेलीफोन: 011-2337231 फ़ैक्स: 23372605
ई-मेल: ddgpg-dot@nic.in
हमारी वेबसाइट: www.dot.gov.in





IV. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) का सर्वदा यह प्रयास रहा है कि नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में बेहतर गुणवत्ता और वहनीय मूल्यों के साथ दूरसंचार के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए। दिनांक 9 जनवरी, 2004 की सरकारी अधिसूचना के तहत प्रसारण और केबल सेवाओं को ट्राई संशोधन अधिनियम, 2000, द्वारा यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 2(ट) के अनुसार "दूरसंचार सेवा" की परिभाषा के भीतर लाया गया है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखा जाए और साथ ही साथ दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास की परिस्थितियों को इस तरीके से और एक ऐसी गति से पोषित किया जाए कि इससे भारत उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभा सके।

प्राधिकरण की संरचना

प्राधिकरण की वर्तमान संरचना इस प्रकार है :-

नाम	पदनाम	पदधारित करने की तारीख
डा० जे० एस० सरमा	अध्यक्ष	14-05-2009
श्री आर. अशोक	सदस्य	30-09-2009
प्रो एच० एस० जमदग्नि	अंशकालिक सदस्य	19-03-2010

स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचे के संबंध में दिनांक 11 मई, 2010 की सिफारिश

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2009 को "समग्र स्पेक्ट्रम प्रबंधन, और लाइसेंसों की शर्तों की समीक्षा" के संबंध में परामर्श पत्र जारी किया। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने परामर्श प्रक्रिया में प्राप्त हुई टिप्पणियों और अपने विश्लेषण के आधार पर दिनांक 11 मई, 2010 को "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचे" के संबंध में अपनी सिफारिशें जारी कीं। इन सिफारिशों में निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में यह उल्लेख किया गया है:-

- स्पेक्ट्रम की आवश्यकता और उपलब्धता;
- लाइसेंसिंग से संबंधित मुद्दे;
- स्पेक्ट्रम से संबंधित कार्य और कीमत निर्धारण;
- स्पेक्ट्रम का समकेन; और
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन

संख्याकन संसाधनों के कुशल उपयोग" संबंधी सिफारिश जारी किया जाना

संख्याकन संसाधनों के कुशल उपयोग" के संबंध में दिनांक 20-08-2010 को सिफारिशें जारी की गईं। इन सिफारिशों में स्थिर और मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत संख्याकन स्कीम का प्रस्ताव किया गया है जिससे अगले 30-40 वर्षों के लिए



मौजूदा सेवाओं के विस्तार और नई सेवाएं शुरू करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्याएं उपलब्ध हो जाएंगी। इस एकीकृत संख्याकन से स्थिर लाइनों के नम्बर पोर्टिबिलिटी का विस्तार भी सुकर हो जाएगा।

संख्या (नम्बर) आबंटन को और अधिक सक्षम बनाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आबंटन प्रक्रिया के स्वचलन की सिफारिश की है। इससे सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन आबंटन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक बार ये सिफारिशें स्वीकार हो जाने के बाद भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एकीकृत संख्याकन स्कीम में स्थानांतरण करने हेतु विस्तृत योजना तैयार करने की ओर अग्रसर होगा।

"राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना" के संबंध में दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 की सिफारिश

- ब्राडबैंड के विदित लाभों के बावजूद, यह चिंता का विषय है कि भारत में सितम्बर, 2010 के अंत तक देश में कुल 10.30 मिलियन ब्राडबैंड कनेक्शन थे जबकि ब्राडबैंड नीति 2004 के तहत 2010 तक 20 मिलियन ब्राडबैंड उपभोक्ता तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- देश में ब्राडबैंड के विकास को प्रेरित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने "राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना" के संबंध में दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 को सरकार को अपनी सिफारिश भेजी है।
- ट्राई ने राष्ट्रीय ब्राडबैंड नेटवर्क स्थापित करने की सिफारिश की है। यह नेटवर्क 500 और उससे अधिक जनसंख्या के रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाला एक मुक्त ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होगा। यह नेटवर्क दो चरणों में स्थापित किया जाएगा। प्रथम चरण में सभी नगरों, शहरी क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों को इस नेटवर्क में शामिल करते हुए इसे वर्ष 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा। चरण II, में इस नेटवर्क का विस्तार 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी इलाकों तक करते हुए इसे वर्ष 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह नेटवर्क 66,000 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इसे सार्वभौमिक सेवा दायित्व यूएसओ (निधि) द्वारा धन प्रदान किया जाएगा और केन्द्र सरकार द्वारा ऋण प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- इस ब्राडबैंड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर अभिकरण स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर अभिकरण (एनओओएफओ) को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के अधीन रखे जाने का प्रस्ताव है। एनओओएफओ जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत शामिल किए गए सभी 63 नगरों में यह नेटवर्क स्थापित करेगा।
- प्रत्येक राज्य में एक ऑप्टिकल फाइबर अभिकरण (एनओओएफओ) बनाया जाएगा जिसमें 51 प्रतिशत इक्विटी राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर अभिकरण की और 49 प्रतिशत इक्विटी सम्बन्धित राज्य सरकार की होगी। एनओओएफओ का सभी एसओओएफओ पर नियंत्रण होगा। सभी राज्य ऑप्टिकल फाइबर अभिकरण, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर अभिकरण के समग्र मार्ग-दर्शन के अधीन जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेओएनयूआरओएम) के अंतर्गत कवर किए गए नगरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में नेटवर्क तथा बैंकहॉल स्थापित करेंगे।

दिनांक 24 नवम्बर 2010 की दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2010 (2010 की संख्या 05)

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में मोबाइल नम्बर पोर्टिविलिटी के कार्यान्वयन के लिए आधारभूत कारोबार प्रक्रिया का ढांचा निर्धारित करते हुए दिनांक 23 सितम्बर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी विनियमावली, 2009 (2009 की संख्या 8) जारी की। इस विनियमावली के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 से कार्यान्वित किए जाने अपेक्षित थे।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तैयारी न होने के कारण दूरसंचार विभाग ने आगे भी मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी के कार्यान्वयन



की समय-सीमा समय-समय पर बढ़ाई है। अतः दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी (द्वितीय संशोधन विनियमावली 2010 (2010 की संख्या 5) जारी की गई।

- बाद में सुरक्षा कारणों के संबंध में दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर मुख्य विनियमावली के विनियम 10 में प्रदाता प्रचालकों (डोनर ऑपरेटरों) के लिए समय सीमा 24 घंटों से संशोधित करके 4 कार्य-दिवस कर दी गई।

दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 की दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियमावली 2010

- हाल ही में दूरसंचार प्रयोक्ताओं के लिए अप्रार्थित वाणिज्यिक संचार परेशानी और असुविधा का बहुत बड़ा कारण बने है। ये संचार, व्यक्ति की निजता में बाधा डालते हैं। अप्रार्थित वाणिज्यिक संचार से बचने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, (ट्राई) ने दिनांक 5 जून, 2007 को अप्रार्थित वाणिज्यिक संचार विनियमावली, 2007 अधिसूचित की जिसमें अप्रार्थित वाणिज्यिक संचार पर नियंत्रण रखने के लिए एक ढांचे का प्रावधान किया गया है।
- अप्रार्थित वाणिज्यिक संचार पर नियंत्रण रखने के लिए ट्राई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, दूरसंचार उपभोक्ताओं में इस संबंध में असंतुष्टि बनी हुई है। यद्यपि, अप्रार्थित वाणिज्यिक वायस कॉलों की संख्या में कुछ हद तक कमी हुई है तथापि एस0एम0एस की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है जिससे दूरसंचार उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
- इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मई 2010 में परामर्श प्रक्रिया शुरू की। सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ गहन चर्चा के बाद ट्राई ने 1 दिसम्बर, 2010 में परामर्श प्रक्रिया शुरू की। सभी पणधारियों के साथ गहन चर्चा के बाद ट्राई ने 1 दिसम्बर, 2010 को "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता विनियामवली", 2010 जारी की। ये विनियम उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करते हैं। उपभोक्ता "पूर्णतथा अवरुद्ध" श्रेणी चुन सकते हैं जो कि "डू नॉट कॉल रजिस्ट्री" के सदृश है अथवा वह "विशिष्ट रूप से अवरुद्ध" श्रेणी चुन सकते हैं जिसमें वह अपने द्वारा चुनी हुई श्रेणी/श्रेणियों में एस0एम0एस0 प्राप्त करेगा। पंजीकरण, के सात दिन के भीतर उपभोक्ताओं का पंजीकरण प्रभावी होगा।
- विनियमावली के अनुसार दोषी टेलीविक्रेता भारी शास्ति के भागीदार होंगे। टेलीविक्रेताओं को दूरसंचार संसाधन प्राप्त करने से पूर्व सेवा प्रदाता के साथ एक करार करना अपेक्षित है। टेलीविक्रेताओं को यह वचन देना होगा कि निम्नलिखित राशि उनके द्वारा जमा करवाई गई सुरक्षा प्रतिभूति में से काट ली जाएगी :-
- पहला अपराध: 25,000/- रूपए, दूसरा अपराध 75,000/-रु० तीसरा अपराध: 80,000/रु० चौथा अपराध 1,20,000/ - रूपए, पाँचवा अपराध: 1,50,000/- रूपए छठा अपराध 2,50,000/-रूपए
- सुरक्षा प्रतिभूति में से कटौती के अतिरिक्त, टेलीविक्रेता छठी बार अपराध करने पर ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। ब्लैक लिस्ट कर दिए गए टेलीविक्रेताओं के दूरसंचार संसाधनों का सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा संपर्क काट दिया जाएगा और उन्हें दो वर्ष तक बहाल नहीं किया जाएगा।

मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए बुनियादी वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए सेवा की अपेक्षाओं की गुणवत्ता के संबंध में दिनांक 28 अक्टूबर 2010 का परामर्श पत्र

टेलीफोन सेवाओं की वृद्धि तथा साथ ही विकसित प्रौद्योगिकी ने मोबाइल फोनों का बैंकिंग संचालन में भी एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाने का रास्ता खोल दिया है। हाल ही में गठित एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आइ.एम.जी) ने सेवा की गुणवत्ता की विकास और सेवाओं के कीमत-निर्धारण के संबंध में सुझावों के अतिरिक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए



आधारभूत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के संबंध में अनेक सिफारिशों की है। आई0एम0जी0 समूह ने मोबाइल फोनों का प्रयोग करते हुए बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार किया है जिसमें विशिष्ट रूप से निम्नलिखित मुख्य शेरर किए जा सकने वाले तत्वों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:

- प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत सेवाओं हेतु नए उपभोक्ताओं के नामांकन के संबंध में "अपने उपभोक्ता को जानिए", (के0वाई0सी0) मानदंड, प्रक्रियाएं और वास्तविक आंकड़े। आई0एम0जी0 समूह ने शेरर किए जा सकने वाली के0वाई0सी0 अपेक्षाओं को निर्धारित करने के लिए गृह मंत्रालय से परामर्श करने का भी निर्णय किया है।
- ग्राम तथा स्थानीय स्तर पर "कैश -इन" और कैश -आउट" प्रचालन करने के लिए एक सर्वव्यापक अवसंरचना संघटक (निहित मानव संसाधनों सहित)
- बुनियादी वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने में निहित बड़ी संख्या में कम राशि के खातों और सूक्ष्म लेन-देनों के प्रबंधन को सुकर बनाने के लिए एक अतिरिक्त अवसंरचना संघटक।

इस ढांचे में बैंको द्वारा ऐसे "मोबाइल लिक्ड नो फ्रिल्स एकाउंट" सृजित किए जाने की परिकल्पना की गई है जिनकी लेन-देन की विभिन्न सीमाएं होंगी। इन खातों में बुनियादी वित्तीय लेन-देन (नकद जमा, उपभोक्ता के मोबाइल लिक्ड नो फ्रिल्स खाते का क्रेडिट, नकद आहरण, समकक्ष खाते से समकक्ष खातों में अंतरण और शेष जमा राशि के संबंध में पूछताछ) को "मोबाइल बैंकिंग पी0ओ0एस" अथवा बायोमैट्रिक आधारित बीसीएस के "माइक्रो एटीएम" अथवा वी0सी0ए उप एजेंट का प्रयोग करते हुए मोबाइल आधारित पी0आई0एन0 पद्धति के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है आई.एनजी. ने ढांचे में विभिन्न पणधारियों को चिन्हित कर लिया है और इनमें से प्रत्येक पणधारी की भूमिका परिभाषित कर दी है। ये स्टेक होल्डर है - भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यू0आई.डी.आई) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, बैंक, मोबाइल सेवा प्रदाता का (एम0एस0पी0) डाक विभाग (डी0ओ0पी0) नागरिक, सरकार तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।

मोबाइल फोनों का प्रयोग करते हुए वित्तीय लेन-देन की सहायता प्रदान करने के लिए सेवा पैरामीटरों की गुणवत्ता के संबंध में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रित चर्चा आरंभ करने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 28 अक्टूबर 2010 को मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए बुनियादी वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए अपेक्षित सेवा की गुणवत्ता के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र के संबंध में स्टेक होल्डरों की टिप्पणियां 8 दिसम्बर 2010 तक और प्रति टिप्पणियां 15 दिसम्बर 2010 तक मांगी गई थी।

"खो गए/चोरी हो गए मोबाइल हैंड सेट के संबंध में आई0एम0ई0आई बंद करने से संबंधित मुद्दों" के संबंध में दिनांक 2-11-2010 का परामर्श पत्र सं0 57/2010

मोबाइल फोन की चोरी उपभोक्ताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय होती है विशेष तौर जब इसमें महत्वपूर्ण वैयक्तिक ब्यौरे/सूचनाएं एकत्र कर के रखी जाती है। इस समय मोबाइल फोन के चोरी हो जाने की स्थिति में इसे बंद कर देने संबंधी कोई तंत्र नहीं है। वर्ष 2004 में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस संबंध में एक प्रारंभिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी। तथापि उस समय अनेक सेवा प्रदाताओं के पास हैंडसेट का पता लगाने / अपने नेटवर्क में हैंडसेट को बंद कर देने की क्षमता नहीं थी। अतः इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे का पुनः अवलोकन करने के लिए ट्राई ने यह परामर्श पत्र जारी किया था जिससे मोबाइल हैंडसेट को बंद करने से संबंधित अनेक मुद्दे सामने आए हैं।

"भारत में दूरसंचार उपस्करों के निर्माण को प्रोत्साहन" के संबंध में परामर्श पत्र

दूरसंचार क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। उपभोक्ता की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है और वर्ष 2014 तक इनकी संख्या 1 बिलियन हो जाने की आशा है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप दूरसंचार उपस्करों और उपभोक्ता टर्मिनलों की मांग बढ़ेगी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार दूरसंचार उपस्करों का बाजार 100,000 करोड़ रूप से भी अधिक का है। तथापि, दूरसंचार उपस्कर निर्माण करने वाला घरेलू क्षेत्र मांग के साथ सामंजस्य नहीं कर पा रहा है। जिसके कारण दूरसंचार प्रचालक



अपने नेटवर्कों के लिए अपेक्षित अधिकांश उपस्करों का आयात करने को विवश होते हैं। यहां तक कि भारत में दूरसंचार उपस्करों के मौजूदा घरेलू निर्माता विदेशी में विकसित हुई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं और परिणामस्वरूप ऐसे उत्पादों की बिक्री का बहुत बड़ा लाभ विदेशी कम्पनियों को प्राप्त होता है। देश की मांग को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ निर्यात करने में समर्थ होने के लिए भारत को एक सहयोगी दूरसंचार पारिस्थितिक पद्धति (सिनरजेटिक टेलीकॉम इको सिस्टम) सृजित करनी होगी और पूरी दूरसंचार श्रृंखला में उपयोगी उपस्करों का निर्माण करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी उत्पाद तैयार करने वाली कम्पनियां बनानी होंगी।

भारत में दूरसंचार उपस्करों का निर्माण करने से संबंधित मुद्दे उठाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिसम्बर 2010 में स्टेक होल्डर के मत जानने के लिए दूरसंचार उपस्करों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श-पत्र में विचार-विमर्श हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है:-

- अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) को उन्नत बनाना तथा बौद्धिक संपदा का सृजन करना
- भारत में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना ।
- भारत में इलैक्ट्रॉनिक संघटकों का निर्माण ।

बहु-प्रचालक बहु-सेवा परिदृश्य में इंटेलेजेंट नेटवर्क सेवा विनियामवली, 2006 (2006 की संख्या 13) में संशोधन के लिए परामर्श

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने स्टेक होल्डरों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए बहु-प्रचालक बहु-सेवा परिदृश्य में इंटेलेजेंट नेटवर्क सेवाएं विनियामवली, 2006 (2006 की संख्या 13) में संशोधन का मसौदा दिनांक 12.10.2010 को जारी किया। इंटेलेजेंट नेटवर्क विनियामवली में संशोधन हेतु मसौदे में यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे सेवा प्रदाता जो पहले से ही इंटेलेजेंट नेटवर्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उन्हें इस संशोधन की तारीख से 90 दिन के भीतर सभी अभिगम प्रदाताओं के साथ एक करार करना होगा और ऐसे सेवा प्रदाता जो बाद में आईओएन0 सेवाएं प्रदान करना आरंभ करेंगे उन्हें आई.एन. सेवा आरंभ करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर एक करार करना होगा।

इंटेलेजेंट नेटवर्क सेवाओं के लिए राजस्व भागीदारी व्यवस्था के संबंध में परामर्श पत्र

बहु-प्रचलन बहु सेवा परिदृश्य में इंटेलेजेंट नेटवर्क सेवाएं विनियामवली 2006 (2006 की संख्या 13 के संबंध में दिनांक 27 नवम्बर, 2006 को जारी की गई।

अगस्त 2008 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग से यह सिफारिश की थी कि लंबी दूरी के सेवा प्रदाताओं की कॉलिंग कार्ड के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका प्रमुख अभिप्राय उपभोक्ताओं को अपना अभिगम सेवा प्रदाता वही रखते हुए लंबी दूरी की कॉलों के लिए अपनी पसंद का वाहक प्राप्त करने की अनुमति देना था। ये सिफारिशें अगस्त, 2009 में स्वीकार कर ली गईं और तदनुसार लाइसेंस शर्तें संशोधित की गईं। ट्राई को कुछ सेवा प्रदाताओं से यह अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं कि कॉलिंग कार्ड की सेवा हेतु सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन और वाणिज्यिक व्यवस्था निर्धारित की जाए।

इंटेलेजेंट नेटवर्क सेवाओं के लिए राजस्व भागीदारी की व्यवस्था के संबंध में स्टेक होल्डरों की राय मांगने के लिए दिनांक 03 नवम्बर 2010 को परामर्श पत्र जारी किया गया ताकि ट्राई को एक ऐसा ढांचा तैयार करने में मदद मिल सके जिससे आपस में जुड़े इंटरकनेक्टिंग सेवा प्रदाताओं को इंटेलेजेंट नेटवर्क सेवाओं के लिए उचित रूप से प्रतिपूर्ति हो सके।

दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हित के सुरक्षित रखने के उपायों की समीक्षा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इस समय उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रखने के उपायों की समीक्षा कर रहा है। ट्राई ने "दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रखने के उपायों की समीक्षा" के संबंध में विभिन्न स्टेक होल्डरों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 2 अगस्त, 2010 को एक परामर्श पत्र जारी करके समीक्षा की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।



ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप सेवा प्रदाताओं का कार्य निष्पादन

(क) बेसिक सेवाएं, सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं तथा अन्तर्संयोजन विन्दु का संकुलन स्तर

ट्राई सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही कार्य निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्ट (पीएमआर) तथा मासिक पीओआई संकुलन रिपोर्ट के माध्यम से समय-समय पर जारी किए गए सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियमों के तहत निर्धारित विभिन्न पैरामीटरों से संबंधित बेंचमार्कों की तुलना में बेसिक तथा सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के कार्य निष्पादन को मॉनीटर करता है। 30 सितम्बर, 2010 को समाप्त तिमाही के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत पीएमआर के विश्लेषण से यह पता चलता है कि निजी सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता सामान्यतः अधिकांश सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटर के संबंध में ट्राई द्वारा विहित मानदंडों का पालन कर रहे हैं। तथापि, कुछ सेवा प्रदाता सेवा की गुणवत्ता संबंधी कुछ पैरामीटरों को पूरा नहीं कर रहे हैं। मानदंडों का अनुपालन नहीं हो पाना सामान्यतः 3% टीसीएच एवं कॉल ड्रॉप दर से अधिक वाले बुरी तरह प्रभावित सेलों, अन्तर्संयोजन विन्दु (पीओआई) संकुलन, मीटरिंग तथा बिलिंग विश्वसनीयता-पोस्टपेड और मीटरिंग तथा बिलिंग विश्वसनीयता-प्रीपेड, कॉल केन्द्र /उपभोक्ता देखभाल केन्द्र तक अभिगम्यता और प्रचालक (वॉयस टु वॉयस) द्वारा 60 सेकेण्ड के भीतर कॉलों के उत्तर के प्रतिशत जैसे पैरामीटरों के संबंध में पाया जाता है। बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन)के मामले में, निजी सेवा प्रदाता 3 दिनों के भीतर दोष की मरम्मत से संबंधित मानदंड को छोड़कर सेवा की गुणवत्ता संबंधी विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में अधिकांश मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं।

अन्तर्संयोजन विन्दु संकुलन की निगरानी सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्टों के जरिए मासिक आधार पर की जाती है। सेवा की गुणवत्ता के विनियमों में ट्राई द्वारा पैरामीटरों के संबंध में अधिसूचित मानक $<0.5\%$ है। जून, 2010 की तिमाही के संबंध में पीओआई संकुलन रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि पीओआई संबंधी संकुलन के संबंध में सीएमएसपी के कार्य निष्पादन में, मार्च, 2010 में कार्य निष्पादन की तुलना में जून, 2010 के महीने में मामूली सुधार हुआ है। जून, 2010 की स्थिति के अनुसार 77 अन्तर्संयोजन विन्दुओं का संकुलन 0.5% के बेंचमार्क से ऊपर था जबकि मार्च, 2010 में ऐसे अन्तर्संयोजन विन्दुओं की संख्या 82 थी।

(ख) ब्रॉडबैंड सेवाएं

ट्राई दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 के ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियम के तहत उपलब्ध कराए गए मानदंडों के अनुसार ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के कार्य निष्पादन की निगरानी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से करता है। पीएमआर के विश्लेषण से पता चलता है कि ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता सामान्यतः सेवा की गुणवत्ता संबंधी अधिकांश पैरामीटरों के संबंध में ट्राई द्वारा विहित मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं। तथापि, कुछ सेवा प्रदाता सेवा की गुणवत्ता संबंधी कुछ पैरामीटरों को पूरा नहीं कर रहे हैं। मानदंडों का अनुपालन नहीं हो पाना सामान्यतः सेवा उपलब्ध कराने / एक्टिवेशन समय, दोष मरम्मत/ बहाली समय तथा कार्य के व्यस्ततम घंटों (टीसीबीएच) के दौरान $<90\%$ बैण्डविथ उपयोग करने वाले अन्तरा नेटवर्क सम्पर्कों की संख्या जैसे पैरामीटरों के संबंध में पाया जाता है।

(ग) इंटरनेट सेवाएं

ट्राई ने इंटरनेट डायल अप अभिगम के लिए मानदंडों का निर्धारण करते हुए डायल अप सेवा तथा लीज्ड लाइन इंटरनेट अभिगम सेवा के संबंध में सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियम दिसम्बर, 2001 में अधिसूचित किया। सितम्बर 2010 को समाप्त तिमाही से संबंधित कार्य निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्ट (पीएमआर) के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाता सामान्यतः सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को पूरा कर रहे हैं।



भारत में अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के मिनटों के निर्धारण के संबंध में एक समान मूल्य तय करना

सेवा प्रदाताओं के एक वर्ग ने स्थानीय समापन शुल्कों में व्यवधान डाले बिना मध्य पूर्व से उत्पन्न होने वाले अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के मिनटों के भारत में निर्धारण हेतु एक समान मूल्य तय करने के लिए हस्तक्षेप करने हेतु "ट्राई" को अभ्यावेदन दिया है। ट्राई ने स्टेकधारकों से दिनांक 24.11.2010 को टिप्पणियां आमंत्रित की हैं ताकि भारतीय सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हित में शुल्कों को विनियमित किया जा सके।

जनवरी से मार्च 2011 तक के संबंध में अनुमानित उपलब्धियां

● दूरसंचार अवसंरचना नीति से जुड़े मुद्दों पर परामर्श पत्र

दूरसंचार अवसंरचना स्वस्थ दूरसंचार सेवा क्षेत्र की कूंजी है जो प्रकारान्तर से देश के तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तदनुसार, देश के लिए यह अति महत्वपूर्ण है कि एक व्यापक और भावी दृष्टि वाली दूरसंचार अवसंरचना नीति हो जिससे दूरसंचार उद्योग के विकासार्थ एक समर्थकारी ढांचे का निर्माण हो सके। ट्राई ने 5 फरवरी, 2010 को दूरसंचार टॉवरों तथा संबंधित मुद्दों के संबंध में एक पूर्व परामर्श पत्र जारी किया ताकि स्टेकधारकों के विचार प्राप्त किए जा सकें। ट्राई का प्रस्ताव स्टेकधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर दूरसंचार अवसंरचना नीति से जुड़े मुद्दों पर एक परामर्श पत्र जारी करने का है।

● हरित दूरसंचार के संबंध में परामर्श पत्र

कार्बन फुटप्रिन्ट में दूरसंचार उद्योग का योगदान बढ़ रहा है। आईटीयू सहित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सभी दूरसंचार तथा आईसीटी से संबंधित उपस्कर सेवाओं में पारिस्थितिकी के अनुकूल तत्वों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दे रहा है। विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करने और किसी कार्य योजना की संभावना का पता लगाने के लिए ट्राई ने दिनांक 18 जून, 2010 को "हरित दूरसंचार" संबंधी एक पूर्व परामर्श पत्र जारी किया ताकि स्टेकधारकों के विचार प्राप्त किए जा सकें। स्टेकधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर ट्राई हरित दूरसंचार संबंधी एक परामर्श पत्र जारी करने का प्रस्ताव करता है।

● डीईसीटी जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन

"आवासीय तथा उद्यम अवसंरचना दूरसंचार आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीईसीटी जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन" से संबंधित परामर्श पत्र मार्च 2011 तक जारी किए जाने की संभावना है।

● 1785-1805 मेगाहर्टज तथा 2010-2025 मेगाहर्टज फ्रीक्वेंसी बैंडों के लिए परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग द्वारा 1785-1805 मेगाहर्टज तथा 2010-2025 मेगाहर्टज आदि फ्रीक्वेंसी बैंडों के लिए सिफारिशें मांगी गई थीं। ट्राई द्वारा इस मुद्दे पर मार्च, 2011 तक परामर्श पत्र जारी किए जाने की संभावना है।

● आई एन विनियमों में संशोधन जारी करना

● आई यू सी की व्यापक समीक्षा के संबंध में परामर्श पत्र

● आई एन सेवाओं के लिए राजस्व हिस्सेदारी प्रबन्धों से सम्बन्धित विनियम जारी करना



- भारत मे दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में व्यापक प्रकाशन तैयार करना
- दूरसंचार प्रशुल्क तथा अन्य संबंधित मुद्दों में पारदर्शिता के संबंध में विभिन्न मुद्दों के बारे में दूरसंचार प्रयोक्ताओं के बीच सर्वेक्षण करना
- मार्च, 2011 महीने में "केन्द्रीय आपातकाल रिस्पांस" संबंधी संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



V. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी)

प्रस्तावना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम 1997 (यथा संशोधित) में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने, विवादों पर अधिनिर्णय देने, अपीलों का निपटान करने और दूरसंचार क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने और इनसे जुड़े अथवा अनुषंगिक मामलों पर विचार करने के लिए ट्राई और टीडीएसएटी की स्थापना की व्यवस्था है।

दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) का सृजन लाइसेंस प्रदाता, सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के समूह के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान और उस पर अधिनिर्णय देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्राई अधिनियम 1997 के अंतर्गत वर्ष 2000 में किया गया। जनवरी 2004 में टीडीएसएटी के कार्य क्षेत्र में विस्तार करते हुए इसमें दूरसंचार क्षेत्र के अतिरिक्त प्रसारण और केबल सेवाएं भी शामिल की गईं। टीडीएसएटी ट्राई के विनियमनों, निर्णयों, आदेशों और निर्देशों पर अपीलीय अधिकारों का प्रयोग करता है। यह अपने मूल अधिकार का भी प्रयोग करता है।

टीडीएसएटी का अधिकार क्षेत्र विशिष्ट है और इसके आदेशों को केवल कानूनी बिंदुओं पर ही भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। टीडीएसएटी के अंतरिम आदेशों के विरुद्ध सांविधिक अपील नहीं की जा सकती है। टीडीएसएटी एक विशेषज्ञ निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश हैं जबकि दो सदस्य प्रशासन/दूरसंचार क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं।

टीडीएसएटी सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों से बंधा हुआ नहीं है। इसने अपनी स्वयं की प्रक्रिया (टीडीएसएटी प्रक्रिया 2005) का गठन किया है जो कि सरल तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। टीडीएसएटी में याचिका, अपील तथा विविध आवेदन करने के लिए कोर्ट शुल्क क्रमशः 5000/- ₹0, 10,000/- ₹0 तथा 1000/- ₹0 है।

पूरे विश्व में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विवादों को विनियामक और सामान्य न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। तथापि, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधी विवादों के तत्काल समाधान और अधिनिर्णय हेतु भारत में टीडीएसएटी के रूप में एक विशेष संस्था मौजूद है। अतः भारत में विवाद निपटान दूरसंचार विनियामक के कार्य-क्षेत्र से बाहर है।

मई, 2000 में अधिकरण की संस्थापना से प्रति वर्ष अधिकरण में मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। टीडीएसएटी के समक्ष वर्ष 2001 में दर्ज मामलों की कुल संख्या 103 थी जो 2009 में बढ़कर 491 हो गई। 1.1.2010 से 31-12-2010 तक टीडीएसएटी में कुल 851 मामले दर्ज कराए गए हैं। दर्ज किए गए मामले साथ-साथ निपटा दिए गए हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि विवादों का निपटान शीघ्रतापूर्वक हो। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि 31-12-2010 तक 3430 मामलों का निपटान कर दिया गया जबकि उस अवधि के दौरान 3903 मामले दर्ज कराए गए थे। वर्ष 2001 से 31 दिसंबर 2010 तक दर्ज कराए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

टीडीएसएटी ने अपने प्रारंभ से, दूरसंचार के साथ-साथ प्रसारण और केबल सेक्टर से संबंधित मामलों में भी विशिष्ट निर्णय दिए हैं।



दूरसंचार, प्रसारण और केबल क्षेत्रों में विवाद समाधान तंत्र के संबंध में उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों में जागरूकता लाने और इन क्षेत्रों में शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के तरीकों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण देश के विभिन्न भागों में संगोष्ठियां आयोजित कर रहा है। अधिकरण ने वर्ष 2009-10 के दौरान लखनऊ, इंदौर, अगरतला और देहरादून में सेमिनार आयोजित किए। अधिकरण ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान शिमला, रायपुर और पुडुचेरी में भी सेमिनार आयोजित किया है तथा इसका देश के विभिन्न भागों में भी और अनेक सेमिनार आयोजित करने का विचार है। टीडीएसएटी द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों के दौरान उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों सहित विशिष्ट वक्ताओं द्वारा टीडीएसएटी की डिलीवरी सिस्टम की प्रशंसा की गई।

टीडीएसएटी ने दूरसंचार और प्रसारण संबंधी कानूनों के एक प्रामाणिक सार-संग्रह का संकलन भी किया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और टीडीएसएटी द्वारा दिये गए निर्णयों को संगृहीत किया गया है और इसे सीडी के रूप में उपलब्ध कराया गया है। अब इस सार-संग्रह का उपयोग उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में उद्धरण के प्रयोजनार्थ किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के सेक्टर सदस्य के रूप में, टीडीएसएटी आईटीयू तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है।

टीडीएसएटी की अपनी वेबसाइट है और अधिकरण के सभी महत्वपूर्ण निर्णय तथा अन्य कार्यकलाप वेबसाइट www.tdsat.nic.in पर उपलब्ध है। टीडीएसएटी ई-मेल tdsat1@yahoo.co.in के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर सलाह देते हुए स्टेक होल्डरों, वकीलों, उपभोक्ताओं आदि के साथ विचारों का आदान-प्रदान भी करता है। टीडीएसएटी अधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध दैनिक मामलों से संबंधित सूचना मुकदमों के पक्षकारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस अधिकरण ने एसएमएस चेतावनी प्रणाली भी विकसित की है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VI. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियां

2010-11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 19, संघ सरकार (सिविल) (दूरसंचार विभाग द्वारा जारी लाइसेंस एवं 2जी स्पैक्ट्रम के आबंटन की निष्पादन लेखापरीक्षा)

दूरसंचार विभाग

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 द्वारा दूरसंचार क्षेत्र के खुलने का पटल तैयार करने के साथ पिछले दो दशकों में दूरसंचार क्षेत्र में व्यापक त्वरित बदलाव आये हैं। इस क्षेत्र में बदलाव के साथ सैल्यूलर मोबाईल सेवाएं फिक्स्ड लाईन सेवाओं से अधिक बढ़ गई हैं। लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी कि:

- क्या युनीफाइड एसेस सर्विस (यूएसएस) के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए पॉलिसी का क्रियान्वयन प्रभावपूर्ण तरीके से व्यवस्थित किया गया था,
- क्या स्वच्छ, दक्षतापूर्ण व पारदर्शी तरीके से यूएसएस लाइसेंस जारी किए गए थे और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम आबंटित किया गया था और
- क्या सरकार के लिए राजस्व उत्पादन की क्षमता का सम्पूर्ण प्रबन्धन किया गया था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

पॉलिसी क्रियान्वयन में कमियां

टीआरएआई ने लाइसेंस के आबंटन के लिए मार्गदर्शिका की सिफारिश करने हेतु एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था यह प्रतिवेदन अक्टूबर, 2003 में मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित यूएसएस नीति का आधार था। यूएसएसएल प्रणाली का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाना था। चरण 1 के अंतर्गत पहले ही मौजूद प्रचालकों का नई व्यवस्था में प्रस्थान किया जाना था। दूसरे चरण में नए प्रचालकों का नाममात्र लाइसेंस शुल्क और अलग-अलग स्पैक्ट्रम प्रभार वाली एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था में प्रवेश करना था।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला है कि दूरसंचार विभाग ने नीति के दूसरे चरण की अनदेखी करते हुए सिर्फ पहले चरण का क्रियान्वयन किया। दूरसंचार विभाग ने नए प्रचालकों के लिए माइग्रेशन हेतु 2001 में निर्धारित दरों को भी बढ़ा दिया था जो कि ट्राई की सिफारिशों के अनुरूप नहीं था। मंत्रिमंडल के 2003 के निर्णय द्वारा वित्त मंत्रालय को स्पैक्ट्रम के दक्ष आबंटन और मूल्य निर्धारण के लिए चर्चा में भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया था। दूरसंचार विभाग ने स्पैक्ट्रम के मूल्य-निर्धारण संबंधी मामले को फरवरी 2006 में गठित मंत्रियों के समूह के विचारार्थ विषय में शामिल न करते हुए इसे पूर्णतः अलग कर दिया था।

पैरा 3.1,3.2,3.3

दूरसंचार आयोग से परामर्श नहीं किया गया था

यूएसएस पद्धति के अंतर्गत 51 नए लाइसेंस जारी करने तथा 53 आवेदन लम्बित रखने के बाद, दूरसंचार विभाग ने अप्रैल 2007 में प्रत्येक सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं की संख्या सीमित करने के मामले पर टीआरएआई से सिफारिश मांगी थी। टीआरएआई ने अपनी 28 अगस्त 2007 की रिपोर्ट में लाइसेंसों की संख्या पर "सीमा नहीं" लगाने की सिफारिश की थी।

उच्च शक्ति प्राप्त दूरसंचार आयोग, जिसमें वित्त मंत्रालय, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी व योजना आयोग से अंशकालिक सदस्य भी शामिल हैं, को अगस्त 2007 की टीआरएआई की सिफारिशों के बारे में नहीं बताया गया था तथा इस प्रकार टीआरएआई की सिफारिशों की विशेषताओं पर उच्च शक्ति प्राप्त दूरसंचार आयोग से 2008 में 122 यूएसएस लाइसेंस प्रदान करने के समय भी परामर्श नहीं लिया गया था।



यद्यपि टीआरएआई ने किसी भी सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं की संख्या पर "सीमा नहीं" की सिफारिश की थी, दूरसंचार विभाग ने 24 सितंबर 2007 को प्रैस विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया कि लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन केवल 1-10-2007 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग ने पुनः तिथि में परिवर्तन किया कि जो आवेदन 25-9-2007 तक प्राप्त हो गए थे केवल उन्हीं को आशय पत्र (एलओआई) जारी किए जाएं।

वित्त मंत्रालय के विचार व चिंताओं का उल्लंघन हुआ

वित्त मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को 2001 में किए गए स्पैक्ट्रम के मूल्य-निर्धारण को, बिना किसी सूचना या वर्तमान मूल्य निर्धारण किए बिना 2007 में जारी रखने के औचित्य पर प्रश्न उठाया और इसकी समीक्षा की मांग की। दूरसंचार विभाग ने वित्त मंत्रालय की इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया था।

माननीय प्रधानमंत्री के सुझावों का पालन नहीं किया गया

नवम्बर 2007 में, माननीय प्रधानमंत्री ने अपर्याप्त स्पैक्ट्रम परिपेक्ष्य में, नये लाइसेंसों के लिए प्राप्त आवेदनों की असाधारण संख्या के संबंध में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से चिन्ता व्यक्त की थी और प्रविष्टि शुल्क जो कि वर्तमान में पुरानी दरों पर निर्धारित है को संशोधित करते हुए नीलामी के स्वच्छ व पारदर्शी तरीके का सुझाव दिया। प्रत्युत्तर में संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा कहा गया था कि टीआरएआई तथा दूरसंचार आयोग द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा था और उनमें द्वारा प्रविष्टि शुल्क के संशोधन हेतु अनुशंसा नहीं की गई थी क्योंकि विद्यमान लाइसेंस धारक 10 मेगाहर्ट्ज प्रति मरिमंडल तक कोई स्पैक्ट्रम प्रभार लगे बिना पहले ही स्पैक्ट्रम प्राप्त कर चुके थे और नए आवेदकों के लिए स्पैक्ट्रम की नीलामी करना भेदभावपूर्ण और उन्हें समान अवसर प्रदान करने से वंचित करना होगा। अतः प्रधानमंत्री की सलाह की अवहेलना करते हुए माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने वर्ष 2008 में नए आपरेटरों को स्पैक्ट्रम का आबंटन पुराने प्रविष्टि शुल्क पर करना न्यायोचित बताया।

पैरा 4.4

पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) नीति का पालन नहीं किया गया था

स्पैक्ट्रम के आबंटन के लिए दूरसंचार विभाग में आन्तरिक रूप से अपनाई गई पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) नीति के अनुसार, आवेदनों की प्राथमिकता केन्द्रीय रजिस्ट्री में प्राप्ति की तारीख के आधार पर निर्धारित की जाती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि दूरसंचार विभाग एफसीएफएस नीति के शब्दों एवं भावों से हट गया। एफसीएफएस नीति के मानदंड बदलने से, कुछ लाइसेंसधारक, जो इस प्रकार के कार्यविधि परिवर्तनों की सक्रियता से प्रत्याशा कर, दूरसंचार विभाग द्वारा अंतिम तारीख की अधिसूचना से पहले ही पहले की तारीखों में बनवाए गए डिमांड ड्राफ्टों के साथ तैयार थे वे स्पैक्ट्रम आबंटन करने के प्रथम अधिकार का लाभ शीघ्र प्राप्त कर पाए और उन्होंने अपनी बारी की प्रतीक्षा किए बिना ही आबंटन प्राप्त कर लिया।

पैरा 4.6

अयोग्य आवेदकों को लाइसेंस जारी करना

2008 में जारी 122 में से 85 लाइसेंस ऐसी कम्पनियों को जारी किए गये थे जिन्होंने दूरसंचार विभाग द्वारा तय की गई यूएसएस लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आधारभूत योग्यता शर्तों को पूरा नहीं किया था, तथ्यों को छुपाया था तथा जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करके स्पैक्ट्रम प्राप्त किया था।

पैरा 4.7.1

13 विद्यमान आपरेटरों को संविदात्मक मात्रा से अधिक आबंटित स्पैक्ट्रम का मूल्य

दूरसंचार विभाग द्वारा विद्यमान आपरेटरों को स्पैक्ट्रम संविदात्मक सीमा से अधिक आबंटन उसके लिए कोई और प्रभार लगाए



बिना किया गया था। 51 सेवाक्षेत्रों के लिए 13 आपरेटरोस द्वारा पाए गए स्पैक्ट्रम का मूल्य 2001 की दरों के आधार पर 2561 करोड़ रू० बनता था।

पैरा 4.10,5.5

2010-11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 9, संघ सरकार(वाणिज्यिक) (अनुपालन लेखा परीक्षा प्रेक्षण)

भारत संचार निगम लिमिटेड

आवश्यकता से अधिक अग्रिम आयकर के भुगतान के कारण हानि

भारत संचार निगम लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2006-07 के लिए वास्तविक आवश्यकता से अधिक 529 करोड़ रूपए का अग्रिम कर भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप अधिक प्रदत्त अग्रिम कर पर 23.21 करोड़ रूपए के ब्याज की हानि हुई।

पैरा 5.1.1

बकायों का भुगतान न करने के बावजूद दूरसंचार सुविधाएं जारी रखना

भारत संचार निगम लिमिटेड के चार दूरसंचार परिमण्डलों में गौण स्विचन क्षेत्रों की बकायों का भुगतान न करने वाले ग्राहकों की दूरसंचार सेवाएं बन्द करने में विफलता के परिणामस्वरूप 16.09 करोड़ रूपए की वसूली नहीं हुई।

पैरा 5.1.2

आर्थिक सहायता की हानि

ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों तथा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन को दोष मुक्त/कार्यशील बनाए रखने में भारत संचार निगम लिमिटेड के छः दूरसंचार परिमण्डलों के अन्तर्गत 17 सैकन्डरी स्विचिंग क्षेत्रों की विफलता के कारण अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2008 तक की अवधि में 15.42 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता की हानि हुई।

पैरा 5.1.3

बाह्य एजेसियों द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल और भूमिगत केबल की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा प्रभार की वसूली न करना

बाह्य एजेसियों द्वारा केबलों की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा प्रभार वसूल करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के पांच दूरसंचार परिमण्डलों के अन्तर्गत नौ सैकन्डरी स्विचिंग क्षेत्रों की विफलता के परिणामस्वरूप 8.12 करोड़ रूपए की वसूली नहीं हुई।

पैरा 5.1.4

केबलों का अधिक प्रापण

कर्नाटक दूरसंचार परिमण्डल 50 जोड़ा केबल की आवश्यकता का सही निर्धारण करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप अधिक खरीद हुई जिसके कारण केबल का उपयोग नहीं हुआ और 7.14 करोड़ रूपए का व्यर्थ निवेश हुआ।

पैरा 5.1.5

संग्रहण लेखा में लंबित धन प्रेषण पर ब्याज की वसूली न होना

बैंकों द्वारा दैनिक आधार पर संग्रहण लेखा शेष को परिमण्डल संग्रहण लेखा को अन्तरित न करने के लिए शास्तिक ब्याज वसूल करने में विफलता के परिणामस्वरूप भारत संचार निगम लिमिटेड के आंध्रप्रदेश तथा राजस्थान दूरसंचार परिमण्डलों में 3.34 करोड़ रूपए के शास्तिक ब्याज की वसूली नहीं हुई।

पैरा 5.1.6



महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

वैश्विक निविदा में अनियमितताएं

दूरसंचार उपकरण के देशज विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा निरूपित नीति को कार्यान्वित करने में एमटीएनएल विफल रहा। इसके अलावा कम्पनी ने निविदा की शर्तों तथा निबंधनों के उल्लंघन में शास्ति को छोड़ते हुए विक्रेता को 16.18 करोड़ रूपए का अनुचित लाभ पहुँचाया।

पैरा 5.2.1

दूरसंचार विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस जारी न करना

फ्रीक्वेंसी उपयोग तथा स्पेक्ट्रम प्रभारों के प्रति बकाया देयों को चुकाने के लिए डीओटी को वचनबद्धता प्रस्तुत करने में एमटीएनएल की विफलता के परिणामस्वरूप डीओटी द्वारा अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी का लाइसेंस जारी नहीं किया गया। इसके परिणामतः लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एमटीएनएल द्वारा प्रदत्त 25 करोड़ रूपए अवरूद्ध हो गए और तदोपरान्त 2.75 करोड़ रूपए के ब्याज की हानि हुई।

पैरा 5.2.2

2010-11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 10, संघ सरकार (वाणिज्यिक) (चुने हुये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत संचार निगम लिमिटेड

दूरसंचार अनुरक्षण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली

भारत संचार निगम लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए 35,812 करोड़ रूपए की टर्नओवर तथा 575 करोड़ रूपए के निवल लाभ के साथ भारत के सबसे बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक है। कम्पनी का एक बड़ा संचरण नेटवर्क है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबिलें एवं माइक्रोवेव प्रणालियां शामिल हैं जिनके माध्यम से देश के 602 जिले और 5.6 लाख गांव आपस में जुड़े हुए हैं।

बीएसएनएल के दूरसंचार अनुरक्षण क्षेत्र कम्पनी की लम्बी दूरी की संचरण प्रणालियों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी मंडल हैं। चार अनुरक्षण क्षेत्र अर्थात् पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्र देश में कार्यरत 19,000 रूट किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबिल तथा माइक्रोवेव प्रणालियों का नियंत्रण करते हैं। दूरसंचार क्षेत्र में निजी सेवा प्रदाताओं के आने से सभी प्रचालकों के लिए बीएसएनएल नेटवर्क के साथ इन्टर कनेक्शन होना अनिवार्य है। इंटरकनेक्शन प्वाइंटों (पीओआई) का प्रावधान तथा इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभारों की सही उगाही के लिए इन पीओआई के माध्यम से लम्बी दूरी के परियात की मानीटरिंग भी अनुरक्षण क्षेत्रों के लिए कार्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

- 36.84 करोड़ रूपये लागत की माइक्रोवेव प्रणालियां तो बहुत कम अवधि के लिए प्रयोग की गई थी अथवा उनका बिल्कुल प्रयोग ही नहीं किया गया था जिसके कारण निवेश निष्फल हुआ। यह अंशतः उन मार्गों में माइक्रोवेव प्रणालियां चालू होने के कारण था जहाँ अधिक स्थिर ऑप्टिकल फाइबर प्रणालियाँ पहले से ही चालू थी।
- "विधिसम्मत अवरोधन एवं मानीटरिंग" प्रणालियां चालू होने में विलम्ब के कारण अन्तर्राष्ट्रीय निजी पट्टागत लाइन सेवाएं शुरू होने में विलम्ब के अतिरिक्त 5.84 करोड़ रूपए का निवेश व्यर्थ हुआ।
- स्टैंड अलोन सिगनलिंग ट्रांसफर प्वाइंट सिस्टम के माध्यम से सिगनलिंग के उपयोग हेतु टैरिफ को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण बीएसएनएल 329.30 करोड़ रूपए वार्षिक के अनुमानित लाभ से वंचित रहा।
- पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र में 2004-05 से 2008-09 के दौरान जारी सभी 94 क्रय आदेशों के प्रति प्राप्त भंडार की प्राप्ति एवं निर्गम के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे।



गुजरात परिमंडल (भा सं नि लि)में उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

टेलीफोन राजस्व बिलिंग पैकेज सहित अन्तरापृष्ठ

यह देखा गया था कि राजस्व बिलिंग पैकेजों के साथ कोई अन्तरापृष्ठ मुहैया नहीं कराया गया था। अन्तरापृष्ठ के अभाव में संग्रहण लेखाओं का बैंक समाधान हस्तचालित रूप से किया गया जिसने गुजरात दूरसंचार सर्किल को दक्ष निधि प्रबंधन के लाभों से वंचित किया।

पैरा 4.2.1.2

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन पर नियमों का अनुकूलन और सूत्रीकरण

कम्पनी की आवश्यकताओं के लिए ईआरपी पैकेज का गैर-अनुकूलन और कम्पनी के कारोबार नियमों के सूत्रीकरण के कारण अनुरक्षण व्यय की गलतियों की बुकिंग के लिए कोई वित्तीय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

पैरा 4.2.1.5

ईआरपी के कार्यचालन का मॉनीटरन

लेखापरीक्षा ने ईआरपी के कार्यचालन के प्रभावी मॉनीटरन के अभाव के कारण निम्नलिखित कमियाँ पाईं:-

- (क) बडोदरा एसएसए में 1.45 करोड़ रूपए की पूंजीगत व्यय की बुकिंग में देरी।
- (ख) एसटीडी राशि की गलत बुकिंग में 43.6 लाख ₹ को प्रणाली में 20.07 लाख ₹ दर्शाया गया था।
- (ग) 5000 रूपए या उससे कम लागत की परिसंपत्तियों के प्रभारण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः 792 मामलों के संबंध में परिसंपत्ति का मूल्य पूंजीगत किया गया था।

पैरा 4.2.1.6

डाटा वैधीकरण

लेखापरीक्षा ने डाटा के कमजोर वैधीकरण के कारण ईआरपी के कार्यचालन में निम्नलिखित कमियाँ पाईं।

- (क) विद्यमान नियमों के अनुसार जीपीएफ के लिए न्यूनतम अंशदान वेतन का छः प्रतिशत होना चाहिए। तथापि यह जानकारी में आया था कि प्रणाली वेतन के छः प्रतिशत से कम का भी अंशदान स्वीकार कर रही थी। यह दिखलाने पर प्रबंधन ने जबाव दिया कि जीपीएफ अंशदान के लिए वैधीकरण को अप्रैल, 2010 से पूर्ववत् किया जाएगा।
- (ख) स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार एक परिसम्पत्ति के मूल्यहास को इसके पूंजीकरण की तारीख से प्रारम्भ किया जाना चाहिए। तथापि यह देखा गया था कि पूंजीकरण की तारीख और मूल्यहास के प्रारंभ की तारीख बहुत से मामलों में भिन्न थी। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों के जीवन काल का उचित रूप से मिलान नहीं किया गया था और बहुत से मामलों में इसे 999 वर्षों के रूप में दिखाया गया था।

पैरा 4.2.1.7

ईआरपी का उपयोग

ईआरपी के कार्यान्वयन के बावजूद यह देखा गया था कि सामग्री प्रबंधन स्कन्ध ने ईआरपी के कार्यान्वयन के बावजूद क्षेत्रीय इकाईयों से क्रय माँग के पंजीकरण, सूचना आमंत्रण निविदा (एनआईटी), निविदा का मूल्यांकन और इसे अन्तिम रूप देना, बैंक गारन्टी और प्रतिभूति जमाओं का संग्रहण तथा सुपुर्द किए गए माल के लिए भुगतान की कार्यवाही जैसे महत्वपूर्ण कार्यकलापों को निपटाने में पारम्परिक हस्तचालित प्रणाली को जारी रखा।

पैरा 4.2.1.8



की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी (एटीएन) की स्थिति

क्र० सं०	वर्ष	रिपोर्ट सं०	रिपोर्टों के पैराओं/पीए की सं० जिनके एटीएन लेखा परीक्षा की विधीक्षा के बाद पीएसी को प्रस्तुत किए गए हैं	13-10-2010 की स्थिति के अनुसार पैराओं/पीए रिपोर्टों का ब्यौरा जिन पर एटीएन लंबित हैं		
				उन एटीएन की सं० जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार ही भेजा गया था	भेजे गए एटीएन की सं० जो टिप्पणियों सहित वापिस आए और लेखा परीक्षा, मंत्रालय द्वारा उनकी पुनः प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रही है	उन एटीएन की सं० जिनको अंतिम लेखा परीक्षा के बाद मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत न किया गया हो
1	1996-97	1998 की 6	1	शून्य	1	1
2	1998-99	2000 की 6	2	शून्य	2	3
3	1999-00	2001 की 6	2	शून्य	शून्य	2
4	2000-01	2002 की 6	6	शून्य	1	2
5	2002-03	2004 की 2	5	शून्य	3	शून्य
6	2003-04	2005 की 2	1	शून्य	1	शून्य
7	2004-05	2006 की 9 (एनटीआर)	14	शून्य	3	शून्य
		2007 की 2** (सी-डॉट)	1	शून्य	1	शून्य
8	2005-06	2007 की 2 (सिविल)	1	शून्य	शून्य	शून्य
9	2006-07	2008 की सीए 1	3	शून्य	1	शून्य
		2008 की पीए 1	27	शून्य	शून्य	शून्य
10	2008-09	2008 की 1 ##	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल		63	शून्य	12	7

** इस रिपोर्ट के पैरा 17 को लेखा परीक्षा के पास पुनरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए भेजा गया।

इस रिपोर्ट में 1 नया पैरा जोड़ा गया और यह भी लेखा परीक्षा की पुनरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए लंबित है।

10/01/2011 की स्थिति के अनुसार कुल लंबित पैरा = 37

15वीं लोकसभा की रिपोर्ट सं० 14वीं के सभी 14 पैराओं के एटीएन को लेखा परीक्षा द्वारा की गई सम्यक पुनरीक्षा के बाद पीएसी को प्रस्तुत कर दिया गया है।

लेखा परीक्षा के पैराओं पर एटीएन के विलंबन में कमी लाने में उपलब्धि:- अक्टूबर 2010 तक 54.54% की उपलब्धि और इसके आगे 50% की कमी अर्थात् एटीएन के विलंबन में कुल 78% की कमी प्रत्याशित है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VII. टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र

प्रस्तावना

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र है।

सी-डॉट फिक्स्ड लाइन, मोबाइल तथा पैकेट बेस्ड कनवर्ज्ड नेटवर्क तथा सेवाओं के लिए संपूर्ण दूरसंचार समाधान, प्रौद्योगिकियाँ तथा अनुप्रयोग विकसित करता है। सी-डॉट में पूर्णतः सॉफ्टवेयर आधारित प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं जो सेवा उपलब्ध कराने और साथ ही नेटवर्क और सेवाओं के प्रचालन और प्रबंधन के लिए भी सेवा प्रदाताओं हेतु उपयोगी हैं। सी-डॉट प्रौद्योगिकियों की भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में सीधे तथा लाइसेंसधारकों के माध्यम से महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज है। सी-डॉट वर्तमान में नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क, लागत प्रभावी ग्रामीण वायरलेस समाधान, सॉफ्टवेयर आधारित प्रणालियाँ, ऑप्टिकल और उपग्रह पारेषण एवं अभिगम प्रौद्योगिकियाँ और समाधान उपलब्ध कराने और विकसित करने को महत्व दे रहा है, जो कार्यनीतिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सी-डॉट की उत्पाद सूची में फिक्स्ड लाइन पीएसटीएन प्रणालियाँ, एडवांस्ड इंटेलिजेंट नेटवर्क समाधान, अभिगम नेटवर्क उत्पाद, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की (एसडीएच) तथा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (डब्ल्यूडीएम) प्रणालियाँ, उपग्रह संचार प्रणालियाँ, नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियाँ, प्रचालन सहायक प्रणालियाँ, कॉग्निटिव रेडियो पर आधारित ग्रामीण वायरलेस अभिगम और ब्रॉडबैंड समाधान तथा एसडीआर आधारित जीएसएम प्रणालियाँ शामिल हैं। सी-डॉट फील्ड में पहले से स्थापित पारंपरिक प्रणालियों को भी समर्थन दे रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान मुख्य प्रौद्योगिकी स्कीमें तथा अप्रैल-दिसंबर 2010 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां तथा जनवरी मार्च 2011 की अवधि में प्रत्याशित उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

संचार एवं सुरक्षा अनुसंधान तथा अनुश्रवण

इस स्कीम के तहत केन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली (सीएमएस)के अनुसंधान, विकास, परीक्षण और उतरोत्तर स्केलिंग अप पर ध्यान दिया जाता है। यह प्रणाली असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्र के संचार नेटवर्क का दुरुपयोग करते हुए उत्पन्न सुरक्षा संबंधी खतरों तथा गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की आवश्यकतानुसार, सुरक्षित, एण्ड-टू-एण्ड कार्य-प्रवाह के साथ काल के अंतर-अवरोधन, निगरानी और लक्षित उपभोक्ताओं के आंकड़े और सामाजिक नेटवर्किंग ढांचे को सुकर बनाती है।

वॉयज इंटरसेप्शन और जीपीआरएस (एमटीएनएल दिल्ली के लिए) के लिए जारी किए गए सॉफ्टवेयर को प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है और यह वैधीकृत है। एमटीएनएल दिल्ली के लिए वायस इंटरसेप्शन निगरानी और विश्लेषण की व्यवस्था करने के संबंध में क्षेत्र आधारित संरचना के लिए अनुसंधान और विकास डाटाकेन्द्र को तैयार किया जा रहा है तथा क्षेत्र संस्थापना के लिए अपेक्षित अवसंरचना का प्रापण किया जा रहा है। विभिन्न चरणों में प्रौद्योगिकी तैयार करने की योजना है तथा वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के अंत तक स्थल पर प्रायोगिक संस्थापना की योजना बनाई गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए प्रौद्योगिकी

पूर्वोत्तर क्षेत्र की शेष देश की तुलना में न सिर्फ अपने स्थान और भू भाग विशेष को देखते हुए बल्कि पूरे क्षेत्र में छितरी हुई अपनी जनसंख्या की स्थिति को देखते हुए अपनी विशेष आवश्यकताएं हैं।



पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार लाने के लिए चयनित प्रौद्योगिकियां हैं - पैकेट प्रौद्योगिकी में फिक्सड - लाइन स्विचिंग प्रणाली का माइग्रेशन, वायर - लाइन पर ब्राडबैंड सेवाएं, आप्टिकल और वायरलैस सहित वीओआईपी (वायस-ओवर आईपी पैकेट टेक्नालॉजी)।

अप्रैल -दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान, सी-डॉट एनजीएन समाधान का उपयोग करते हुए एफ टी टी एच (फाइबर-टू-द-हॉम) सेवाएं देश के सात शहरों में चालू कर दी गई हैं तथा इसके अतिरिक्त एफटीटीएच सेवाओं का 50 से अधिक शहरों में परीक्षण किया गया है जहां ये वाणिज्यिक तौर पर आरंभ करने के लिए तैयार है। सी-डॉट मैक्स प्रौद्योगिकी का पैकेट प्रौद्योगिकी में सफलतापूर्वक 3 स्थलों पर क्षेत्र परीक्षण किया गया है तथा फिक्सड - लाइन एक्सचेंजों (मैक्स प्रौद्योगिकी) को वीओआईपी प्रौद्योगिकी में परिवर्तित कर दिया गया है। हरियाणा में नूह और राजस्थान में अजमेर में वाई फाई पर ब्राडबैंड सेवाओं का क्षेत्र परीक्षण किया गया है तथा पूर्वोत्तर में कॉपर मीडिया पर ब्राडबैंड सेवाओं का क्षेत्र परीक्षण किया गया है। संपूर्ण भारत में इन प्रौद्योगिकियों की संस्थापना के लिए जनवरी-मार्च 2011 के दौरान प्रौद्योगिकी अनुमोदनों को प्राप्त किए जाने की संभावना है।



एफटीटीएच सेवाओं का उदघाटन करते हुए मानीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री सचिन पायलट

ग्रामीण प्रौद्योगिकियां

यह ध्यान में रखते हुए कि भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का भाग 70% है, वहनीय संचार सुविधाओं की उपलब्धता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तदनुसार, यह स्कीम साझाकृत जीएसएम रेडियो अभिगम नोड(एसजी-आरएएन) पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों पर केन्द्रीत है ताकि जीएसएम प्रौद्योगिकी पर आधारित सेलुलर नेटवर्क की सक्रिय अवसंरचना को साझा किया जा सके जिससे प्रचालक की पूंजीगत और प्रचालनगत लागत में कमी लाने



में सहायता मिलेगी, तथा ग्रामीण भारत में वहनीय ब्राडबैंड एण्ड -टू-एण्ड वीओआईपी सेवाएं प्रदान करने के लिए सी-डॉट ब्राडबैंड बेतार अभिगम प्रौद्योगिकी में वीओआईपी क्षमता की व्यवस्था की जा सकेगी तथा साथ ही बैकहालिगं आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकेगा।

अप्रैल - दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान, एर्नाकुलम में क्षेत्र परीक्षण हेतु एसजी-आरएएन प्रणाली की संस्थापना की गई है, जो वर्तमान में कार्य कर रही है। वीओआईपी युक्त ग्रामीण ब्राडबैंड अभिगम नोड प्रणाली के काग्निति वेडियो और रिपीटर मॉड कार्यों सहित क्षेत्र परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। अन्य ग्रामीण प्रौद्योगिकी परियोजनाओं नामत् सर्वद्वित सक्रिय अवसंरचना साझेदारी और डाटा ग्रामीण अनुप्रयोग एक्सचेंज (डी-आरएएक्स) में भी विकास कार्य जारी है। जनवरी - मार्च, 2011 की अवधि के दौरान, एसजी -आरएएन प्रौद्योगिकी के साथ-साथ काग्निति वेडियो और रिपीटर पद्धति कार्य क्षमताओं से वायस ऑन आईपी आधारित ग्रामीण अभिगम नोड के क्षेत्र परीक्षण का कार्य पूरा होने की संभावना है।

ब्राडबैंड प्रौद्योगिकियां

स्कीम का मुख्य उद्देश्य आप्टिकल, वायरलैस, कापॅर आदि सहित विभिन्न पारेषण माध्यम पर अभिगम और पारगमन पैकेट आधारित ब्राडबैंड प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान और विकास कार्य करना है।

वर्ष के दौरान, टेराबिट रूटर आदि के लिए एमओईएस (मल्टी पोर्ट ऑप्टिकल इंटरप्राइज साल्यूशन)सहित प्रौद्योगिकियों के संबंध में एक परियोजना डिलिवरेबल्स किया गया है।

मल्टी-पोर्ट ऑप्टिकल इंटरप्राइज साल्यूशन के दो विभिन्न प्रकार के माड्यूल, नामतः विभिन्न प्रकार के प्रयोक्ता अंतरापृष्ठों वाले उपभोक्ता परिसर उपस्कर, और क्षेत्र में नेटवर्क साईड कनेक्टिविटी को न्यूनतम करने तथा फाइबर उपयोग का व्यय करने के लिए ऐसे अनेक उपभोक्ता परिसर उपस्करों की सहायता के लिए कार्य करने हेतु मल्टी-पोर्ट टर्मिनल (एमटी) के लिए प्रणाली एकीकरण और जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है। मौजूदा गीगाबिट रूटर डिजाइन को टेराबिट क्षमता में विकसित करने के लिए व्यावहारिक अध्ययन तथा विश्लेषण पूरा कर लिया गया है। जनवरी - मार्च, 2011 के दौरान, जारी रखे जाने वाले कार्यकलापों में प्रौद्योगिकियां आधारित टेराबिट रूटर के लिए एमओईएस वैधीकरण और प्रयोगात्मक/प्रोटोटाईप कार्यान्वयन शामिल है।

कार्यनितिक और उद्यम समाधान

इस स्कीम के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए कार्यनीतिक समाधानों के विकास तथा उद्यम समाधानों के लिए साफ्टवेयर सघन अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रीत किया जाता है। ये समाधान, कार्यनीतिक और उद्यम खण्डों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं तथा ये सी-डॉट हेतु राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत होंगे। अप्रैल - दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं: सुरक्षित और समर्पित संचार नेटवर्क (एसडीसीएन) के लिए सी-डॉट विकसित नेटवर्क खण्डों का कस्टमाइजेशन/ संवर्धन, सी-डॉट साफ्टस्विच और डीएसएलएएम(डिजिटल उपभोक्ता लाइन अभिगम मोड्यूल) की संस्थापना करके दिल्ली में एक स्थल पर एसडीसीएन की संस्थापना करना, बुनियादी कार्यात्मकता सी-डॉट डाटा क्लियरिंग हाउस (सीएलएच) के निरंतर वाणिज्यिक प्रचालन का निरूपण करते हुए सुरक्षित वीओआईपी सीपीई प्रोटोटाईप और कस्टमाइज्ड सेवा प्रबंधन प्लेटफार्म(सीएसएमपी) का डिजाइन और विकास करना। जनवरी- मार्च, 2011 की अगली तीन माह की अवधि के दौरान ये कार्यकलाप जारी रहेंगे।

विकसित प्रौद्योगिकियों का संवर्धन करना/नई विशेषताएं शामिल करना/उन्नयन/अनुकूलत/तकनीकी सहायता करना

यह कलपूर्जों के पुराने हो जाने, नई विशेषताएं शामिल करने तथा नए इंटरफेस के लिए अनुकूलन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर किया जाने वाला प्रौद्योगिकी उन्नयन क्रियाकलाप है। इन प्रौद्योगिकियों में मैक्स (एमएएक्स), कॉल अंतरावरोधन प्रणाली, नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली, क्लियरिंग हाऊस अनुप्रयोग, इंटेलिजेंट नेटवर्क प्रणाली, सी-डॉट एनजीएन (अगली पीढ़ी का नेटवर्क) प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।



दूरसंचार नेटवर्कों और इनसे संबंधित प्रौद्योगिकियों के संबंध में बुनियादी अनुसंधान / अध्ययन / पायलट परियोजना

इस वर्ष के दौरान गतिक स्पेक्ट्रम आवंटन (डीएसए) दीर्घ अवधि विकास (एलटीई), एक नंबर पीओसी आदि से संबंधित अन्वेषणात्मक अध्ययन परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

परिसर

हॉस्टल और आवास इकाइयों के निर्माण के नक्शे जो पहले ही तैयार कर लिए गए थे, को सांविधिक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम से क्लियरेंस प्राप्त कर ली गई है जिसे अन्य एजेंसियों नामत दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) और अग्निशमन अधिकारी के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है।

सी-डॉट एल्काटेल-ल्यूसेंट अनुसंधान केन्द्र (सीएआरसी)

यह बेतार ब्राडबैंड और सहायक प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास कार्य करने हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त एक संयुक्त उद्यम कार्यक्रम है जिसके तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए सहायक कार्यकलाप किए जा रहे हैं तथा अनुबंधित अनुसंधान और विकास सेवाओं के तहत एल्काटेल-ल्यूसेंट के लिए 3 जी फेमटू सेल का विकास किया जाता है।

व्यापार प्रोत्साहन कार्यकलाप तथा अन्य उपलब्धियां

इस अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत एनएमएस पर बीएसएनएल निविदा और भारतीय सेना की एएससीओएन परियोजना के लिए बोली लगाने के संबंध में मैसर्स बीईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया है। इसके अतिरिक्त, सी-डॉट ने अपनी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों में भी भाग लिया है।





VIII. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

पृष्ठ

VIII.1 भारत संचार निगम लिमिटेड	89-101
VIII.2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	103-116
VIII.3 आईटीआई लिमिटेड	117-122
VIII.4 टेलिकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	123-127



VIII. 1 भारत संचार निगम लिमिटेड

भूमिका और कार्य

भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल) : इसका गठन 1 अक्टूबर, 2000 को तत्कालीन दूरसंचार प्रचालन विभाग और दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण से किया गया था। इस कम्पनी ने दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर समूचे देश में दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित दूरसंचार विभाग के तत्कालीन कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के पास लगभग 3.0 लाख के कुशल कार्मिक का एक विशाल आधार है। भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार का शत-प्रतिशत स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

- भारत संचार निगम लिमिटेड प्रौद्योगिकी प्रधान कम्पनी है और यह सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं नामतः लैण्डलाइन पर टेलीफोन सेवाएं, डब्ल्यूएलएल तथा मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इन्टरनेट, पट्टाशुदा सर्किट और लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है।
- कम्पनी 100% डिजिटल नई प्रौद्योगिकी स्विचन नेटवर्क युक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी है। भारत संचार निगम लिमिटेड का राष्ट्र व्यापी दूरसंचार नेटवर्क सभी जिला मुख्यालयों, उपमण्डल मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और प्रायः सभी खण्ड मुख्यालयों को कवर करता है।
- बिजली और परिवहन के साथ-साथ दूरसंचार एक बुनियादी अवसंरचना सुविधा है और इस प्रकार इसे देश में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ाने के साधन के रूप में मान्यता दी गई है। दूरसंचार द्वारा आधुनिक विश्व में वैश्विक अर्थ-व्यवस्था और एकल विश्व बाजार स्थल की अवधारणा की शुरुआत प्रत्याशित है। अतएव भारत संचार निगम लिमिटेड का दूरसंचार नेटवर्क विश्व के समूचे देशों को वायस और डाटा के रूप में सूचना का परिवहन करने के लिए अभिगम प्रदान करने वाले आधुनिक वैश्विक नेटवर्क का भाग बन गया है।

2010-11 की विशेषताएं

- भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल) दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर 24 दूरसंचार सर्किलों और चेन्नै तथा कोलकाता 2 महानगरीय जिलों के माध्यम से समूचे देश में दूरसंचार सेवाओं का प्रचालन करता है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा दूरसंचार प्रदाता है जिसके पास 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 1123.59 लाख उपभोक्ता हैं। 2010-11 के दौरान इसने अपने उपभोक्ता आधार में 150.78 लाख और उपभोक्ताओं को जोड़ा है।
- 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड के पास 458.35 लाख लाइनों की परिसज्जित क्षमता युक्त 38.461वायर लाइन टेलीफोन एक्सचेंज हैं और वायरलाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 278.31 लाख है। 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार जहां तक वायर लाइन की स्थिति का सम्बन्ध है, 449.90 लाख लाइनों की परिसज्जित क्षमता युक्त टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 38141 है और टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 256.49 लाख है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड अपने नेटवर्क में मोबाइल सेवा प्रदान करता है। 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार इसके 633.05 लाख मोबाइल कनेक्शन हैं। 2010-11 के दौरान 31.12.2010 तक 179.30 लाख मोबाइल कनेक्शन और जोड़े हैं जिससे मोबाइल कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 812.35 लाख हो गयी है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड अपने नेटवर्क में डब्ल्यूएलएल टेलीफोन सुविधा प्रदान करता है। 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार इसके 61.45 लाख डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शन थे। 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल नेटवर्क में 54.75 लाख डब्ल्यूएलएल कनेक्शन थे।
- भारत संचार निगम लिमिटेड उच्च गति की ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करता है और इसके पास 31.03.2010 तक 53.76



लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं। इसने 2010-11 के दौरान 31.12.2010 तक 14.34 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन और जोड़े है जिससे ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 68.09 लाख हो गयी है।

- भारत संचार निगम लिमिटेड इन्टरनेट सेवा प्रदाता(आईएसपी) है। यह फुलरेंज की इन्टरनेट सेवा प्रदान करता है जिसके लिए इसने नेशनल इन्टरनेट बैकबोन(एनआईबी) संस्थापित किया है। 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड 38.61 लाख इन्टरनेट कनेक्शन प्रदान किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 31.12.2010 तक 37.18 लाख इन्टरनेट कनेक्शन प्रदान किए हैं।
- 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों की कुल संख्या 350.23 लाख (अर्थात् कुल सीधी एक्सचेंज लाइनों का 36.00%) थी। 2010-11(31 दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड ने 46.07 लाख ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें और जोड़ीं जिससे ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या बढ़कर 396.30लाख) अर्थात् कुल सीधी एक्सचेंज लाइनों का लगभग 35.27%) हो गयी।
- भारत संचार निगम लिमिटेड ने 2001 की जनगणना के अनुसार 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार देश में 5.94 लाख गांवों में से 5.66 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन(वीपीटी) प्रदान कर दिया है। 2010-11 के दौरान 31.12.2010 तक इसने 4,167 गांवों को वीपीटी प्रदान किया जिससे कवरेज बढ़कर 5.70 लाख गांवों की हो गयी है।

वित्तीय निष्पादन

1 अक्टूबर, 2000 से पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग/दूरसंचार प्रचालन विभाग की परिसंपत्तियां और देनदारियां भारत संचार निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गईं। 1 अक्टूबर, 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ली गई परिसंपत्तियों(अचल परिसंपत्तियां/सीडब्ल्यूआईपी एवं वस्तु सूची आदि) का मूल्य 63392 करोड़ रु. आकलित किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड को अंतरित की गई परिसंपत्तियों से उसे प्राप्त पूंजी ढांचे में 5000 करोड़ रु. की इक्विटी, 7500 करोड़ रु. की अधिमानी इक्विटी, 7500 करोड़ रु. का सरकारी ऋण, एमटीएनएल से 3056 करोड़ रु. का ऋण, एवं आरक्षित निधि के रूप में 40336 करोड़ रु. अधिशेष शामिल हैं।

भारत संचार निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 32045 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा और एआरपीयू में भारी कमी के बावजूद कम्पनी को कर पश्चात (-)1823 करोड़ रुपये की हानी हुई। इस वर्ष के दौरान कम्पनी के निवल मूल्य में 1888 करोड़ रुपये की भी कमी आई जिससे यह राशि 86746 करोड़ रुपये हो गई।

2010-11 के दौरान उपलब्धियां

क्र. सं.	पैरामीटर	यूनिट	वर्ष 2010-11 के लक्ष्य	उपलब्धी (31 दिसंबर, 2010 तक)	31 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार स्थिति
1	मोबाइल कनेक्शन	अदद सं०	200.00	179.30	812.35
2	ब्रॉडबैंड कनेक्शन	अदद सं०	75.00	25.26	91.19
3	वाइरलाईन+डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	अदद सं०	(-) 12.00	-28.52	311.24

इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क

- इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क प्लेटफार्म (4 आर सामान्य प्रयोजन और 1 मास कालिंग) की 5 नई प्रौद्योगिकी चालू हो जाने से समूचे देश में इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न आईएन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे आईटीसी व कॉल नाउ (प्रीपेड कालिंग कार्ड्स), एसीसी (एकाउंट कार्ड कालिंग), एफपीएच (फ्री फोन), यूएएन (यूनिवर्सल ऐक्सेस नम्बर), पीआरसी (प्रीमियम रेट कालिंग), वायस वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क), यूपीएन (यूनिवर्सल पर्सनल नम्बर) व टेलीवोटिंग एवं फिक्स्ड लाइन प्री-प्रेड (एफएलपीपी) सेवा।



- टेली-वोटिंग सेवा हैदराबाद स्थित बीएसएनएल के मास कालिंग आई एन प्लेटफार्म द्वारा इण्डियन आइडल, "कौन बनेगा करोड़पति" "(केबीसी)", "सारेगामा" इत्यादि जैसे कार्यक्रमों को प्रदान की जाती है।
- फिक्स्ड लाइन प्री-पेड(एफएलपीपी) टेलीफोनी सेवा पीसीओ के लिए उपलब्ध है।
- एफएलपीपी प्री-पेड ओवर पोस्ट पेड सेवा टेलीफोन कनेक्शन पर उपलब्ध है।
- बीएसएनएल लैण्डलाइन, बीएसएनएल सेल वन व एमटीएनएल लैण्डलाइन सहित संयुक्त वायस वीपीएन सेवा उपलब्ध है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अधिकांशतः सभी प्राइवेट प्रचालकों के नेटवर्क के माध्यम से बीएसएनएल की टोल और यूएन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अन्तः प्रचालनीयता करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क सेवाओं के प्री-पेड कालों की आन लाइन बिक्री उपलब्ध है।

कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी

सीडीआर परियोजना

लैंडलाइन/ब्रॉडबैंड के संबंध में वाणिज्य, टीआरए (दूरसंचार राजस्व लेखा), एफआरएस (दोष सुधार सेवा) और डीक्यू (निर्देशिका संबंधी पूछ-ताछ) की सभी मौजूदा प्रणालियों को सीडीआर आधारित कन्वर्जेंट बिलिंग और उपभोक्ता सेवा प्रणाली से बदला जा रहा है।

यह परियोजना केवल मौजूदा प्रणालियों का प्रतिस्थापन नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक है। सीडीआर परियोजना में बीएसएनएल के लिए केन्द्रीकृत बिलिंग और लेखा प्रणाली, सीआरएम, उपभोक्ताओं द्वारा स्व- सहायता हेतु वेब आधारित क्षमताएं, राजस्व आश्वासन और धोखाधड़ी नियंत्रण प्रणाली (एफएमएस) विभिन्न प्रौद्योगिकी स्विचों में प्रावधान, इन्वेन्टरी, निर्देशिका पूछताछ, उद्यम रिपोर्टिंग इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। डाटा केन्द्रों के साथ सहसत्रावसान जोनल हाई एण्ड आईवीआरएस प्रणाली भी कॉल सेंटरों जैसे विभिन्न उपभोक्ता संबंधित अनुप्रयोगों/सेवाओं के लिए सीडीआर परियोजना का भाग है।

इंटरनेट डाटा केन्द्र

भारत संचार निगम लिमिटेड राजस्व साझा आधार पर डाटा सेंटर सेवा प्रदाताओं (डीसीएसपी) के साथ भागीदारी पर इंटरनेट डाटा केन्द्रों (आईडीसी) की स्थापना करने तथा उनका प्रचालन करने की प्रक्रिया में है, जिसमें हार्डवेयर, साफ्टवेयर पर सभी सीएपीईएक्स और वातानुकूलन सहित डाटा सेंटर पर्यावरण संबंधी कार्य बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए कवर्ड स्थान पर बोलीदाता द्वारा किए जाने हैं। बीएसएनएल डाटा सेंटर सेवा प्रदाता को केवल ईए सेट और बिजली प्रदान करेगा।

इंटरनेट डाटा केन्द्रों का एक बार प्रचालन होने पर, बीएसएनएल सेवाओं की विस्तृत श्रेणी प्रस्तुत कर सकता है जैसे साझा हॉस्टिंग समर्पित हॉस्टिंग, सह-स्थान सेवाएं, सेवा के रूप में साफ्टवेयर, सेवा के रूप में सर्वर, सेवा के रूप में भंडारण, व्यवस्थित फायरवॉल और अन्य सुरक्षा संबंधी सेवाएं, आपदा समुत्थान सेवाएं तथा एसएमई आवश्यकता पर निर्भर करते हुए ऐसी ही अन्य सेवाएं।

उपभोक्ता सर्वर हार्डवेयर, रैक स्पेस, बैण्डविड्थ और नेटवर्क उपस्कर खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता फिजिकली हाउस इक्विपमेंट-ए सिक्वोर्ड केज, नियमित बिजली के साथ कैबिनेट अथवा कमरा, समर्पित इंटरनेट कनेक्शन, सुरक्षा और अग्नि संसूचन/नियंत्रण संबंधी सुविधा प्राप्त करता है।

2010-11 के लिए विशेष उपलब्धियां

सीडीआर परियोजना

सीडीआर परियोजना रॉल आउट का कार्य चल रहा है। सभी 4 डाटा केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं तथा इनमें कार्य चालू है। कुल 333 एसएसए में से 242 एसएसए को सीडीआर प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है। 31 मार्च, 2011 तक 305 एसएसए को पूरा करने का लक्ष्य है।



आईडीसी स्थापित करना

बीएसएनएल के विभिन्न सर्किलों / मैट्रो जिलों के 11 स्थानों में से 6 स्थानों पर राजस्व साझा आधार पर इंटरनेट डाटा केन्द्रों (आईडीसी) की स्थापना करने के लिए क्रय आदेश प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इसके साथ-साथ 4 स्थानों में एपीओ/पीओ के संबंध में कार्यवाही चल रही है।

पीएसटीएन के लिए कॉल सेंटर (लैण्डलाइन और ब्रॉडबैंड)

पीएसटीएन (लैण्ड लाइन और ब्रॉडबैंड) के लिए कॉल सेंटर प्रचालनों के मानकीकरण तथा उन्हें कारगर बनाने के मद्देनजर बीएसएनएल निगमित कार्यालय द्वारा 10 अगस्त, 2010 को एक नवीनतम एनआईटी सं० एमएम/आईटी-सीएफए /08210/000394 दिनांक 10.08.2010 जारी की गई है। निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है।

आचलिक बिल प्रिंटिंग

आचलिक बिल प्रिंटिंग के लिए निविदा जारी की गई है। सभी चार जोन अर्थात् नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै और पुणे में प्रिंटिंग सुविधा स्थापित की जानी है। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ग्रामीण टेलीफोनी

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

- 2001 की जनगणना के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 31.12.2010 तक देश के 593601 गांवों में से 5,70,127 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गयी है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड ने 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 100 से अधिक की जनसंख्या वाले 62302 (संशोधित) निर्विवादित, शांत, अभिगम्य और आबाद गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग के साथ एक करार किया है। यूएसओ निविदा के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड को आवंटित 62302 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में से 31.12.2010 तक 61,985 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये जा चुके हैं। 2010-11 के दौरान (दिसम्बर, 2010 तक) कुल 327 वीपीटी प्रदान किए गए हैं। शेष वीपीटी सितम्बर, 2011 तक प्रदान किए जाने की संभावना है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड ने जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा से वंचित अभिनव अभिज्ञात 62,443 आबाद गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग के साथ एक करार किया है। 62,443 आंबटित गांवों में से भारत संचार निगम लिमिटेड ने दिसम्बर, 2010 तक 42358 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिया है। 2010-11 के दौरान (दिसम्बर, 2010 तक) कुल 3401 वीपीटी प्रदान किए गए हैं। शेष ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन फरवरी 2012 तक प्रदान किए जाने की संभावना है।

ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी)

भारत संचार निगम लिमिटेड ने 1991 की जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक की आबादी वाले 24822 गांवों में, जिनमें ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के अलावा कोई सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा नहीं है, ग्रामीण सामुदायिक फोन सुविधा प्रदान करने के लिए यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग के साथ सितम्बर, 2004 में एक करार किया है। तदनन्तर यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग द्वारा ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान करने के लिए इस करार को संशोधित करके 21958 गांव कर दिया गया था। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा फरवरी, 2009 की समाप्ति तक 21958 ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान कर दिये गये हैं।

एमएआरआर वीपीटी को बदला जाना

बीएसएनएल ने 185,121 वीपीटी (जो पहले आवंटित 1,86,872 से संशोधित किया गया था), जो पहले मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे थे, को बदलने के लिए यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग के साथ करार पर



हस्ताक्षर किए थे। 31 दिसंबर, 2010 तक 184,648 एमएआरआर वीपीटी बदले गए हैं। 2010-11 के दौरान (दिसंबर, 2010 तक) कुल 127 एमएआरआर बदले गए हैं। शेष एमएआरआर के मार्च, 2011 तक बदले जाने की संभावना है।

दूरसंचार फैक्टरियां

कोलकाता, गोपालपुर, खड़गपुर, जबलपुर, भिलाई, रिच्छई और मुंबई में स्थित दूरसंचार फैक्टरियां, बीएसएनएल की घरेलू विनिर्माण इकाइयां हैं। वर्तमान में ये विनिर्माण इकाइयां पे फोन्स, मिनी पिलर्स, सीटी बॉक्स, डीपी बॉक्स, लाइन जैक यूनिट, ओएफसी अनुषंगी, एफडीएमएस, टॉवर, एसएस ड्रॉप तार, जॉइनिंग किट्स, डीडीएफ और सिम कार्ड आदि का उत्पादन कर रही हैं। बदलते दूरसंचार परिवेश में, दूरसंचार फैक्ट्रियां बीएसएनएल को विनिर्माणकारी और सेवा सहायता संगठन के रूप में सहायता देने के लिए नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। परंपरागत उत्पादों की मांग में लगातार हो रही कमी तथा कर्मचारियों की लगातार घट रही संख्या के कारण उत्पन्न हो रही सभी बाधाओं के बावजूद दूरसंचार फैक्टरियों ने 2010-11 (31.12.2010 तक) के दौरान 2232 टावरों सहित 199.51 करोड़ रु0 के मूल्य की दूरसंचार उत्पादों की आपूर्ति की है। सभी सातों दूरसंचार फैक्टरियों को अब आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।

फैक्टरियाँ सी-डॉट कार्डों और फैक्टरियों के अन्य उत्पादों की मरम्मत के लिए कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, जबलपुर, भिलाई, जयपुर, बेंगलुरु और विजयवाड़ा स्थित सेवा सहायता केंद्रों के माध्यम से मरम्मत संबंधी क्रियाकलापों में लगी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अप्रैल-दिसम्बर, 2010 की अवधि के दौरान वास्तविक उपलब्धियां

- अप्रैल-दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों के लिए बीएसएनएल के कुल 99 अधिकारियों को विदेशों में प्रतिनियुक्त किया गया।
- बीएसएनएल में कार्य कर रहे अधिकारियों के ज्ञान और उनकी कार्य कुशलता को अपग्रेड करने के लिए इनमें से 8 अधिकारियों को विभिन्न प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विदेशों में प्रतिनियुक्त किया गया।
- बीएसएनएल के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूरित उपस्करों के आपूर्तिकर्ता के परिसरों/प्रयोगशाला में परीक्षण और विधिमान्यीकरण के लिए 20 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर विदेश भेजा गया।
- 71 अधिकारियों को प्रदर्शनी/बैठक/सम्मेलन/व्यावसायिक दौरों पर सीटीओ कार्यक्रमों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के संचार और सुपुर्दगी में हो रहे नवीनतम विकासों की अद्यतन सूचना प्राप्त करने के लिए भाग लिया।

प्रशिक्षण

बीएसएनएल के देश भर में 41 दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनमें तीन सर्वोच्च स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो निम्नलिखित हैं:-

- एडवांस्ड लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर (एएलटीटीसी), गाजियाबाद।
- भारत रत्न भीम राव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान, (बीआरबीआरएआईटीटी) जबलपुर।
- नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीकॉम फाइनेंस एण्ड मैनेजमेंट (एनएटीएफएम) हैदराबाद।

इसके अतिरिक्त विश्वभर में इसके कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण देश में 15 आरटीटीसी और 23 सीटीटीसी / डीटीटीसी हैं। चालू वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2010) के दौरान 60078 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा जनवरी-मार्च, 2011 के दौरान लगभग 20000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की आशा है।



चुनिंदा क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विकास

विशेष संघटक योजनाएं : बीएसएनएल की वार्षिक योजना में विशेष संघटक योजनाओं के तहत (1) पूर्वोत्तर क्षेत्र, और (2) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के तेजी से विकास पर विशेष बल दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की नेटवर्क स्थिति : पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है :

क्र० सं०	राज्य का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज	कुल क्षमता (लाइनों में)	कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)	प्रतीक्षा सूची (वायरलाइन)	वीपीटी (2001 की जनगणना के अनुसार)
1	असम	604	680,100	255,182	205	24,032
(2ए)	मेघालय	129	88,192	46,367	0	3,700
(2बी)	मिजोरम	102	74,400	46,772	0	704
(2सी)	त्रिपुरा	135	123,568	59,860	0	858
	पूर्वोत्तर-1	366	286,160	152,999	0	5,262
(3ए)	अरुणाचल प्रदेश	107	87,768	48,903	0	1,752
(3बी)	मणिपुर	53	54,964	29,862	0	2,082
(3सी)	नागालैंड	62	61,036	45,621	0	1,261
	पूर्वोत्तर-2	222	203,768	124,386	0	5,095
4	सिक्किम	47	55,228	15,298	0	459
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,239	1,225,256	547,865	205	34,848

विकास स्थिति: वर्ष 2010-11 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

मद	2010-11	
	लक्ष्य (समझौता ज्ञापन के अनुसार)	उपलब्धि (31 दिसंबर, 2010 तक)
निवल स्विचन क्षमता (लाइनें) (तारशुदा+डब्ल्यूएलएल+सीएमटीएस)	6,50,366	1,63,857
सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)		
(i) फिक्सड	64,527	-98,886
(ii) मोबाइल	11,05,000	4,88,420
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन(सं०) (2001 की जनगणना के अनुसार)	2,477	415
ब्रॉडबैंड क्षमता (पोर्ट)	40,367	16,388
ब्रॉडबैंड कनेक्शन (संख्या)	79,185	26,194



टेली-घनत्व: 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों की स्थिति और राज्य/सर्किल वार टेलीघनत्व का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

राज्य का नाम	टेली-घनत्व बीएसएनएल के टेलीफोन कनेक्शन	बीएसएनएल के फोनो के कारण टेलीघनत्व	सभी ऑपरेटरों का टेलीघनत्व	बीएसएनएल की बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत		
असम	1,623,735	5.33	35.95	14.84		
मेघालय	171,478	6.57	50.99	24.03		
मिजोरम	163,902	16.38				
त्रिपुरा	401,996	11.16				
पूर्वोत्तर-1	737,346	10.22				
अरुणाचल प्रदेश	334,151	27.03				
मणिपुर	211,104	8.65				
नागालैंड	325,778	14.54				
पूर्वोत्तर-2	871,033	14.72				
सिक्किम	117,886	19.34			-	-
संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र	3,350,000	7.58			-	-

जनजातीय उपयोजना

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक योजना का एक हिस्सा है। जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के संतुलित और त्वरित विकास के लिए इन्हें विशेष महत्व का क्षेत्र माना गया है। जनजातीय उपयोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं (i) जनजातीय क्षेत्रों में मांग पर दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराना (ii) जनजातीय क्षेत्रों के सभी एक्सचेंजों में एनएसडी सुविधा उपलब्ध कराना और (iii) सभी जनजातीय ग्रामों में सार्वजनिक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराना।

जनजातीय क्षेत्र - अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर -I, पूर्वोत्तर -II, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और पश्चिम बंगाल राज्यों में पड़ते हैं।



जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के तहत वर्ष 2010-11 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

क्र० सं०	मर्दे	2010-11	
		लक्ष्य	वर्ष 2010-11 के दौरान उपलब्धि (31 दिसम्बर, 2010 तक)
1.	टेलीफोन एक्सचेंज (सं०)	12	-10
2.	स्विचन क्षमता (लाख लाइनें)	23.90	6.43
3.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (लाख लाइनें)	15.85	5.84
4	ओएफसी (रुट कि.मी.)	2,388	2,240

बीएसएनएल द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय/प्रदान की गई सुविधाएं

इसने वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए 12 करोड़ ₹ आबंटित किए हैं। इस संबंध में लगभग 6.34 करोड़ ₹ का अनुदान पहले ही जारी किया जा चुका है।

बीएसएनएल अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए बीएसएनएल के कल्याणकारी उपायों के भाग के रूप में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहा है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- बीएसएनएल कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बीएसएनएल कर्मचारियों के बच्चों को बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
- उन बीएसएनएल कर्मचारियों जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है के परिवार को 15000/-₹ की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस संबंध में पहले कर्मचारी के मूल वेतन के बराबर धनराशि प्रदान की जाती थी जिसे दिनांक 4 मई, 2010 को आयोजित की गई बीएसएनएल कल्याणकारी बोर्ड की 9वीं बैठक में समाप्त कर दिया गया है।
- गंभीर बीमारी अथवा बड़े सर्जिकल आपरेशन के मामले में 25,000/-₹ की वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- दिनांक 4 मई, 2010 को आयोजित की गई बीएसएनएल कल्याणकारी बोर्ड की 9वीं बैठक में प्राकृतिक आपदा/ सांप्रदायिक दंगे/उग्रवादी हमलों के पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 3,000/-₹ से बढ़ाकर 5,000/-₹ कर दी गई है।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्राइंग प्रतियोगिता और नारे लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
- पर्यटन यात्राएं करने के लिए पर्यटन राज-सहायता प्रदान करना।

अवकाश गृह

अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग करने के लिए देशभर में इसके 38 अवकाश गृह हैं।



कर्मचारी संख्या

दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और महिला कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए कुल कर्मचारी संख्या नीचे सारणी में दी गई है:-

दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला कर्मचारियों की कुल संख्या

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	भूतपूर्व सैनिक	महिला कर्मचारी
क	8054	1300	487	5	509
ख	48430	7539	2112	145	7738
ग	185557	33704	9482	669	23955
घ	40337	9304	2276	25	7517
औद्योगिकी मज़दूर	2486	479	235	1	120
कुल	284864	52326	14592	845	39839



तालिका - 1

विषय: 31.12.2010 और 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों और सीधी एक्सचेंज लाइनों की स्थिति

क्र० सं०	सर्किल	की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या		की स्थिति के अनुसार सीधी एक्सचेंज लाइनें (फिक्स+डब्ल्यूएलएल+सीएमटीएस)	
		31.12.2010	31.3.2010	31.12.2010	31.3.2010
1	अंडमान और निकोबार	46	47	203,459	144,162
2	आंध्र प्रदेश	4,267	4,213	8,328,246	6,623,545
3	असम	604	605	1,623,735	1,449,647
4	बिहार	1,214	1,238	5,059,300	4,393,360
5	छत्तीसगढ़	580	613	1,438,845	1,312,914
6	गुजरात	3,113	3,220	5,543,638	5,128,392
7	हरियाणा	1,354	1,343	3,645,018	3,360,608
8	हिमाचल प्रदेश	1,186	1,189	1,956,817	1,629,323
9	जम्मू और कश्मीर	368	366	982,934	1,206,500
10	झारखण्ड	489	506	1,883,297	1,721,506
11	कर्नाटक	2,789	2,777	7,117,589	6,043,318
12	केरल	1,245	1,243	8,990,135	7,507,638
13	मध्य प्रदेश	2,416	2,560	4,529,645	4,106,731
14	महाराष्ट्र	4,923	4,939	8,579,517	7,690,988
15	पूर्वोत्तर-I	366	363	737,346	699,099
16	पूर्वोत्तर-II	222	225	871,033	699,764
17	उड़ीसा	1,174	1,169	4,140,844	3,111,765
18	पंजाब	1,519	1,526	5,566,542	4,946,226
19	राजस्थान	2,308	2,330	6,757,903	5,909,457
20	तमिलनाडु	2,022	2,031	8,478,781	6,642,879
21	उत्तर प्रदेश (पू०)	2,185	459	11,152,124	1,363,623
22	उत्तर प्रदेश (प०)	1044	2189	3,474,512	9,608,722
23	उत्तराखंड	481	1069	1,541,215	3,435,103
24	पश्चिम बंगाल	1,380	1,384	3,640,395	3,137,479
25	कोलकाता	523	532	3,644,295	3,109,242
26	चेन्नई	323	325	2,471,365	2,298,581
	बीएसएनएल जोड़	38,141	38,461	112,358,530	97,280,572



तालिका - 2

विषय: 31.12.2010 और 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों की स्थिति और प्रतिशतता

क्र० सं०	सर्किल	2010-11 (31.12.2010 की स्थिति के अनुसार)			2009-10 (31.03.2010 की स्थिति के अनुसार)		
		ग्रामीण	कुल	ग्रामीण टेलीफोनों की प्रतिशतता	ग्रामीण टेलीफोन	कुल टेलीफोन	ग्रामीण टेलीफोनों की प्रतिशतता
1	अंडमान और निकोबार	91,913	203,459	45.18	66,479	144,162	46.11
2	आंध्र प्रदेश	4,063,461	8,328,246	48.79	2,977,585	6,623,545	44.95
3	असम	551,016	1,623,735	33.94	481,092	1,449,647	33.19
4	बिहार	1,914,557	5,059,300	37.84	1,685,704	4,393,360	38.37
5	छत्तीसगढ़	500,384	1,438,845	34.78	429,861	1,312,914	32.74
6	गुजरात	1,883,861	5,543,638	33.98	1,757,234	5,128,392	34.26
7	हरियाणा	2,198,395	3,645,018	60.31	1,993,384	3,360,608	59.32
8	हिमाचल प्रदेश	1,271,913	1,956,817	65.00	1,095,005	1,629,323	67.21
9	जम्मू और कश्मीर	153,512	982,934	15.62	181,652	1,206,500	15.06
10	झारखण्ड	559,448	1,883,297	29.71	511,072	1,721,506	29.69
11	कर्नाटक	1,440,102	7,117,589	20.23	1,365,195	6,043,318	22.59
12	केरल	4,849,556	8,990,135	53.94	4,298,039	7,507,638	57.25
13	मध्य प्रदेश	1,686,185	4,529,645	37.23	1,602,228	4,106,731	39.01
14	महाराष्ट्र	3,036,428	8,579,517	35.39	2,917,366	7,690,988	37.93
15	पूर्वोत्तर-I	260,363	737,346	35.31	251,036	699,099	35.91
16	पूर्वोत्तर-II	331,729	871,033	38.08	261,593	699,764	37.38
17	उड़ीसा	1,805,627	4,140,844	43.61	1,422,670	3,111,765	45.72
18	पंजाब	2,169,290	5,566,542	38.97	2,162,279	4,946,226	43.72
19	राजस्थान	2,366,703	6,757,903	35.02	2,210,131	5,909,457	37.40
20	तमिलनाडु	1,664,351	8,478,781	19.63	1,522,716	6,642,879	22.92
22	उत्तर प्रदेश (पू०)	3,341,366	11,152,124	29.96	2,709,114	1,363,623	198.67
23	उत्तर प्रदेश (प०)	813,146	3,474,512	23.40	846,408	9,608,722	8.81
24	उत्तराखंड	666,318	1,541,215	43.23	553,750	3,435,103	16.12
25	पश्चिम बंगाल	1,891,598	3,640,395	51.96	1,600,280	3,137,479	51.01
26	कोलकाता	0	3,644,295	-	0	3,109,242	-
26	चेन्नई	118,969	2,471,365	4.81	120,952	2,298,581	5.26
	बीएसएनएल जोड़	39,630,191	112,358,530	35.27	35,022,825	97,280,572	36.00



तालिका - 3

2001 की जनगणना के अनुसार 31.12.2010 और 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की स्थिति

क्र० सं०	सर्किल	2001 की जनगणना के अनुसार कुल गांव	2010-11 (31.12.2010 की स्थिति के अनुसार)		31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	
			वीपीटी युक्त गांव	वीपीटी युक्त गांवों की प्रतिशतता	वीपीटी युक्त गांव	वीपीटी युक्त गांवों की प्रतिशतता
1	अंडमान और निकोबार	501	341	68.06	337	67.27
2	आंध्र प्रदेश	26,613	23,692	89.02	23,333	87.68
3	असम	25,124	24,032	95.65	23,992	95.49
4	बिहार	39,032	38,898	99.66	38,891	99.64
5	छत्तीसगढ़	19,744	18,134	91.85	18,101	91.68
6	गुजरात	18,159	16,926	93.21	16,905	93.09
7	हरियाणा	6,764	6,678	98.73	6,683	98.80
8	हिमाचल प्रदेश	17,495	17,365	99.26	17,300	98.89
9	जम्मू और कश्मीर	6,417	6,284	97.93	5,994	93.41
10	झारखण्ड	29,354	28,759	97.97	27,733	94.48
11	कर्नाटक	27,481	27,441	99.85	27,419	99.77
12	केरल	1,372	1,372	100.00	1,372	100.00
13	मध्य प्रदेश	52,117	51,986	99.75	51,986	99.75
14	महाराष्ट्र	41,442	39,607	95.57	39,319	94.88
15	पूर्वोत्तर-I	7,347	5,262	71.62	4,990	67.92
16	पूर्वोत्तर-II	7,456	5,095	68.33	5,016	67.27
17	उड़ीसा	47,529	43,805	92.16	43,222	90.94
18	पंजाब	12,301	12,063	98.07	12,061	98.05
19	राजस्थान	39,753	38,838	97.70	38,803	97.61
20	तमिलनाडु	13,837	13,827	99.93	13,826	99.92
22	उत्तर प्रदेश (पू०)	76,993	74,121	96.27	74,123	96.27
23	उत्तर प्रदेश (प०)	20,949	23,629	112.79	23,636	112.83
24	उत्तराखंड	15,761	15,186	96.35	14,814	93.99
25	पश्चिम बंगाल	37,512	34,564	92.14	33,882	90.32
26	कोलकाता	893	567	63.49	567	63.49
26	चेन्नई	1,655	1,655	100.00	1,655	100.00
	बीएसएनएल जोड़	593,601	570,127	96.05	565,960	95.34



तालिका - 4

विषय: 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल फ़ोनों का शहरी/ग्रामीण टेली-घनत्व

क्र० सं०	सर्किल	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या			31.12.2010 की स्थिति के अनुसार टेलीघनत्व		
		शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	अंडमान और निकोबार	111,546	91,913	203,459	58.20	30.64	41.38
2	आंध्र प्रदेश	4,264,785	4,063,461	8,328,246	18.19	6.64	9.84
3	असम	1,072,719	551,016	1,623,735	23.57	2.12	5.32
4	बिहार	3,144,743	1,914,557	5,059,300	30.66	2.19	5.19
5	छत्तीसगढ़	938,461	500,384	1,438,845	16.83	2.69	5.94
6	गुजरात	3,659,777	1,883,861	5,543,638	15.27	5.30	9.32
7	हरियाणा	1,446,623	2,198,395	3,645,018	16.99	13.04	14.37
8	हिमाचल प्रदेश	684,904	1,271,913	1,956,817	91.65	21.08	28.85
9	जम्मू और कश्मीर	829,422	153,512	982,934	26.48	1.79	8.41
10	झारखण्ड	1,323,849	559,448	1,883,297	18.12	2.32	6.00
11	कर्नाटक	5,677,487	1,440,102	7,117,589	25.77	3.86	12.00
12	केरल	4,140,579	4,849,556	8,990,135	46.82	18.83	25.98
13	मध्य प्रदेश	2,843,460	1,686,185	4,529,645	14.28	3.24	6.29
14	महाराष्ट्र	5,543,089	3,036,428	8,579,517	17.26	4.96	9.19
15	पूर्वोत्तर-I	476,983	260,363	737,346	27.17	4.76	10.20
16	पूर्वोत्तर-II	539,304	331,729	871,033	38.33	7.34	14.69
17	उड़ीसा	2,335,217	1,805,627	4,140,844	34.29	5.33	10.18
18	पंजाब	3,397,252	2,169,290	5,566,542	28.50	12.66	19.16
19	राजस्थान	4,391,200	2,366,703	6,757,903	27.16	4.60	9.99
20	तमिलनाडु	6,814,430	1,664,351	8,478,781	25.60	5.33	14.65
22	उत्तर प्रदेश (पू०)	7,810,758	3,341,366	11,152,124	33.55	2.93	8.11
23	उत्तर प्रदेश (प०)	2,661,366	813,146	3,474,512	12.91	1.93	5.54
24	उत्तरांचल	874,897	666,318	1,541,215	31.15	9.37	15.54
25	पश्चिम बंगाल	1,748,797	1,891,598	3,640,395	16.60	2.94	4.86
26	कोलकाता	3,644,295	0	3,644,295	24.31		24.31
26	चेन्नई	2,352,396	118,969	2,471,365	21.60		22.70
	बीएसएनएल जोड़	72,728,339	39,630,191	112,358,530	22.84	4.76	9.76

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VIII. 2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

भूमिका

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 28 फरवरी, 1986 को पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया। एमटीएनएल ने 1 अप्रैल, 1986 को दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण, प्रबंधन, प्रचालन का उत्तरदायित्व लिया। एमटीएनएल स्थिर लाइन दूरसंचार सेवा दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में और जीएसएम मोबाइल सेवा (दिल्ली सहित इसके आस-पास के चार नगरों नोएडा, गुडगांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में) का प्रमुख प्रदाता है तथा मुंबई सहित मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई निगम और थाणे नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र इस कंपनी के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 800 करोड़ रूपए है। इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 630 करोड़ रूपए है जो प्रत्येक 10/- रूपए के 63 करोड़ रूपए शेयरों में विभक्त है। इस समय 56.25% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है तथा शेष 43.75% शेयर विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, म्यूचुअल फंडों तथा व्यक्तिगत निवेशकों सहित अन्यो के पास है।

एमटीएनएल को 1997 में नवरत्न का दर्जा दिया गया है और इसे 2001 में न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल पृथक गैर अनन्य लाइसेंस करार के तहत दिल्ली और मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल ने वर्ष 2005 में अत्याधुनिक एडीएसएल 2+ प्रौद्योगिकी पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत की है। एमटीएनएल इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर तिहरी प्ले सेवाएं अर्थात ध्वनि (वीओआईपी सहित), उच्च गति इंटरनेट तथा आईपीटीवी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जून 2008 में एमटीएनएल को अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएलडी लाइसेंस प्रदान किया गया। अगस्त 2008 में एमटीएनएल को 3जी और बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम प्रदान किया गया।

वास्तविक कार्य निष्पादन

टेली सेवाएं

एमटीएनएल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल एक्सचेंजों से जुड़े उपभोक्ताओं को कंप्यूटरीकृत प्रातः अलार्म, वॉयस मेल, स्वचालित परिवर्तित नम्बर घोषणा, कंप्यूटरीकृत दोष बुकिंग/भुगतान प्रणाली आदि जैसी विभिन्न प्रकार की फोन प्लस सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

एमटीएनएल अपने उपभोक्ताओं को कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, वेक अप कॉल्स, ऐबसेन्ट सब्सक्राइबर सेवा, कॉलर आइडेंटिफिकेशन, फ्रेंड एंड फैमिली, नाइट टॉक, कॉल कान्फ्रेंस और वायस मेल आदि जैसी अनेक मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

एमटीएनएल ने उपभोक्ताओं के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। एमटीएनएल ने उन्नत बिल संग्रहण और भुगतान प्रक्रिया (इंटरनेट पर और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिल भुगतान सहित) की शुरुआत की है, टेली मार्ट खोले हैं जिनमें अधिकांश उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध है, इंटरनेट और सीडी-रोम पर टेलीफोन निदेशिका की शुरुआत की है तथा उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया है। एमटीएनएल की उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली उपभोक्ताओं को "ऑन



लाइन" सेवाओं की श्रृंखला उपलब्ध कराने में हमारे कर्मचारियों को सक्षम बनाती है जिनमें नई टेलीफोन लाइनों हेतु पंजीकरण, पते में परिवर्तन और बिल जारी करना शामिल है तथा इससे हमें एकल सम्पर्क स्थल से शिकायतों के मॉनीटरिंग में सहायता मिली है। एमटीएनएल ने सेवाओं का अत्यधिक उपयोग करने वाले “वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों” की पहचान की है और इन उपभोक्ताओं के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाने के यथासंभव प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के साथ दो-तरफा प्रभावी संचार बनाने के लिए टेलीफोन अदालतें और खुले अधिवेशन सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2010-11 (दिसंबर, 2010 तक) के दौरान एमटीएनएल दिल्ली ने 1.92 लाख नए सेल्यूलर कनेक्शन और 2.33 लाख निवल नए कनेक्शन (फिक्स्ड लाइन, डब्ल्यूएलएल, जीएसएम और ब्राडबैंड सहित) प्रदान किया है। 31.12.10 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियों का ब्यौरा इस अध्याय के अनुबंध-I में दिया गया है।

इसी अवधि के दौरान दिल्ली और मुंबई में 5 लाख लाइनों की निवल जीएसएम क्षमता जोड़ी गई। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एमटीएनएल मुंबई ने 1.38 लाख नए सेल्यूलर कनेक्शन और 1.44 लाख निवल नए कनेक्शन (फिक्स्ड लाइन, डब्ल्यूएलएल जीएसएम और ब्राडबैंड सहित) प्रदान किए हैं। 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियों का ब्यौरा इस अध्याय के अनुबंध-II में दिया गया है।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 (दिसंबर, 2010 तक) के दौरान एमटीएनएल द्वारा कुल 9.95 लाख लाइनों की निवल स्विचन क्षमता और 3.77 लाख निवल नए कनेक्शन (स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल, जीएसएम और ब्राडबैंड सहित) जोड़े गए।

दोष दर

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान दोष दर निम्नवत है :-

दोषों की संख्या/100 टेलीफोन/माह

इकाइयां	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (दिसंबर, 2010 तक)
दिल्ली	9.42	7.20	6.71	7.71	8.10
मुंबई	10.53	11.38	9.10	7.25	9.31

यह देखा जा सकता है कि दोष दर में निरन्तर कमी आती रही है। यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त दोष दर में सतत गिरावट आई है। तथापि, वर्ष 2010-11 के दौरान दोष दर में वृद्धि हुई है जो मुख्यतः दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल 2010 के प्रयोजनार्थ किए गए विकास कार्य तथा मुंबई में इसे वर्ष के दौरान हुई भारी बारिश की वजह से है। चालू वर्ष की अंतिम तिमाही में दोषदर में गिरावट आने की संभावना है।

प्रतीक्षा सूची का निपटान

सतत प्रयासों और विभिन्न परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप दिल्ली और मुंबई में प्रतीक्षा सूची "शून्य" हो गई है। एमटीएनएल सेवा क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन प्रदान कर रहा है।

विभिन्न सेवाएं और परियोजनाएं

ब्रॉडबैंड नेटवर्क

एमटीएनएल द्वारा एडीएसएल 2+ आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर ट्रिपल प्ले सेवाएं अर्थात् वायस (वीओआईपी सहित) उच्च गति इंटरनेट और आईपीटीवी की पेशकश की जा रही है। उपभोक्ताओं के बीच यह



सेवा काफी लोकप्रिय है। इस समय एमटीएनएल के पास लगभग 16.13 लाख पोर्टों की संस्थापित ब्राडबैंड क्षमता है और 30.12.2010 को इसका उपभोक्ता आधार 9.14 लाख पहुंच गया है।

वर्ष 2009-10 के दौरान 500 हजार ब्राडबैंड अभिगम उपस्कर स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है। भारी मांग को देखते हुए, एमटीएनएल ने मौजूदा ब्राडबैंड क्षमता में 1 मिलियन पोर्टों की वृद्धि करने की योजना बनायी थी। परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित की जानी थी, जहां प्रत्येक चरण में मुंबई में 300 हजार पोर्ट और दिल्ली में 200 हजार पोर्ट स्थापित किए जाने थे। चरण-1 के उपस्कर संस्थापित और चालू किए जा चुके हैं। इस परियोजना के चरण-11 में एमटीएनएल में पहली बार एमएसएएन शामिल करने की योजना बनाई गई है। एमएसएएन एकल एमएसएएन उपस्कर के माध्यम से ब्राडबैंड और पीओटीएस दोनों कनेक्शन प्रदान करने में सक्षम है।

जीएसएम सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं

2जी सेवाएं : एमटीएनएल की सेल्यूलर सेवा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में जीएसएम क्षमता को 2 मिलियन और (750 हजार लाइन 3जी सहित) बढ़ाए जाने की योजना बनाई गई। दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल, दिल्ली और मुंबई में क्षमता विस्तार का कार्य पूरा कर लिया गया है। आज की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल की कुल जीएसएम नेटवर्क क्षमता मुंबई में 3325 हजार और दिल्ली में 3025 हजार है।

3जी सेवाएं : 3 जी प्रौद्योगिकी 2 जी सेवाओं का स्वाभाविक विकास है जिससे न केवल स्पेक्ट्रम का बेहतर और कुशल उपयोग संभव होगा बल्कि उच्च गति और डाटा थ्रू-पुट भी उपलब्ध होगा। 3जी प्रौद्योगिकी तेज इंटरनेट सर्फिंग प्रदान करेगी और एमटीएनएल को अपने उपभोक्ताओं को अनेक वीडियो संबंधित सेवाएं और समृद्ध मूल्यवर्द्धित सेवाएं जैसे कि वीडियो टेलीफोनी, उच्च गति का मोबाइल ब्राडबैंड, मोबाइल टीवी, वीडियो स्ट्रीमिंग, मांग पर वीडियो, ऑन लाइन गेमिंग, एम-कॉमर्स आदि प्रदान करने में समर्थ बनाएगी।

दिल्ली और मुंबई में 3जी सेवाएं शुरू करने के लिए एमटीएनएल को 08.8.2008 को 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में फ्रीक्वेंसियां उद्घोषित की गईं। एमटीएनएल को दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में सेवा शुरू करने के लिए 5 मेगाहर्ट्ज का 1 कैरियर आवंटित किया गया है। 11 दिसंबर, 2008 को माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एमटीएनएल की 3जी मोबाइल सेवाओं का उद्घाटन किया। यह भारत में किसी आपरेटर द्वारा शुरू की गई सबसे पहली 3जी सेवा है। स्पेक्ट्रम का बेहतर और कुशल उपयोग करने के अलावा, 3जी सेवाएं उपभोक्ताओं को विविध प्रकार की सेवाएं प्रस्तुत करेगी जैसेकि वीडियो टेलीफोनी, उच्च गति का मोबाइल ब्राडबैंड, मोबाइल टीवी, वीडियो स्ट्रीमिंग, मांग पर वीडियो, ऑनलाइन गेमिंग आदि। 5 फरवरी, 2009 को एमटीएनएल ने "जादू" ब्रांड नाम से दिल्ली के नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में (50 नोड बी के साथ) 3जी डाटा/वाॉयस सेवाएं शुरू कीं। अब सेवाएं एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई के समग्र सेवा क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

हाल में हुई नीलामी से पहले ही एमटीएनएल को वर्ष 2008 में 3जी स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया था। तथापि, नियमों के तहत, एमटीएनएल को 3जी की नीलामी की विजेता बोली, जो 20.5.2010 को समाप्त हुई के बराबर भुगतान करना है। तदनुसार एमटीएनएल संयुक्त रूप से दिल्ली और मुंबई लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए 3जी स्पेक्ट्रम हेतु 6,564 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है।

3जी भारत में नई प्रौद्योगिकी होने के कारण 3जी कनेक्शनों के संबंध में उपभोक्ताओं को पूरी तरह शिक्षित होने और समझने में कुछ समय लगेगा। भारतीय परिवेश पर आधारित पर्याप्त 3जी सामग्री उपलब्ध होने पर 3जी सेवाओं में भारी वृद्धि होने की संभावना है और ऐसा तब होगा जब 3जी उपभोक्ताओं की संख्या एक निश्चित न्यूनतम सीमा से अधिक हो जाएगी जिसके फलस्वरूप 3जी सामग्री सस्ती और वहनीय हो जाएगी। अपने उपभोक्ताओं के बीच 3जी सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए एमटीएनएल ने अपने सभी जीएसएम मोबाइल उपभोक्ताओं को 3जी सेवाओं की अभिगम्यता की अनुमति दे दी है।



एमटीएनएल की दिल्ली और मुंबई के 3जी नेटवर्क के संबंध में नेटवर्क की वर्तमान स्थिति और भावी विकास योजना निम्नानुसार है:

योजना	3जी नोड बी मुंबई में स्थल	3जी नोड बी दिल्ली में स्थल	प्रत्येक क्षेत्र में 3जी क्षमता
नेटवर्क की वर्तमान स्थिति (3जी)			
31.12.10 की स्थिति के अनुसार (3जी)	618-मैक्रो 22-माइक्रो	728-मैक्रो 48-माइक्रो	दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में 750 हजार
3जी नेटवर्क की विस्तार योजना			
चरण II में 3जी नोड बी का कार्य संपन्न	720-मैक्रो 100-माइक्रो	720-मैक्रो 100-माइक्रो	दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में 750 हजार

बहुत अधिक संख्या में एसएमएस/आईवीआरएस/जीपीआरएस आधारित मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ सूची नीचे दी गई है :

- कॉलर रिंग बैक टोन (सीआरबीटी)
- मिस्ड कॉल अलर्ट
- वायस एसएमएस
- सेव योर कंटेंटस (डाल्फिन वॉलेट)
- एम-कामर्स (मोबाइल के माध्यम से बिल का भुगतान)
- मोबाइल टीवी
- क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी)
- रेल आरक्षण, पासपोर्ट आदि की स्थिति
- समाचार, क्रिकेट, वैवाहिकी विज्ञापन आदि
- मानचित्र एवं निर्देश
- इंटरएक्टिव वॉयस रेस्पॉस सर्विस (आईवीआरएस)

3जी सेवा के उपभोक्ता आधार में वृद्धि करने हेतु एमटीएनएल द्वारा किए गए उपाय

- एमटीएनएल उपभोक्ताओं को विडियो टेलीफोनी, उच्च गति मोबाइल ब्रॉडबैंड, मोबाइल टीवी, विडियो स्ट्रीमिंग आदि जैसी अनेक सेवाओं की पेशकश कर रहा है।
- अपनी 3जी सेवाओं की मांग में वृद्धि करने के लिए एमटीएनएल विभिन्न विक्रेताओं के डाटा कार्ड और हैंडसेट के साथ अपनी सेवाओं की संयुक्त रूप से पेशकश कर रहा है। एमटीएनएल ने अपने उपभोक्ताओं को 3जी डाटा कार्ड उपलब्ध कराने के लिए दो कार्यनीतियां अपनाई है :
 - 1) एमटीएनएल की 3जी सेवा के साथ 3जी डाटा कार्डों की संयुक्त रूप से पेशकश करना। इस मामले में, एमटीएनएल आपूर्तिकर्ताओं को उनके 3जी डाटा कार्डों के साथ एमटीएनएल की 3जी सेवाएं संयुक्त रूप से बेचने की अनुमति दी है। एमटीएनएल की 3जी सेवाओं के साथ ऐसे कार्डों को अनुमति देने से पूर्व एमटीएनएल अपने 3जी नेटवर्क में इन डाटा कार्डों के कार्यनिष्पादन की पूरी तरह से जांच करता है।
 - 2) एमटीएनएल अपने उपभोक्ताओं को स्वयं 3जी डाटा कार्डों की आपूर्ति करता है।



- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को विश्व स्तर की सेवा/अनुभव प्रदान करने के संबंध में दिल्ली और मुंबई में लगाये जा रहे 3जी नेटवर्क का तकनीकी लेखा परीक्षा कराने के लिए मै0 क्वालकॉम को नियुक्त किया है। लेखा-परीक्षण में दिल्ली और मुंबई के 3जी/डब्ल्यूसीडीएमए नेटवर्कों के निष्पादन और नेटवर्क परिमाण का मूल्यांकन शामिल होगा। लेखा परीक्षक के लिए नेटवर्क को वैश्विक गुणवत्ता का सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता, यदि हो, का स्पष्ट रूप वर्णन करना अपेक्षित होगा। मै0 क्वालकॉम ने संबंधित कार्य पूरा कर लिया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी एमटीएनएल में जांच की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर, एमटीएनएल 3जी नेटवर्क को विश्व स्तरीय बनाने के लिए उसे अद्यतन प्रौद्योगिकी विशेषताओं के साथ उन्नत करने की योजना बना रहा है।
- अपने विशाल स्थिर लाइन और ब्रॉडबैंड नेटवर्कों का उपयोग करने हेतु दिल्ली और मुंबई में उपयुक्त एफएमसी (स्थिर मोबाइल कन्वर्जेंस) प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके जीएसएम परियात का संवहन करने के लिए एमटीएनएल ने एमटीएनएल मुंबई में फेम्टोसेल समाधान का परीक्षण शुरू कर दिया है।

एमटीएनएल में एमएनपी का कार्यान्वयन: एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में एसटीपी का उन्नयन, विभिन्न नेटवर्क घटकों तथा एमएनपी गेटवे संस्थापना का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। एमटीएनएल के स्थिर लाइन एवं मोबाइल नेटवर्क एमएनपी के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है। एमटीएनएल दूरसंचार विभाग द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई माइग्रेशन योजना के अनुसार एमएनपी का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

फेम्टोसेल की स्थापना: स्पेक्ट्रम का दक्ष उपयोग करने और इसके भार को निश्चित मात्रा तक कम करने (क्योंकि यह दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन है) के लिए एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई में फेम्टोसेल समाधान स्थापित करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति 22 अक्टूबर, 2009 को जारी की है। फेम्टोसेल एक लघु सेल्युलर बेस स्टेशन होता है, जो विशेष रूप से आवासीय और लघु व्यावसायिक माहौल में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। फेम्टोसेल ब्रॉडबैंड (जैसे डीएसएल अथवा केबल) की मार्फत सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के साथ जोड़ा जाता है ताकि ब्रॉडबैंड नेटवर्क द्वारा 3जी वायरलेस नेटवर्क परियात का संवहन हो सके। अभिरूचि की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में दो विक्रेताओं नामतः मै0 स्ट्रलाइट टेक्नॉलाजीस लिमिटेड और मै0 एल्काटेल-ल्यूसेंट लिमिटेड ने अपने तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इन्हें दो चरणों में स्थापित किया जाएगा। चरण-1 प्रायोगिक स्थापना का होगा और चरण-2 वाणिज्यिक स्थापना का होगा। चरण-2 के लिए व्यावसायिक माडल (अर्थात् तत्काल खरीद-फरोख्त की जाए अथवा राजस्व हिस्सेदारी/प्रबंधित क्षमता माडल पर हो) के संबंध में निर्णय चरण-1 के पूरा होने के पश्चात किया जाएगा। चरण-1 (प्रायोगिक स्थापना) के लिए, मै0 एल्काटेल - ल्यूसेंट लिमिटेड एमटीएनएल, मुंबई में अपनी फेम्टोसेल समाधान की पहले ही स्थापना कर चुका है और इसका परीक्षण चल रहा है।

कोनेक्सस मोबाइल गठबंधन में भागीदारी: महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जीएसएम प्रचालकों के प्रतिष्ठित कोनेक्सस मोबाइल गठबंधन में शामिल हो गए हैं। फिलहाल, कुल 11 प्रचालक 10 देशों के गठबंधन का हिस्सा हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड ने जून, 2009 में दिल्ली में कोनेक्सस कार्यदल की बैठकों का संयुक्त रूप से आयोजन किया। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड गठबंधन गतिविधियों में सक्रियता से भाग ले रहा है। सिम प्रतिस्थापन कार्यक्रम, ब्लैकबेरी प्रतिस्थापन कार्यक्रम, डाटा रोमिंग, फ्लेट रेट डाटा रोमिंग, कोनेक्सस वाइड एमएसएस आदि जैसी विभिन्न ग्राहकोन्मुखी स्कीमें गठबंधन द्वारा हाल ही में किए गए नवीन पहल कार्य हैं। इस गठबंधन ने अपनी पिछली तिमाही बैठक हनोई, वियतनाम में आयोजित की।

सीडीएमए आधारित मोबाइल सेवाएं

दिल्ली और मुंबई में सीडीएमए नेटवर्क 400 हजार लाइनों की क्षमता का प्रत्येक नेटवर्क अत्याधुनिक सीडीएमए 20001 X प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क है जो 144 केबीपीएस तक की डाटा स्पीड की सहायता के लिए सक्षम होता है।



कन्वर्जेंट बिलिंग और सीआरएम परियोजना

कन्वर्जेंट बिलिंग और सीआरएम परियोजना का क्रयादेश टर्नकी आधार पर कन्वर्जेंट बिलिंग प्रणाली और सीआरएम प्रणाली की आपूर्ति करने, स्थापना करने, और उन्हें चालू करने के लिए मै0 बीईएल को दिया गया था। एक बार उक्त परियोजना चालू हो जाने पर एमटीएनएल के संपूर्ण कारोबार अर्थात् जीएसएम, सीडीएमए और लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, लीज्ड सर्किटों और भावी सेवाओं के सभी प्रकार की बिलिंग और सीआरएम अनुप्रयोग के लिए एकल अभिसरित मंच के रूप में कार्य करेगी। उपभोक्ता उन सभी सेवाओं जो वह एमटीएनएल से प्राप्त कर रहा है, के लिए एक समेकित बिल प्राप्त करेगा। इस परियोजना के लिए आपूर्ति किए गए सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संस्थापित कर दिए गए हैं और निम्नलिखित अनुप्रयोग चालू कर दिए गए हैं और सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

- आईयूसी बिलिंग
- बिल मुद्रण
- दोष मरम्मत प्रणाली
- सीएसएमएस प्रणाली
- दिल्ली में सीडीएमए एलओबी
- मुंबई में जीएसएम एलओबी

इस परियोजना से सभी सेवाओं के लिए एक बिल देने, उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग में छूट और नवीन प्रशुल्क पैकेज में सहायता मिलेगी और इस प्रकार बिलिंग शिकायतें कम करने में मदद मिलेगी।

इस प्लेटफॉर्म (प्रणाली) पर मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) को कार्यशील बनाया जाएगा और दिल्ली में जीएसएम एलओबी जनवरी, 2011 में चालू हो जाने की संभावना है। अन्य एलओबी अर्थात् पीएसटीएन सर्किट, ब्रॉडबैंड को अंतरित किया जाएगा तथा तदन्तर इसे प्रणाली में चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा।

डब्ल्यूडीएम

एमटीएनएल ने अपने पारेषण नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 10जीबी/चैनल डीडब्ल्यूडीएम उपस्कर वाले 40 चैनलों के 42 टर्मिनलों (20 दिल्ली और 22 मुंबई) की आपूर्ति के लिए क्रयादेश दे दिया है। दिल्ली और मुंबई में सभी टर्मिनलों की संस्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है। दिल्ली में परीक्षण के आधार पर सभी 10 रूटों में परियात डाला गया है। मुंबई में परियात कम करने का कार्य प्रगति पर है।

एफटीटीएच

एमटीएनएल अपने अभिगम नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर जोड़ रहा है और जी पॉन आधारित एफटीटीएच चालू करने की योजना बना रहा है ताकि अपने सभी महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को उनके घरों तक फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इससे उनकी डाटा और वीडियो दोनों अनुप्रयोगों की बढ़ती बैंडविड्थ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। एफटीटीएच के लिए जीपॉन आधारित निष्क्रिय और सक्रिय उपस्कर के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। एफटीटीएच सक्रिय उपस्कर हेतु मै0 आईटीआई को क्रयादेश दे दिया गया है। निष्क्रिय एफटीटीएच की निविदा के संबंध में अल्पावधि निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। निष्क्रिय एफटीटीएच के लिए निविदा दस्तावेज की अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है।

उपभोक्ता परिसर उपस्कर

विभिन्न किस्म के कुल 3.14 लाख एडीएसएल 2 + सीपीई के प्रापण के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। इनमें से 1.52 लाख सीपीई के लिए आदेश दे दिए गए हैं तथा शेष मात्रा के लिए आदेश प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, कम मूल्य वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.00 लाख एकल पोर्ट सीपीई का प्रापण करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इस निविदा की बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।



विधिसम्मत अंतरावरोधन प्रणाली (एलआईएस)

एमटीएनएल सी डॉट से अपने आईएसपी नेटवर्कों के लिए एलआईएस समाधान का प्रापण करने हेतु प्रयास कर रहा है। इस समाधान के लिए हार्डवेयर का प्रापण करने हेतु शीघ्र ही निविदा आमंत्रित की जाएगी।

एमटीएनएल की परिसंपत्तियों का उपयोग

एमटीएनएल अपनी परिसंपत्तियों का लाभप्रद रूप से उपयोग करके राजस्व में वृद्धि करने के लिए सुविचारित प्रयास कर रहा है। एमटीएनएल ने अपनी परिसंपत्तियों जैसे कि स्टाफ क्वार्टर, कार्यालय स्थान का अन्य सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त संगठनों/निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साझा उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में एमटीएनएल लगभग 25,000 वर्गफुट का स्थान और 40 स्टाफ क्वार्टर पहले ही किराए पर दे चुका है।

रक्षा सेवाओं से स्पेक्ट्रम मुक्त किया जाना

रक्षा बलों को स्पेक्ट्रम मुक्त करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से दूरसंचार विभाग ने रक्षा बलों के लिए अखिल भारतीय आधार पर वैकल्पिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्मित करने और उन्हें सौंपने का निर्णय लिया है।

यह परियोजना दूरसंचार विभाग और रक्षा बलों के परामर्श से एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है और इसे दूरसंचार विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। एमटीएनएल को दिल्ली और मुंबई में अपने सेवा क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वायु सेना के नेटवर्क का कार्य कुछ इलाकों को छोड़कर पूरा कर लिया गया है।

प्रमाणन प्राधिकरण समाधान

प्रमाणन प्राधिकरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए मैसर्स एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड को अग्रिम क्रयादेश जारी किया गया है।

एमएलएलएन विस्तार

मुंबई के एमएलएलएन नेटवर्क का विस्तार 1000 लाइनों तक करने के लिए मैसर्स आईटीआई को अग्रिम क्रयादेश जारी किया गया है।

केन्द्रीकृत वाई-फाई अधिप्रमाणन

वाई-फाई के लिए केन्द्रीकृत अधिप्रमाणन प्रणाली के प्रापण के लिए एक अग्रिम क्रयादेश जारी किया गया है।

आगामी परियोजनाएं

माइक्रोवेव अभिगम (वाई-मैक्स) के लिए विश्वव्यापी अन्तर प्रचालनीयता

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली तथा मुंबई में राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के आधार पर आईईई 802.16 इ मानक की पुष्टि करते हुए वाई मैक्स नेटवर्क की तैनाती के लिए दिनांक 15.07.2010 को एक अभिरूचि की अभिव्यक्ति (इओआई) जारी की। इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति के प्रति केवल एक बोली प्राप्त हुई थी। बोली का प्रौद्योगिकीय व्यावसायिक मूल्यांकन पहले ही पूरा हो चुका है। एमटीएनएल के दल द्वारा वित्तीय मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और यह रिपोर्ट अनुमोदनार्थ एमटीएनएल प्रबंधन को प्रस्तुत कर दी गई है।

आईएमएस आधारित एनजीएन नेटवर्क

मौजूदा विक्रेताओं से सहायता नहीं मिलने के कारण मौजूदा टीडीएम एक्सचेंज के प्रचालन की दृष्टि से अनुपयुक्त हो जाने तथा पुराने पड़ जाने की स्थिति से निजात पाने तथा अपने ग्राहकों को अगली पीढ़ी की मल्टीमीडिया सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, एमटीएनएल एनजीएन नेटवर्क के क्रियान्वयन पर विचार कर रहा है, जो मुख्यतः आईएमएस प्लेटफार्म पर आधारित



होगा। एमटीएनएल में आईएमएस प्रौद्योगिकी लाई जा रही है और भारत में यह पहली बार हो रहा है। इसके लिए निविदा जारी की गई है। इस निविदा पर विक्रेता सम्मेलन 20.12.2010 को आयोजित किया गया था। विक्रेता सम्मेलन में प्राप्त जानकारियों के आधार पर संशोधित निविदा पुनः जारी की जाएगी।

आईपी एमपीएलएस नेटवर्क

एमटीएनएल द्वारा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल-2010 के दौरान विभिन्न खेल स्थलों पर हाई डिफिनिशन टी वी, गेम्स डाटा तथा सुरक्षा तथा विश्व स्तरीय संचार अवसंरचना प्रदान करने के निमित्त अत्याधुनिक आईपी/एमपीएलएस नेटवर्क की स्थापना की गई थी। राष्ट्रमंडल खेल-2010 नेटवर्क पर आधारित आईपी-एमपीएलएस की पुनः तैनाती दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों में कई स्थानों पर प्रगति पर है। इससे इन शहरों में अधिक क्षमता वाले आईपी बैण्डविड्थ का सृजन होगा।

एनएलडी सेवा

एमटीएनएल के पास देश में एनएलडी सेवाएं प्रचालित करने का लाइसेंस है। एमटीएनएल दिल्ली तथा मुंबई के अलावा 13 महत्वपूर्ण शहरों में एनएलडी केन्द्रों की स्थापना करने की योजना बना रहा है। दिल्ली स्थित मौजूदा एनजीएन स्विच को एनएलडी सेवाएं शुरू करने के लिए चालू किया जाएगा।

संयुक्त उद्यम

एमटीएनएल-एसटीपीआई आईटी सेवाएं (एमएसआईटीएस): एमटीएनएल - एसटीपीआईआईटी सर्विसेज लिमिटेड सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है। 2006 में बनाए गए संयुक्त उद्यम में एसटीपीआई का इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में गहरा अनुभव और एमटीएनएल का भारतीय समुदाय को प्रमुख वेबपोर्टल सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से भारत की अग्रणी दूरसंचार प्रचालन कंपनी के रूप में सुदीर्घ रिकार्ड का संयोजन विद्यमान है। इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य आर्थिक कार्यकलापों के अभिज्ञात क्षेत्रों को अनन्य डाटा केन्द्र सेवाएं, संदेश सेवाएं, व्यवसाय अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करना तथा इस प्रकार पूरे विश्व के नेटवर्क युक्त समुदाय में इनडोमेन को लोकप्रिय बनाना है।

वर्तमान स्थिति: चेन्नई में टियर-III डाटा केन्द्र के लिए अवसंरचना सृजन संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। टियर-III डाटा केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है और बोलियों के आमंत्रण हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य आखिरी चरण में है। इस बीच, संयुक्त उद्यम ने वाणिज्यिक शर्तों पर विदेश मंत्रालय की "पासपोर्ट सेवा सर्विस" के लिए मैसर्स टीसीएस के सर्वरों को लगाकर सृजित अवसंरचना का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करना पहले ही शुरू कर दिया है।

कंपनी ने दिल्ली और हैदराबाद में टियर-III स्तर के हरित डाटा केन्द्र की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। हैदराबाद और दिल्ली में टियर-III स्तर के हरित डाटा केन्द्र की स्थापना के लिए अपेक्षित अवसंरचना सृजित करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आरएफआई भी जारी कर दिया गया है।

यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल)

यूटीएल नेपाल वेन्चर्स (पी) लिमिटेड (एनवीपीएल) (20%) की साझेदारी में एमटीएनएल (26.68%), टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (26.66%) तथा टीसीआईएल (26.66%) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह कंपनी नेपाल में बेसिक, मोबाइल, एनएलडी, आईएलडी तथा डाटा सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी नेपाल में शुरू में डब्ल्यूएलएल आधारित बेसिक सेवाएं प्रदान करते हुए 10 अक्टूबर, 2001 से प्रचालन में है। कंपनी ने नेपाल में अपने ग्राहकों की डाटा तथा वीएएस की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सीडीएमए आईएक्सई वीडिओ अवसंरचना की शुरुआत की है। कंपनी ने दोष दरों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के निमित्त अपने सीडीएमए ग्राहकों के लिए आरयूआईएम कार्डों की भी शुरुआत की है। पीसीओ की कुल संख्या 1646 है और यूटीएल नेटवर्क 36 जिलों (नेपाल के 75 जिलों में से) में मौजूद है।



अभी तक की स्थिति के अनुसार, यूटीएल उपभोक्ता आधार 506,724 है। मार्च तथा अप्रैल, 2010 में इनकमिंग आईएलडी परियात क्रमशः 12.17 मिलियन तथा 7.51 मिलियन मिनट है। कंपनी की मौजूदा प्रदत्त इक्विटी पूंजी आईएनआर 1,945 मिलियन है। वित्त वर्ष 2009-10 के लिए कंपनी का कारोबार लगभग 1,058.55 मिलियन आईएनआर है और करोपरांत लाभ (पीएटी) लगभग 0.54 मिलियन आईएनआर है।

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड: मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड एमटीएनएल तथा बीएसएनएल का एक संयुक्त उद्यम है जिसने भारत के पूर्वी तट से मलेशिया और/अथवा सिंगापुर तक बांग्लादेश, म्यांमार, अंडमान और निकोबार दीप समूह, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया तक संभावित शाखाओं सहित अपने समुद्री केबल बिछाने की योजना बनाई है। साथ ही, इसने पाकिस्तान, ओमान, ईरान, कतर और कुवैत तक संभावित शाखाओं सहित भारत के पश्चिमी तट से यूएई तथा/अथवा सउदी अरब तक अपने समुद्री केबल बिछाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य मौजूदा तथा नव-नियोजित समुद्री केबलों के माध्यम से यूरोप और उत्तरी अमेरिका, तक भी कनेक्टिविटी प्रदान करना है। बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के मौजूदा परियातों का वहन इन केबलों के माध्यम से होगा और कंपनी का उद्देश्य अतिरिक्त क्षमता को पट्टे पर देना है।

वर्तमान स्थिति: समुद्री तार बिछाने में अभिरूचि रखने वाली पार्टियों से बोलियां आमंत्रित की गईं। तथापि, इस परियोजना की अवधारणा बनाते समय अन्तर्राष्ट्रीय बैण्डविड्थ के मूल्यों में समय-समय पर होने वाली तीव्र गिरावट के कारण, एमटीएल प्रबंधन परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता की समीक्षा कर रहा है।

सहायक कंपनियां

महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल): एमटीएमएल, एमटीएनएल की एक 100% सहायक कंपनी है जिसे मॉरीशस में नवम्बर, 2003 में एक निजी घरेलू कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसे आरंभ में 600 मिलियन एमयूआर की प्राधिकृत पूंजी तथा 300 एम की प्रदत्त पूंजी के साथ पंजीकृत किया गया था। प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 2009 में 1500 मिलियन एमयूआर कर दिया गया। कंपनी को स्थिर बेतार सेवाएं, मोबाइल सेवाएं, अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाएं तथा इंटरनेट सेवाएं प्रचालित करने के लिए आईसीटीए (मॉरीशस स्थिति दूरसंचार विनायामक) से लाइसेंस प्राप्त हुए थे।

पोर्ट लुई तथा द्वीप में सीडीएमए प्रौद्योगिकी (सीडीएमए आईएक्स तथा इवीडीओ) के 110 हजार क्षमता वाले स्विच संस्थापित किए गए हैं जिन्हें रेडियो नेटवर्क के भाग के रूप में संस्थापित 53 टावरों द्वारा कवर किया गया है। पूरे द्वीप में 10 ग्राहक सेवा केन्द्र तथा एक कॉल सेन्टर कार्यरत है ताकि ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। कंपनी मॉरीशस के लोगों को सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर स्थिर, मोबाइल, अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी तथा इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा रही है। एमटीएनएल द्वारा एमटीएमएल में लगभग 20 मिलियन डालर का निवेश किया गया है।

भावी योजनाएं

एमटीएमएल मॉरीशस में 200 हजार लाइनों के जीएसएम नेटवर्क कार्यान्वयन के साथ कोर नेटवर्क की क्षमता का विस्तार 310 हजार लाइनों तक कर रहा है और अपनी चालू खुली वैश्विक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दो चरणों में लगभग 23.2 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश (कैपेक्स) के साथ सीडीएमए आईएक्स इवीडीओ नेटवर्क वाली 110 हजार कोर क्षमता को बदल रहा है।

प्रतिस्पर्धा का सामना

एमटीएमएल ने उत्पाद नवीनता में अग्रणी भूमिका निभाकर उत्साहपूर्ण विपणन कार्यनीति का अनुपालन किया है तथा अपने उपभोक्ताओं को इन्हें वहनीय कीमत पर उपलब्ध करा रहा है। एमटीएनएल ब्रॉडबैंड में एडीएसएल 2 + तथा वीडिएसएल 2, एमपीडजी 4 प्रौद्योगिकी पर आईपीटीवी, वीओआईपी तथा 3जी मोबाइल सेवा जैसी कुछ आधुनिकतम दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को पहली बार शुरू करने वाला रहा है। खुदरा तथा कारपोरेट क्लाइंटों को लक्ष्य करने के लिए पृथक विक्रय यूनिटें स्थापित की गई हैं।



एमटीएनएल ने हाल ही में उपभोक्ता देखभाल, बिलिंग तथा जीएसएम और सीडीएमए ग्राहकों के प्रबंधन के लिए ई-सीआरएम मंच की स्थापना की है। इसे इसकी स्थिर लाइन, ब्रॉडबैंड तथा अन्य सेवाओं के लिए भी शीघ्र कार्यान्वित किया जाना है। एमटीएनएल वितरकों तथा खुदरा चैनलों के अलावा अपने ग्राहकों को वेब, टॉल फ्री हेल्प लाईन नम्बर तथा उपभोक्ता देखभाल केन्द्रों जैसे बहु चैनल अभिगम विकल्प की पेशकश करता है।

दिल्ली और मुंबई मेट्रो शहरों में सीमित विकास के अवसर संबंधी अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए एमटीएनएल विदेशी बाजार विशेषकर अफ्रीकी क्षेत्र में अपने आर्गेनिक तथा इनआर्गेनिक विकास के अवसरों की सतत रूप से खोज करता रहा है।

अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने के लिए भविष्य में एमटीएनएल द्वारा अपने ग्राहकों के लिए वाई मैक्स, एनजीएन आधारित स्थिर सेवा, स्थिर मोबाइल कवरेज सेवा आदि का विस्तार किए जाने की योजना है।

वित्तीय कार्य निष्पादन

वर्ष 2010-11 के दौरान एमटीएनएल का वित्तीय कार्य-निष्पादन निम्नानुसार रहा है :-

अन्य प्रचालकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद एमटीएनएल ने पिछले वर्ष के 4455.99 करोड़ ₹ के कारोबार की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान 3656.10 करोड़ ₹ का वित्तीय कारोबार किया। उक्त अवधि के दौरान एमटीएनएल को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से 2610.97 करोड़ ₹ की हानि हुई :

- 2,731 करोड़ ₹ के सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान।
- प्रति सेकेण्ड प्रशुल्क योजना सहित प्रशुल्क में सामान्य कटौती।
- एमटीएनएल केवल दिल्ली और मुंबई में सेवाएं प्रदान कर रहा है और अपने प्रतिस्पर्धियों जिनकी उपस्थिति अन्य सर्किलों में है, की तरह अखिल भारतीय प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश करने में असमर्थ है।
- निजी प्रचालकों के साथ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।
- उपभोक्ताओं द्वारा लैण्डलाइन सेवा छोड़ा जाना।

कंपनी द्वारा अपने प्रचालन में सुधार करने तथा राजस्व में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- ब्रॉडबैंड तथा उद्यम व्यवसाय पर जोर।
- अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ संसाधनों की साझेदारी से राजस्व के नए स्रोत बनाना।
- नए लैण्ड लाइन ग्राहकों को आकर्षित करने तथा मौजूदा लैण्डलाइन आधार को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्कीमों की शुरुआत।
- जीएसएम तथा ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर अधिक जोर देना।
- लचीली प्रशुल्क नीतियों की शुरुआत।
- प्रशासनिक तथा प्रचालनात्मक लागत को घटाने के लिए व्यय को युक्तिसंगत बनाना।
- दोषों की देखरेख बारीकी से की जा रही है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार पर बल दिया गया है।
- उपभोक्ता देखभाल केन्द्र में पदों की संख्या में वृद्धि करके तथा संचार हाटों में एकल खिड़की उपलब्ध कराते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान पर जोर दिया गया है।



तथापि, वर्तमान वर्ष 2010-11 की द्वितीय तिमाही के परिणामों से लम्बे समय के बाद राजस्व में वृद्धि परिलक्षित हुई है जो एक स्वस्थ संकेत है।

प्रौद्योगिकी पर पूंजीगत व्यय

वर्ष 2009-10 के दौरान, एमटीएनएल ने पिछले वर्ष में 871.12 करोड़ रूपए के पूंजीगत व्यय के मुकाबले 1194.70 करोड़ रूपए की राशि खर्च की है। यह पूर्णतः आंतरिक संसाधन सृजन के माध्यम से प्राप्त किया गया है। 31.12.2010 तक का पूंजीगत व्यय 491.83 करोड़ रु0 (अलेखापरीक्षित) रहा है।

राजस्व आश्वासन

एमटीएनएल ने राजस्व की उगाही सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयासों के माध्यम से बकाया देय राशियों को कम किया है। एमटीएनएल के बकाया देश राशियों को कम करने के प्रयासों को नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है:

(करोड़ रु0 में)

एमटीएनएल की घटती * बकाया देय राशियाँ					
अवधि	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	30.06.2010
एमटीएनएल	1218.43	1188.62	1173.73	1119.60	1129.08

(* बुनियादी, जीएसएम और सीडीएमए सेवाओं के लिए)

(सीडीएमए बकाया को नई सीडीएमए बिलिंग प्रणाली के साथ समायोजित करने के कारण 30.06.2010 को संशोधित किया गया है)

30.06.2010 की स्थिति के अनुसार, बुनियादी, जीएसएम और सीडीएमए के लिए एमटीएनएल की बकाया देय राशि 1129.08 करोड़ रु0 है। यह एमटीएनएल की स्थापना से ही और पिछली अवधि का और यहां तक कि इसकी स्वायत्तता से पूर्व का संचित बकाया देय है। ये बकाया देय राशियां पिछले अनेक दशकों की 89160.47 करोड़ रु0 (लगभग) के संचित बिलों से उत्पन्न हुई हैं। अतः कुल बकाया देय कुल बिलशुदा राशि का लगभग 1.27% है।

राजस्व आश्वासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि नेटवर्क पर होने वाले बिल बनाने योग्य समस्त कार्यकलापों का ब्योरा सही ढंग से लिया जाए, दरें लगाई जाएं और उनके बिल बनाए जाएं। एमटीएनएल में भी एक राजस्व आश्वासन कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है जिसमें यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिकतम राजस्व बिलिंग और राजस्व वसूली की जाए ताकि अतिरिक्त बकाया देय राशि का पता लगाया जा सके। उपर्युक्त कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

- वाणिज्यिक आंकड़ों और बिलिंग के आंकड़ों का मिलान।
- सृजित सीडीआर और बिल किए गए सीडीआर का मिलान।
- बिलों को समय पर जारी करना ताकि भुगतान शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो जाए।
- बिलों के भुगतान के लिए ऑन लाइन भुगतान सहित विभिन्न तरीकों की शुरुआत।
- इंटरकनेक्ट बिलिंग का निपटान
- पुरानी बकाया देय राशि आदि की वसूली हेतु प्राइवेट वसूली एजेंटों की नियुक्ति।

पुराने बकाया और समस्त राजस्व उगाही को और घटाने के लिए प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर राजस्व बैठकें भी जल्दी-जल्दी आयोजित की जाती हैं।



इसके अतिरिक्त, ट्राई ने विभिन्न दूरसंचार प्रचालकों के लिए, ट्राई द्वारा ही बनाए गए लेखापरीक्षकों के पैनल द्वारा बिलिंग और मीटरिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा करवाना भी अनिवार्य कर दिया है जिससे एमटीएनएल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राजस्व आश्वासन कार्यक्रम संपूर्ण हो जाता है।

एक कन्वर्जेंट बिलिंग प्रणाली अधिष्ठापनाधीन है जिसमें राजस्व आश्वासन का महत्वपूर्ण घटक निहित है। इससे संभवतः एमटीएनएल के राजस्व आश्वासन संबंधी प्रयासों में और अधिक सुधार आएगा।

इसके अतिरिक्त, राजस्व आश्वासन संबंधी कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए एमटीएनएल ने लैंडलाइन इंटरकनेक्ट बिलिंग प्रक्रिया के लिए राजस्व आश्वासन की लेखा परीक्षा हेतु मुंबई में इंटरनेशनल स्टेचर कंपनी की एक लेखा परीक्षा फर्म तैनात की है। बुनियादी काल प्रभारण विश्लेषण की इस विस्तृत समीक्षा में सेवा प्रयोग रिकॉर्डिंग में सीडीआर समाधान परिशुद्धता समाप्त करने की आवश्यकता है। राजस्व के ह्रास को रोकने के लिए साझेदारों के साथ इंटरकनेक्ट करार की बिलिंग/मध्यस्थता/स्विच डाटाबेस की रिकार्डिंग की परिशुद्धता की जा रही है। इसको पूरा कर लिया गया है और सतत क्रियाकलाप के रूप में कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त मुंबई में जीएसएम सेवाओं के लिए इसकी योजना बनाई गई है और इसे वित्तीय वर्ष की तिमाही तक क्रियान्वित किया जाएगा।

दिल्ली जीएसएम में एक क्रेडिट नियंत्रक मोड्यूल प्रारंभ किया गया है जिसमें यदि किसी भी उपभोक्ता द्वारा प्रयोग निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो नंबर स्वतः ही कट जाएगा।

कर्मचारियों की संख्या

30.09.2010 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल में विभिन्न श्रेणियों के कुल 44,177 कर्मचारी थे। कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 7932 है जो कुल कर्मचारियों का 17.95% है। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या 1518 है जो कुल कर्मचारियों का 3.44% है।

(30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कुल कर्मचारी	महिला	निःशक्त व्यक्ति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
क	1207	42	0	52	210
ख	5199	588	14	104	711
ग	26052	7277	155	493	4501
घ	11696	1177	35	869	2510
डीआरएम	23			0	-
जोड़	44177	9084	204	1518	7932

एमटीएनएल शेयरों का कारोबार

एमटीएनएल के शेयर देश में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नै स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। इन शेयरों का भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) में नियमित रूप से कारोबार किया जा रहा है। कंपनी द्वारा जारी किए गए एडीआर न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) में सूचीबद्ध हैं और वहां नियमित रूप से कारोबार किया जाता है।



विकास लक्ष्य / उपलब्धियां - दिल्ली

क्रम सं०	मदें	लक्ष्य (एमओयू) 2009-10	उपलब्धियां 2009-10	लक्ष्य (एमओयू) 2010-11	उपलब्धियां 2010-11 (दिसंबर, 2010 तक)
क	स्विचन (हजार लाइनों में)				
	(i) कुल क्षमता	*	711.866	*	525.150
	(ii) रद्दी घोषित / बंद / पुनः तैनाती करना	*	0	*	25.150
	(iii) निवल क्षमता \$	500	711.866	500	500.000
ख	सीधी एक्सचेंज लाइनें (हजार लाइनों में)				
	(i) कुल	*	580.751	*	353.398
	(ii) निवल \$	500	355.934	500	198.909
ग	टीएएक्स/टैंडम (हजार लाइनों में)	*	*	*	0.000
घ	पारेषण	*		*	
	(क) एसडीएच प्रणाली	-	-	-	-
	(i) एसटीएम-16	-	6	-	15.000
	(ii) एसटीएम-4	-	16	-	7.000
	(iii) एडीएम-1/एसटीएम-1	-	24	-	39.000
	(iv) टीएमएस-1	-	2	-	
ङ	आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	*	182.792	*	448.287
च	आप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी. में)	20000	9094.464	20000	26156.400
छ	आईएसडीएन	*	0	*	
ज	प्रतीक्षा सूची	*	-	*	-
झ	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	*	65568	*	34448.000
ञ	इंटरनेट कनेक्शन	*	65	*	41.000
ट	आईपीटीवी उपभोक्ता	10000	-534	12500	844.000
ठ	वीओआईपी	4000	-707	*	-324.000

\$ इसमें (स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल तथा जीएसएम) शामिल हैं।

* एमओयू में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विकास लक्ष्य / उपलब्धियां - मुंबई

क्रम सं०	मदें	लक्ष्य (एमओयू) 2009-10	उपलब्धियां 2009-10	लक्ष्य (एमओयू) 2010-11	उपलब्धियां 2010-11 (दिसंबर, 2010 तक)
क	स्विचन (हजार लाइनों में)				
	(i) कुल (क्षमता)	*	570.42	*	800.048
	(ii) रद्दी घोषित / बंद करना / पुनः तैनाती करना	*	212.55	*	55.434
	(iii) निवल क्षमता \$	500	357.87	500	744.614
ख	सीधी एक्सचेंज लाइने (हजार लाइनों में)	*		*	
	(i) कुल	*	422.63	*	240.729
	(ii) निवल \$	500	179.12	500	81.136
ग	टीएएक्स/टैंडम (हजार लाइनों में)	*	*	*	0.000
घ	पारेषण	*		*	
	(क) एसडीएच प्रणाली	-	-	-	-
	(i) एसटीएम-16	-	71	-	10.000
	(ii) एसटीएम-4	-	53	-	21.000
	(iii) एडीएम-1/एसटीएम-1	*	208	*	100.000
ङ	आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	20000	406.17	20000	284.900
च	आप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी. में)	*	26283.1	*	20448.720
छ	आईएसडीएन	*	-262	*	265.000
ज	प्रतीक्षा सूची	*	-	*	-
झ	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	*	54762	*	63430.000
ञ	इंटरनेट कनेक्शन	*	65124	*	4435.000
ट	आईपीटीवी उपभोक्ता	10000	-1025	12500	-763.000
ठ	वीओआईपी	4000	780	*	-474

\$ इसमें (स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल तथा जीएसएम) शामिल हैं।

* एमओयू में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VIII. 3 आईटीआई लिमिटेड

प्रस्तावना

आईटीआई लिमिटेड 1948 से दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख उपक्रम है।

छह स्थानों पर अत्याधुनिक विनिर्माणकारी सुविधाओं तथा देशव्यापी विपणन नेटवर्क/सेवा केन्द्रों के साथ यह कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी रेंज तथा सम्पूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है जिसमें स्विचन, पारेषण, अभिगम्यता और उपभोक्ता परिसर उपकरण का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है। प्रौद्योगिकीय रुझानों के अनुरूप, आईटीआई ने जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल) तथा सीडीएमए (कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस) प्रौद्योगिकियों दोनों के आधार पर मोबाइल अवसंरचना उपकरण का निर्माण शुरू कर दिया है। आईटीआई ने ब्रॉडबैंड इंफ्रा उपकरणों तथा आईपी प्रौद्योगिकी पर आधारित अगली पीढ़ी के नेटवर्क उपकरणों के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण भी किया है। आईटीआई के पास उपकरणों को संस्थापित करने और उन्हें चालू करने तथा टर्नकी परियोजनाओं को शुरू और मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समर्पित नेटवर्क प्रणाली इकाई है। आईटीआई ने पिछले चार वर्षों से भारतीय दूरसंचार में बेहतरीन टर्नकी सेवा कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त की है।

आईटीआई अपने मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में बीटीएस उपकरण के विनिर्माण सुविधा के उद्घाटन के साथ जीएसएम प्रौद्योगिकी की विश्व स्तर की कंपनियों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिसके कारण देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरणों के उत्पादन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। कंपनी ने बीएसएनएल से कुल 18 मिलियन लाइनों का आदेश संबंधी कार्य का पहले ही निष्पादन कर लिया है, जिसमें पश्चिम जोन और दक्षिण जोन प्रत्येक के लिए 9 मिलियन लाइनों तथा एमटीएनएल के आदेश भी शामिल है। प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता की सफलता आईटीआई की सभी इकाइयों में दिखाई पड़ती है जो आईएसओ 9001:2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के सर्वथा अनुरूप है। आईएसओ 14001 : 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानक भी पालक्कड, मनकापुर (पीसीबी और हाइब्रिड सिक्रेट डिवीजन) और बेंगलुरु संयंत्रों में सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। नई पीढ़ी के सॉफ्ट स्विच और एसटीपी (सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट) का उत्पादन इसके पालक्कड स्थित संयंत्र में किया जाएगा, जहां पहले से ही सिम (सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मोड्यूल) कार्डों का निर्माण किया जा रहा है। नैनी संयंत्र में डीएलसी (डिजिटल लूप कैरियर) उपकरणों के अलावा, एसडीएच (सिंक्रोनस डिजिटल हायरआर्की) तथा डीडब्ल्यूडीएम (डेंस वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग) ऑप्टिकल उपकरणों का निर्माण शुरू किया गया है।

कंपनी ने रायबरेली संयंत्र में विमेक्स/विमेक्स-सीपीई और जीपीओएन जैसे ब्रॉडबैंड उपस्कर का विनिर्माण भी चालू कर रही है। कंपनी रक्षा सेवाओं के सम्पूर्ण नेटवर्क और संचार संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सभी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। बेंगलूर स्थित संयंत्र सीडीएमए इन्फ्रा उपकरण, एडीएसएल सीपीई (एसी मेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंटों के निर्माण कार्य में लगा है तथा साथ ही बैंकों/वित्तीय सेक्टर और दूरसंचार से संबंधी अन्य साफ्टवेयर के लिए आईपी परियोजनाओं को संभालने हेतु राजस्व हिस्सेदारी माडल के आधार पर मै0 ट्राई मैक्स के साथ भागीदारी में डाटा केंद्र स्थापित कर रहा है।

अपनी गहन दूरसंचार विशेषज्ञता और व्यापक अवसंरचना का उपयोग करके, कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में कार्य शुरू कर रही है, जिसके कारण कनवर्जेस मार्केट में इसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल रहा है। डब्ल्यूएएन (वाइड एरिया नेटवर्किंग) के क्षेत्र में आईटीआई की क्षमता की झलक बीएसएनएल के लिए सफलतापूर्वक चालू की गई निम्नलिखित दो प्रमुख परियोजनाओं में दिखाई पड़ती है : देशव्यापी एमएलएलएन (मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क) और एसएसटीपी (स्टैंडएलोन सिग्नल ट्रांसफर प्वाइंट)। आईटीआई राष्ट्रीय आईडी कार्डों की तैयारी के लिए चुनी गई एजेंसियों में से एक एजेंसी है। देश में पहली बार आईटीआई ने मै0 एल्फिऑन, यूएसए के सहयोग से बीएसएनएल के नेटवर्क में जी-पॉन प्रौद्योगिकी की संस्थापना की है।



एमटीएनएल के इंटरनेट सेवा उपकरणों का विस्तार करने संबंधी परियोजना का सफल कार्यान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंपनी के अनवरत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामरिक संचार में कंपनी को विशेषज्ञता हासिल है और भारतीय रक्षा सेवाओं के लिए सुरक्षित संचार नेटवर्क का निर्माण करने का आईटीआई का प्रमाणित रेकॉर्ड रहा है। विभिन्न उपभोक्ताओं को उनके अनुकूल समाधान प्रदान करने के लिए इनक्रिप्शन, एनएमएस, आईटी और अभिगम उत्पादों के विशिष्ट क्षेत्रों में कंपनी के अंदर ही व्यापक अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है।

पूंजीगत ढांचा

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 700 करोड़ ₹ थी। इस तारीख को प्रदत्त शेयर पूंजी 588 करोड़ ₹ थी (10-10/- ₹ मूल्य के 288 करोड़ ₹ मूल्य के इक्विटी शेयर तथा 100-100 ₹ मूल्य के 300 करोड़ ₹ के अधिमानी शेयर)। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में केन्द्र सरकार का शेयर प्रतिशत 92.87% है।



श्री के०एल० ढींगरा, आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रायबरेली में यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करते हुए

वर्ष 2009-10 के दौरान निष्पादन की विशेषताएं

- 3253 करोड़ ₹ मूल्य के जीएसएम-इन्फ्रा उपस्कर की आपूर्ति की गई।
- 409 करोड़ ₹ मूल्य के डब्ल्यूएलएल-सीडीएमए इन्फ्रा उपस्कर की आपूर्ति की गई।
- 240 करोड़ ₹ मूल्य के जी-पॉन उपस्करों की आपूर्ति की गयी।
- 192 करोड़ ₹ मूल्य के एसटीएम ऑप्टिक फाइबर उपस्करों की आपूर्ति की गई।



- एसएसटीपी/आईपी टीएक्स उपस्कर की आपूर्ति की गई तथा सभी स्थलों में 101 करोड़ रुपये मूल्य के आई एंड सी का कार्य संपन्न हुआ।
- 150 करोड़ रु0 मूल्य के रक्षा/एस्कॉन उपस्कर की आपूर्ति की गई।
- 156 करोड़ रु0 मूल्य के सेवा संबंधी व्यावसायिक कार्य निष्पादित किये गये।

वर्ष 2010-11 (अप्रैल से दिसम्बर, 2010) के दौरान निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

- 1433.79 करोड़ रुपये मूल्य के जीएसएम-इन्फ्रा उपस्कर की आपूर्ति भारत संचार निगम लि0 (पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र) तथा महानगर टेलीफोन निगम लि0 मुंबई को की गयी।
- 91.99 करोड़ रुपये मूल्य के जी-पॉन उपस्करों की आपूर्ति की गयी।
- 48.19 करोड़ रुपये मूल्य के डीडब्ल्यूडीएम उपस्कर की आपूर्ति की गयी।
- 41.60 करोड़ रुपये मूल्य के एसटीएम ऑप्टिक फाइबर उपस्करों की आपूर्ति की गयी।
- 37.47 करोड़ रु0 मूल्य के एडीएसएल-सीपीई, टर्मिनलों की आपूर्ति की गई।
- 30.09. करोड़ रु0 मूल्य के नए चयनित उत्पादों की आपूर्ति की गई।
- 102.53 करोड़ रुपये मूल्य के सेवा संबंधी व्यावसायिक कार्यों का निष्पादन किया गया।



आईटीआई लिमिटेड की ओर से श्री आर0के0 अग्रवाल, निदेशक (विपणन) द्वारा नई दिल्ली में करार पर हस्ताक्षर किए गए तथा इस अवसर पर श्री विपिन त्यागी, निदेशक-दूरसंचार विभाग, श्री के0एल0 दींगरा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड एवं श्री वी0वी0आर0 शास्त्री, कार्यकारी निदेशक, सी-डॉट भी उपस्थित थे।



वास्तविक उपलब्धियों का ब्योरा निम्नानुसार है

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (अप्रैल-दिसंबर, 2010) के लिए वास्तविक निष्पादन

प्रमुख उत्पाद	अकाउंटिंग यूनिट	2010-11 अप्रैल-दिसंबर, 2010 (अनंतिम)	2009-10	2008-09
निर्माण उत्पाद				
ओसीबी - 283 सीएसएन/लोकल	करोड़ ₹0	1.04	27.12	13.06
ओसीबी - टीएएक्स/टैंडम	करोड़ ₹0	-	-	-
एसएसटीपी/आईपी टीएएक्स	करोड़ ₹0	0.66	101.38	57.05
सी-डॉट उत्पाद तथा अतिरिक्त उत्पाद	करोड़ ₹0	1.82	6.02	18.87
विभिन्न उत्पाद	करोड़ ₹0	11.76	8.45	6.34
एसटीएम/ऑप्टिकल फाइबर उपस्कर	करोड़ ₹0	41.60	191.95	78.70
एसएटीसीओएम	करोड़ ₹0	6.71	2.22	7.48
पीसीएम एमयूएक्स	करोड़ ₹0	8.84	9.46	16.11
डीडब्ल्यूडीएम	करोड़ ₹0	48.19	8.25	128.87
एमएलएलएन	करोड़ ₹0	2.08	27.36	66.50
ईपीबीटी / क्लिप फोन	करोड़ ₹0	0.15	1.49	0.06
एडीएसएल+सीपीई	करोड़ ₹0	37.47	19.78	45.86
जी-पीओएन	करोड़ ₹0	91.99	240.14	-
सिम कार्ड्स/यूसिम	करोड़ ₹0	5.34	5.84	21.25
एमएनआईडी	करोड़ ₹0	4.40	9.00	-
एसएमपीएस	करोड़ ₹0	10.24	16.14	25.08
विविध उत्पाद	करोड़ ₹0	10.52	17.79	17.87
रक्षा/एस्कॉन	करोड़ ₹0	39.30	149.68	20.72
टर्नकी परियोजनाएं				
जीएसएम - इन्फ्रा	करोड़ ₹0	1433.79	3253.06	944.03
डब्ल्यूएलएल - सीडीएमए इन्फ्रा	करोड़ ₹0	10.96	409.46	66.94
आईएफडब्ल्यूटी	करोड़ ₹0	-	-	12.44
सेवा कारोबार				
जोड़ (शुल्क सहित)	करोड़ ₹0	1869.39	4660.32	1741.32



महत्वपूर्ण क्रियाकलाप/घटनाएं

- देश में पहली बार, कंपनी ने अमरीकी कंपनी मै0 ऐल्फियॉन कॉर्पोरेशन के सहयोग से बीएसएनएल नेटवर्क में जी पॉन (गीगाबिट - पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क) प्रौद्योगिकी संस्थापित की। विनिर्माणकारी क्रियाकलाप आईटीआई के रायबरेली संयंत्र में किया जा रहा है।
- आईटीआई को आरजीआई (भारत के महापंजीयक) द्वारा बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए चुने गए तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल किया गया है। इसके लिए भारत के नागरिकों के बायोमेट्री सहित उनसे संबंधित अन्य अनेक आंकड़े एकत्र किए जाएंगे और तत्पश्चात उन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। पहचान पत्र तैयार करने और आंकड़े एकत्र करने का कार्य पालक्काड संयंत्र द्वारा किया जा रहा है।
- आईटीआई द्वारा नैनी संयंत्र में 10 गीगाबिट्स प्रति सेकंड डीब्ल्यूडीएम (डेन्स वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग) उपकरण विनिर्मित करने के लिए एकक स्थापित किया गया है। आईटीआई को इस उत्पाद के विनिर्माण के लिए टीएसईसी प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया है।
- आईटीआई ने निर्धारित शहरों में आधार ऊर्जा की खपत और राजस्व संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु आईटी अवसंरचना तथा ग्राहक सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी)से प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त करके विद्युत सुधार क्षेत्र में प्रवेश किया है। यह क्रियाकलाप पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) स्कीम के अंतर्गत है।
- आईटीआई ने सीडॉट-गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (पी-जॉन) प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण संबंधी संविदात्मक संबंध विकसित करने, तत्संबंधी चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए सी-डॉट के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए।
- कंपनी ने सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के मॉडल पर बेंगलुरु में अत्याधुनिक 3+डेटा सेंटर सुविधा संस्थापित की है।
- भारत सरकार ने कार्यनीतिक भागीदारों, जो वैश्विक विनिर्माता हैं, द्वारा 51% से 74% तक इक्विटी भागीदारी से निम्नलिखित उत्पाद मिश्रण विनिर्मित करने के लिए आईटीआई द्वारा तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया है। शेष इक्विटी सरकार की है।

क्र०सं०	उत्पाद	संयुक्त उद्यम कंपनी की अवस्थिति
1.	वाइमैक्स और संबद्ध ग्राहक परिसर उपकरण (सीपीई)	रायबरेली
2.	जीईपीओएन/जीपीओएन और ऑप्टिकल ट्रान्समीशन उपकरण	नैनी
3.	आईपी कोर प्रणाली	बेंगलुरु

उत्पादों का चयन सरकार के "सभी को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लक्ष्य" की अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है ताकि आगामी 3 से 5 वर्षों के दौरान 100 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। आईटीआई ने भावी भागीदारों से बोली आमंत्रित करते हुए आरएफक्यू और आरएफपी दस्तावेज पहले ही जारी कर दिया है। संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

कार्मिक संबंधी स्थिति

कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या पिछले वर्ष के अंत में 12556 की तुलना में वर्ष 2009-10 के अंत में 11737 थी। वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना प्रचालन में नहीं थी। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के आरंभ से 13744 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को चुना है।

1 जनवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार 10868 कर्मचारी हैं।



नागरिक चार्टर

आईटीआई लिमिटेड दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

कंपनी की वेबसाइट: itilttd.India.com

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रयोग करके सभी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद से इस अधिनियम के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्यालय/यूनिटों से प्राप्त सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए तंत्र विकसित किया गया है। यूनिटों और क्षेत्रीय कार्यालयों में पीआईओ/एपीआईओ और कॉर्पोरेट कार्यालय में सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के पद सृजित किए गए हैं।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VIII. 4 टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

प्रस्तावना

टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को मार्च, 1978 में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी की स्थापना व्यापक भारतीय दूरसंचार विशेषज्ञताओं का लाभ भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखनेवाले विकासशील देशों तक वाणिज्यिक आधार पर पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। कंपनी ने 1 अगस्त, 1978 से काम करना शुरू किया। तब से कंपनी ने मुख्यतः विकासशील देशों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए विश्वस्तरीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों को अपनाया जारी रखा है। कंपनी परिवर्तित दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश में स्वयं को स्थापित कर रही है तथा इसने सूचना और प्रौद्योगिकी तथा सिविल अवसंरचना के क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है।

परिकल्पना

"प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर अवसरों के माध्यम से विश्वभर में आईसीटी, विद्युत और अवसंरचना के क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करना।"

लक्ष्य

"विश्व भर में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा सेक्टर में टर्नकी आधार पर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए अग्रणी बने रहना और उत्कृष्ट अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने का उच्च तकनीकी क्षेत्र बनाकर इसमें विविधता लाना।"

उद्देश्य

- दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में दुनिया भर में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी और भारतीय विशेषज्ञता प्रदान करना।
- उपयुक्त बाजार कार्यनीतियां विकसित करके विदेशी/भारतीय बाजारों में अपने क्रियाकलापों को बनाए रखना, उनमें विस्तार करना और उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- निरंतर आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अर्जित करते रहना और नेतृत्व बनाए रखना।
- साइबर पार्क, साइबर शहरों, इंटेलिजेंट भवनों, राजमार्गों एवं सड़कों तथा अन्य सिविल कार्यों में कार्यकलापों का विस्तार करना।
- भारत में और विदेश में टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसिन के क्षेत्रों में कारोबार के अवसरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना और उनको संघटित करना।
- नए दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्कों के निर्माण और पुराने नेटवर्कों के उन्नयन के लिए किफायती नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रवेश करना।
- ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया कन्वर्जेंट सेवा नेटवर्क पर गतिविधियां केंद्रित करना।



- दूरसंचार बिलिंग, ग्राहक सेवा, मूल्यवर्धित सेवाएं, ई-गवर्नेंस नेटवर्क और अन्य ऐसी सेवाओं में प्रणाली संयोजक के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश करना।
- टीसीआईएल के तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशों में ओ एंड एम (संगठन और पद्धति) संबंधी टेकों में अधिकाधिक संवर्द्धन करना।
- विदेशों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण अवसरचना का विकास करना।
- विभिन्न राज्यों में एसडब्ल्यूएन परियोजनाओं में बढ़-चढ़ कर भागीदारी करना।

विशिष्ट क्षमता

कंपनी, भारत और विदेशों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में परियोजनाएं चला रही है। कंपनी की विशिष्ट क्षमताएं नेटवर्क परियोजनाओं, सॉफ्टवेयर सहायता, स्विचन और पारेषण प्रणालियों, सेल्युलर सेवाओं, ग्रामीण दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर आधारित बैकबोन नेटवर्क, सीडीएमए आधारित बुनियादी सेवाएं नेटवर्क, विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए बिलिंग, मिडिएशन एवं उपभोक्ता सेवा तंत्र के क्षेत्र में हैं। कंपनी अपने क्रियाकलापों का अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी प्रसार कर रही है जैसे कि बिजली संबंधी उपयोगिताओं के लिए ग्राउंड वायर, ऑप्टिकल फाइबर भारत में राज्य सरकारों के लिए ई-गवर्नेंस, हवाई अड्डा टर्मिनलों और लाइट हाउसों के लिए संचार व्यवस्था, इंटेलेजेंट भवन, साइबर पार्को, सड़कों, इत्यादि का निर्माण।

कंपनी ने भारत और विदेशों में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से बुनियादी और अन्य लाइसेंसित सेवाओं के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। टीसीआईएल की राजस्थान में संयुक्त उद्यम के माध्यम से जीएसएम सेल्युलर मोबाइल सेवा तथा एमटीएनएल, वीएसएनएल तथा एक नेपाली साझेदार के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से नेपाल में सीडीएमए प्रणाली आधारित बुनियादी सेवाएं प्रचालन में हैं।

कंपनी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों में भाग लेकर कारोबार प्राप्त कर रही है। कंपनी पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार आदि में सामरिक संचार लिंक उपलब्ध कराने में भी सहायता प्रदान कर रही है।

टीसीआईएल में सरकारी निवेश

कंपनी 10 लाख ₹ की प्रदत्त पूंजी के साथ 1978 में निगमित की गई थी। वर्ष 1982-83 में कंपनी की प्रदत्त पूंजी बढ़ाकर 30 लाख ₹ कर दी गई थी। 1987-88, 1992-93, 1994-95, 1996-97, 2001-02, 2002-03 और 2008-09 में सात बोनस इश्यू जारी किए जाने के बाद कंपनी की प्रदत्त पूंजी 43.20 करोड़ ₹ हो गई है। कंपनी ने 30 लाख ₹ के प्रत्यक्ष सरकारी निवेश पर अब तक भारत सरकार को लाभांश के रूप में कुल 167 करोड़ ₹ से अधिक राशि प्रदान की है।

31.3.2010 को कंपनी का निवल मूल्य 411.86 करोड़ ₹ था।

विदेशी कार्यकलाप

कंपनी ने अब तक 60 देशों में काम किया है। मौजूदा चालू कार्यकलाप किंगडम ऑफ सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, अल्जीरिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इथोपिया, सूडान, मॉरीशस, तथा सेशेल्स में हैं। कंपनी अफ्रीकी संघ (एयू) के सभी 53 सदस्य देशों को शामिल करते हुए अखिल अफ्रीका, ई-नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है।



2010-11 की मुख्य-मुख्य बातें

परियोजना निर्यात

वर्ष 2010-11 के दौरान परियोजना निर्यात 257.00 करोड़ ₹ होने की आशा है।

कारोबार एवं लाभ

वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष के 732.77 करोड़ ₹ के कारोबार की तुलना में 800.00 करोड़ ₹ का कारोबार होने की आशा है।

हार्डटेक परियोजनाओं पर विशेष बल

कंपनी ने ओपीजीडब्ल्यू आधारित ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जीएसएम/सीडीएमए परियोजनाओं, एफटीटीएच, तट से जहाजों की निगरानी की संचार प्रणाली, उपग्रह नेटवर्क, ई-चिकित्सा, ई-शिक्षा, ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की नई प्रौद्योगिकियों और साइबर शहरों के निर्माण में परामर्श का कार्य तथा विधिसम्मत अंतरावरोधन अनुश्रवण प्रणाली (एलआईएम) संस्थापित करने संबंधी हार्डटेक परियोजनाओं पर विशेष बल दिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

दूरसंचार परिदृश्य में परिवर्तन होने पर, कंपनी ने साहसपूर्ण कदम उठाते हुए नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रयास किए तथा संबद्ध क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों के विस्तार का समावेश किया। कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी और नेटवर्किंग परियोजनाओं में भाग लेने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग को सॉफ्टवेयर विकास से सुदृढ़ और पुनर्गठित भी किया है तथा इसे विकास का प्रमुख क्षेत्र बनाया है। इन पहलों से बहुत लाभ पहुंचा है और इसे एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से युक्त उच्च प्रौद्योगिकी कंपनी में तब्दील कर दिया है जो फाइबर टु द होम (एफटीटीएच), विधिसम्मत अंतरावरोधन, नई पीढ़ी का नेटवर्क (एनजीएन), आईटी कन्सलटेंसी, ई-गवर्नेंस आदि जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रचालन में सक्षम है।

प्राप्त हुए आदेश

वर्ष 2010-11 के दौरान, दिसंबर, 2010 तक, कंपनी को 1072 करोड़ ₹ के आदेश प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान प्राप्त प्रमुख आदेश निम्नानुसार हैं :

- 136.00 करोड़ ₹ मूल्य का नेटवर्क का आधुनिकीकरण और विस्तार तथा सिएरालियोन में सिएराटेल की अवसंरचना।
- कुवैत में 51.94 करोड़ ₹ मूल्य की सामग्री की आपूर्ति हेतु एमओसी पीटीटी 908 ।
- ओमान में 5.81 करोड़ ₹ मूल्य का बाह्य संयंत्र कार्य।
- भूटान में भूटान टेलीकॉम के लिए 0.70 करोड़ ₹ के ग्रामीण जीएसएम सेल्युलर नेटवर्क के विस्तार का कार्य।
- किंगडम ऑफ सऊदी अरब में 9.94 करोड़ ₹ के मूल्य का सिविल टावर कार्य/एसटीसी।
- किंगडम ऑफ सऊदी अरब में 18.63 करोड़ ₹ मूल्य का ओएसपी कार्य।
- 24.22 करोड़ ₹ मूल्य का एसटीसी की जीएसएम/सेटेलाइट ओ एंड एम परियोजना।
- इथोपिया में 4.93 करोड़ ₹ मूल्य के 16-सीएच यूएचएफ माड्यूलैटर कम्बाइनर एवं एल-बैंड स्प्लिटर्स की आपूर्ति।



- पारादीप, उड़ीसा में आईओसीएल के लिए 2.74 करोड़ ₹ मूल्य की टाउनशिप का निर्माण, पर्यवेक्षण और उसे चालू करना।
- आरयूआईएफडीसीओ राजस्थान के लिए जेएनएनयूआरएम उदयपुर की 24.55 करोड़ ₹ की टर्नकी परियोजना।
- ममित (मिजोरम) में 15.73 करोड़ ₹ मूल्य का जवाहर नवोदय विद्यालय का चरण ए का निर्माण कार्य।
- राजस्थान के पांच नगरों में 105.00 करोड़ ₹ मूल्य के डीपीआर तैयार करना और अनुमोदित करना तथा निष्पादन करना।
- राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, बिहार के लिए नवजात शिशु की विशेष देखभाल इकाई के 11.21 करोड़ ₹ मूल्य के भवन का निर्माण।
- नवोदय विद्यालय राजस्थान के लिए बांसवाड़ा-II में 17.00 करोड़ ₹ मूल्य का जवाहर नवोदय विद्यालय का चरण ए का निर्माण कार्य।
- 91.27 करोड़ ₹ मूल्य की बीना-करवई-सिरोंज पर बीओटी परियोजना।
- कटनी-पावल-अनंगगंज में नियमित ठेके के तहत 25.69 करोड़ ₹ मूल्य का पैकेज-1 का विस्तार एवं पुनर्निर्माण कार्य।
- 6.32 लाख ₹ के ओएसपी कार्यों और कार्मिकों की आपूर्ति तथा 6.05 करोड़ ₹ मूल्य के ओएसपी कार्यों के लिए मोबाइली, एनएसएन और इरिक्सन।
- उत्तर प्रदेश सरकार से 1500 विद्यालयों में बीओटी आधार पर 2.91 करोड़ ₹ मूल्य की कंप्यूटर लैबों की स्थापना करने सहित कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने हेतु ठेका।
- डीईडीटीएसएडी, किंगडम ऑफ सऊदी अरब को 10.5 करोड़ ₹ मूल्य की तकनीकी जानशक्ति प्रदान करने का ठेका।
- उत्तर प्रदेश राज्य में यूपीडीएससीओ के लिए बीओओटी आधार पर 1500 विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने हेतु 291 करोड़ ₹ के उपकरणों की आपूर्ति, संस्थापना का कार्य।
- बीएसएनएल के लिए 128.88 करोड़ ₹ मूल्य की एनआईबी-II परियोजना-3 के लिए 5 से 10 मिलियन की क्षमता की आपूर्ति, संस्थापना और चालू करने का विस्तार कार्य का आदेश।
- 10.31 करोड़ ₹ मूल्य के 24एफ एडीएसएस किस्म के ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ-साथ संबद्ध सहायक उपकरणों और ओल्टे एवं मक्स उपस्कर की आपूर्ति, संस्थापना करना और उनको चालू करना।

टीसीआईएल के संयुक्त उद्यम

भारती हेक्साकॉम लिमिटेड

टीसीआईएल राजस्थान सर्किल में सेल्युलर टेलीफोन सेवाएं टीसीआईएल द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उद्यम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के माध्यम से प्रचालित कर रही है तथा इस समय नई दिल्ली स्थित भारती टेलीवेंचर्स लिमिटेड के साथ साझेदारी करके सेवाओं का प्रचालन कर रही है। इस समय कंपनी के उपभोक्ताओं की संख्या 9.8 मिलियन से अधिक है तथा बाजार में इसका शेयर 30% से अधिक है। इस कंपनी में 106.20 करोड़ ₹ के निवेश के साथ टीसीआईएल की शेयरधारिता 30% है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी ने दिसंबर, 2010 तक 1782.50 करोड़ ₹ का टर्नओवर और 407.01 करोड़ ₹ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। सरकार ने संयुक्त उद्यम कंपनी में टीसीआईएल की हिस्सेदारी के विनिवेश को अनुमोदित कर दिया है तथा यह प्रक्रियाधीन है।

इंटेलिजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल)

इस कंपनी में 36 लाख ₹ के निवेश के साथ टीसीआईएल की शेयरधारिता 36% है। इस कंपनी ने दिसंबर, 2010 तक 26.15 करोड़ ₹ का कारोबार किया और 0.59 करोड़ ₹ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया।



तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (टीटीएल)

तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (टीटीएल) को 1988 में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) के साथ ही शुरू किया गया। कंपनी ने ऑप्टिक फाइबर केबल का विनिर्माण करके अपने प्रचालन कार्यों में विस्तार किया है। टीसीआईएल ने टीटीएल में 6.95 करोड़ ₹ का निवेश किया है। सरकार ने टीटीएल के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसमें टीसीआईएल के ऋण तथा 15.43 करोड़ ₹ की अन्य देयताओं को इक्विटी में परिवर्तित करने से टीसीआईएल का शेयर बढ़कर 49% तक अर्थात् 22.38 करोड़ ₹ हो जाएगा। कंपनी ने दिसंबर, 2010 तक 12.22 करोड़ ₹ का कारोबार किया है।

टीसीआईएल बेलसाउथ लिमिटेड

टीसीआईएल ने अमेरिका की बेलसाउथ कंपनी के साथ मिलकर टीसीआईएल बेलसाउथ लिमिटेड (टीबीएल) को संस्थापित किया है। इस कंपनी की इक्विटी में टीसीआईएल का शेयर 84 लाख ₹ है। टीबीएल ने यूक्रेन, मलेशिया, जिम्बाब्वे और बोलिविया समेत अनेक देशों में दूरसंचार बिलिंग और प्रशासन परियोजनाओं का निष्पादन किया है। टीबीएल ने मलावी, स्वाजीलैंड और नेपाल में बिलिंग प्रणाली और ग्राहक सेवा पैकेज का क्रियान्वयन किया है। कंपनी इस समय अफ्रीका के अनेक देशों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपस्कर की संस्थापना का कार्य कर रही है। कंपनी ने दिसंबर, 2010 तक 0.47 करोड़ ₹ का कारोबार किया है।

टीसीआईएल सऊदी कंपनी लिमिटेड

टीसीआईएल ने सऊदी अरब में "टीसीआईएल सऊदी कं0लि0 (टीएससीएल)" के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है जिसमें 67 लाख ₹ के निवेश के साथ टीसीआईएल की इक्विटी 40% है। अन्य हिस्सेदार नाटेल की इक्विटी 60% है। नाटेल ने संयुक्त उद्यम कंपनी की हिस्सेदारी छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। किसी अन्य उपयुक्त हिस्सेदार द्वारा उनका स्थान लिए जाने तक संयुक्त उद्यम कंपनी ने नाटेल के साथ यह व्यवस्था की है कि टीसीआईएल टीएससीएल के नाम पर परियोजनाएं चलाएगी और लाभ तथा हानि के लिए जिम्मेदार होगी जबकि नाटेल की प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं होगी तथा नाटेल को ऐसे ठेकों के मूल्य का 3% से 5% प्रायोजन शुल्क के रूप में दिया जाएगा। इस प्रकार, टीएससीएल के माध्यम से किया गया कारोबार टीसीआईएल प्रचालनों के साथ विलयित कर दिया गया है। टीएससीएल प्रचालनों के अतिरिक्त, टीसीआईएल अपने नाम से भी परियोजनाएं चला रही है।

यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड

टीसीआईएल ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टाटा कम्यूनिकेशन्स लि0 (पूर्ववर्ती वीएसएनएल) और नेपाल वेन्चर्स प्रा0 लि0 (एनवीपीएल) के साथ मिल कर संयुक्त उद्यम कंपनी यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड का गठन किया है। कंपनी को नेपाल में वायरलेस-इन-लोकल लूप प्रदान करने के लिए सीडीएमए प्रौद्योगिकी आधारित बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस दिया गया है। यूटीएल ने सितंबर, 2003 में अपनी सेवाएं शुरू की हैं। इस समय कंपनी का उपभोक्ता आधार 3.4 लाख से अधिक है। कंपनी ने दिसंबर, 2010 तक 64.63 करोड़ ₹ का कारोबार किया है।

टीसीआईएल ओमान एलएलसी

वर्ष 2008-09 के दौरान इस कंपनी ने ओमान की एमएसई के साथ मिलकर एक अन्य संयुक्त उद्यम की स्थापना की। इस कंपनी में टीसीआईएल की शेयरधारिता 70% अर्थात् 1,05,000/- ₹ है। यह संयुक्त उद्यम कंपनी ओमान में संविदाएं (ठेका) प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं को विभिन्न विभागों के साथ पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में है। मैसर्स एमएसई ने टीसीआईएल को एमएसई के शेयरों को मैसर्स अल अज़ैबा एंड कंपनी लिमिटेड को अंतरित करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में भारतीय दूतावास ने भी मैसर्स अल अज़ैबा कंपनी के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है। टीसीआईएल प्रथम अस्वीकृति के अधिकार का उपयोग नहीं करेगा और आशा कि 30% स्टैक शीघ्र ही मैसर्स एमएसई कंपनी से मैसर्स अल अज़ैबा कंपनी लिमिटेड को अंतरित हो जाएगा।





IX. सांख्यिकी परिशिष्ट

	पृष्ठ
सारणी 1 सापेक्ष निष्पादन	131
सारणी 2 प्रति सौ व्यक्ति टेलीफोन-शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व)	132
सारणी 3 टेलीफोनों की संख्या (वायर लाइन और वायर लेस)	133
सारणी 4 उन गांवों की संख्या जिनमें दूरसंचार सेवाओं की सीधी सुविधा उपलब्ध है	134
सारणी 5 कर्मचारियों की संख्या - अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक (शारीरिक दृष्टि से शक्त और अशक्त) और महिलाएं	135
सारणी 6 विकलांग कर्मचारियों की संख्या	135

मार्च'09 - दिसम्बर'10 के दौरान सापेक्ष निष्पादन

क्र.सं.	विवरण	अंत में स्थिति		संपूर्ण निष्पादन(4-3)	अंत में स्थिति		संपूर्ण निष्पादन(7-6)	
		मार्च'09	मार्च'10		मार्च'10	दिसम्बर'10		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	फोन (लाख में)	कुल	4297.25	6212.80	1915.55	6212.80	7872.90	1660.10
		वॉयर लाईन	379.65	369.57	-10.08	369.57	350.90	-18.67
		वॉयरलेस	3917.60	5843.23	1925.63	5843.23	7522.00	1678.77
		सार्वजनिक	895.46	1058.71	163.25	1058.71	1212.29	153.58
		निजी	3401.79	5154.09	1752.30	5154.09	6660.61	1506.52
		ग्रामीण	1235.13	2007.73	772.60	2007.73	2598.30	590.57
		शहरी	3062.12	4205.07	1142.95	4205.07	5274.60	1069.53
		कुल	36.98%	52.74%	-	53.46%	66.17%	-
		सार्वजनिक	7.71%	8.99%	-	9.11%	10.19%	-
		निजी	29.27%	43.75%	-	44.35%	55.98%	-
2	टेलीघनत्व	ग्रामीण	15.11%	24.31%	-	24.56%	31.22%	-
		शहरी	88.84%	119.45%	-	122.00%	147.52%	-
		सार्वजनिक	20.84%	17.04%	-	17.04%	15.40%	-
		निजी	79.16%	82.96%	-	82.96%	84.60%	-
		ग्रामीण	28.74%	32.32%	-	32.32%	33.00%	-
3	अंशो का प्रतिशत	शहरी	71.26%	67.68%	-	67.68%	67.00%	-
		कुल	1103.68	1242.49	138.81	1242.49	1351.59	109.10
		सार्वजनिक	549294	565960	16666	565960	570127	4167
		निजी	20.89	18.58	-2.31	18.58	16.50	-2.08
		ग्रामीण	609223	658548	49325	658548	677216	18668
		शहरी	88.33	99.32	10.99	99.32	99.32	0.00
		सार्वजनिक						
		निजी						
4	स्विचन क्षमता (लाख में)							
5	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (बीपीटी)							
6	पीसीओ (लाख में)							
7	ओएफसी रुट कि.मी							
8	टेक्स लाइन (लाख में)							



प्रति 100 व्यक्ति टेलीफोन-शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व) 31 मार्च'10 - दिसम्बर'10 की स्थितिनुसार

क्र.सं.	सर्किल/राज्य	टेली घनत्व						टेलीफोन						समग्र टेलीफोनों में ग्रामीण टेलीफोनों का प्रतिशत	
		समग्र		शहरी		ग्रामीण		समग्र		शहरी		ग्रामीण		मार्च'10	दिसम्बर'10
		मार्च'10	दिसम्बर'10	मार्च'10	दिसम्बर'10	मार्च'10	दिसम्बर'10	मार्च'10	दिसम्बर'10	मार्च'10	दिसम्बर'10	मार्च'10	दिसम्बर'10		
1	अंडमान और निकोबार	29.96%	41.38%	41.84%	58.20%	22.50%	30.64%	144162	203459	77683	111546	66479	91913	46.11%	45.18%
2	आंध्र प्रदेश	57.23%	70.27%	143.18%	171.99%	24.33%	31.28%	48086548	59455585	33302739	40323744	14783809	19131841	30.74%	32.18%
3	असम	29.99%	35.88%	96.54%	114.11%	18.47%	22.16%	9064392	10944175	4305054	5192821	4759338	5751354	52.51%	52.55%
4	बिहार	37.96%	50.07%	206.93%	256.45%	18.11%	25.81%	36635088	48820668	20995237	26300212	15639851	22520456	42.69%	46.13%
5	छत्तीसगढ़	5.74%	5.94%	17.31%	16.83%	2.32%	2.69%	1375313	1438845	945452	938461	429861	500384	31.26%	34.78%
6	गुजरात	58.46%	76.12%	95.82%	124.23%	33.52%	43.69%	34430942	45297535	22592478	29766380	11838464	15531155	34.38%	34.29%
7	हरियाणा	59.70%	77.49%	100.63%	136.77%	39.37%	47.55%	14957215	19657493	8367041	11642147	6590174	8015346	44.06%	40.78%
8	हिमाचल प्रदेश	79.35%	104.86%	298.15%	388.78%	52.53%	69.70%	5343219	7111692	2192382	2905462	3150837	4206230	58.97%	59.15%
9	जम्मू और कश्मीर	49.91%	46.62%	113.19%	97.46%	26.93%	28.02%	5779357	5451837	3491293	3052921	2288064	2398916	39.59%	44.00%
10	झारखण्ड	5.54%	6.00%	16.79%	18.12%	2.14%	2.32%	1721506	1883297	1210434	1323849	511072	559448	29.69%	29.71%
11	कर्नाटक	67.81%	82.25%	142.62%	166.84%	24.08%	32.28%	39908353	48789223	30965624	36750816	8942729	12038407	22.41%	24.67%
12	केरल	80.36%	96.67%	184.18%	228.94%	44.65%	51.26%	27654979	33447092	16222816	20245154	11432163	13201938	41.34%	39.47%
13	मध्य प्रदेश	45.23%	57.67%	111.21%	138.92%	20.11%	26.61%	32175715	41530241	21811824	27670320	10363891	13859921	32.21%	33.37%
14	महाराष्ट्र	50.30%	63.88%	85.10%	105.78%	32.27%	41.90%	46525690	59617439	26867954	33964120	19657736	25653319	42.25%	43.03%
15	पूर्वोत्तर-I	68.90%	80.58%	154.96%	184.74%	41.51%	47.16%	4936458	5823395	2680531	3242719	2255927	2580676	45.70%	44.32%
16	पूर्वोत्तर-II	11.91%	14.69%	31.63%	38.33%	5.82%	7.34%	699764	871033	48171	539304	261593	331729	37.38%	38.08%
17	उड़ीसा	39.30%	52.31%	133.25%	179.24%	20.61%	26.80%	15885139	21285790	8937321	12202555	6947818	9080535	43.74%	42.66%
18	पंजाब	75.44%	97.97%	123.57%	162.14%	42.51%	53.32%	21700899	28462551	14438956	19327658	7261943	9134893	33.46%	32.09%
19	राजस्थान	52.76%	62.37%	120.89%	144.01%	31.42%	36.73%	35266093	42191327	19277720	23280499	15988373	18910828	45.34%	44.82%
20	तमिलनाडु	74.31%	93.89%	114.94%	145.90%	38.05%	46.02%	44441959	56342427	32413819	41960925	12028140	14381502	27.06%	25.53%
21	उत्तरांचल	13.90%	15.54%	29.37%	31.15%	7.85%	9.37%	1363623	1541215	809873	874897	553750	666318	40.61%	43.23%
22	उत्तर प्रदेश-(पूर्व)	38.54%	49.90%	109.49%	139.28%	18.72%	24.80%	45530401	59471525	26405510	33908257	19124891	25563268	42.00%	42.98%
23	उत्तर प्रदेश-(पश्चिम)	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	30609309	40422273	20833270	27224320	9776039	13197953	31.94%	32.65%
24	पश्चिम बंगाल	34.81%	47.84%	105.23%	141.12%	23.32%	32.60%	25927043	35873688	10993810	14867116	14933233	21006572	57.60%	58.56%
25	कोलकाता	120.19%	150.74%	0.00%	0.00%	*	0.00%	17865316	22595694	17143644	21760297	721672	835397	4.04%	3.70%
26	चेन्नई	149.42%	159.80%	0.00%	0.00%	*	0.00%	12813769	13975879	12692817	13856910	120952	118969	0.94%	0.85%
27	दिल्ली	172.49%	208.94%	0.00%	0.00%	*	0.00%	31010425	38371895	30666149	37811416	344276	560479	1.11%	1.46%
28	मुम्बई	143.71%	174.84%	0.00%	0.00%	*	0.00%	29427409	36412822	29427409	36412822	0	0	0.00%	0.00%
	अखिल भारत	52.74%	66.17%	119.45%	147.52%	24.31%	31.22%	621280086	787290095	420507011	527460348	200773075	259829747	32.32%	33.00%

नोट: उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवम् (पश्चिम) की जनसंख्या के अलग आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, इनकी टेलीघनत्व संयुक्त रूप परिकल्पित की गई है।

टेलीफोनों की संख्या 31 मार्च'10 - दिसम्बर'10 की स्थितिनुसार

क्र.सं.	सर्किल / राज्य	वॉयर लाईन (फिक्सड) फोन						वॉयरलेस (जीएसएम+सीडीएमए) फोन						कुल टेलीफोन	
		कुल		सार्वजनिक प्रचालक		निजी प्रचालक		कुल		सार्वजनिक प्रचालक		निजी प्रचालक		मार्च'10	दिसम्बर'10
		मार्च'10	दिसम्बर'10	मार्च'10	दिसम्बर'10	मार्च'10	दिसम्बर'10	मार्च'10	दिसम्बर'10	मार्च'10	दिसम्बर'10	मार्च'10	दिसम्बर'10	मार्च'10	दिसम्बर'10
1	अंडमान और निकोबार	17989	16744	17989	16744	0	0	126173	186715	126173	186715	0	0	144162	203459
2	आंध्र प्रदेश	2461784	2382272	2107406	2016068	354378	366204	4562764	57073313	4516139	6312178	41108625	50761135	48086548	59455585
3	असम	308339	257002	307725	255182	614	1820	8756053	10687173	1141922	1368553	7614131	9318620	9064392	10944175
4	बिहार	970882	974258	961117	961629	9765	12629	35664206	47846410	3432243	4097671	32231963	43748739	36635088	48820668
5	छत्तीसगढ़	266627	152100	204228	152100	62399	0	1108686	1286745	1108686	1286745	0	0	1375313	1438845
6	गुजरात	2081793	1971551	1865968	1740637	215825	230914	32349149	43325984	3262424	3803001	29086725	39522983	34430942	45297535
7	हरियाणा	822416	671414	786644	631370	35772	40044	14134799	18986079	2573964	3013648	11560835	15972431	14957215	19657493
8	हिमाचल प्रदेश	357846	341968	352328	336455	4618	5513	4985373	6769724	1276095	1620362	3709278	5149362	5343219	7111692
9	जम्मू और कश्मीर	232080	214983	232013	214836	67	147	5547277	5236854	974487	768098	4572790	4468756	5779357	5451837
10	झारखण्ड	412461	287872	412461	287872	0	0	1309045	1595425	1309045	1595425	0	0	1721506	1882297
11	कर्नाटक	2775622	2744898	2101485	2042895	674137	702003	37132731	46044325	3941833	5074694	33190898	40969631	39908353	48789223
12	केरल	3460358	3314886	3345461	3197039	114897	117847	24194621	30132206	4162177	5793096	20032444	24339110	27654979	33447092
13	मध्य प्रदेश	1304636	1267875	1025184	925362	279452	342513	30871079	40262366	3081547	3604283	27789532	36658083	32175715	41530241
14	महाराष्ट्र	3009709	2881166	2696924	2521309	312785	359857	43515981	56736273	4994064	6058208	38521917	50678065	46525690	59617439
15	पूर्वोत्तर- I	199525	153154	199442	152999	83	155	4736933	5670241	499657	584347	4237276	5085894	4936458	5823395
16	पूर्वोत्तर- II	126847	124386	126847	124386	0	0	572917	746647	572917	746647	0	0	699764	871033
17	उड़ीसा	613412	568714	604844	558625	8568	10089	15271727	20717076	2506921	3582219	12764806	17134857	15885139	21285790
18	पंजाब	1604009	1571980	1281984	129874	322025	342106	20096890	26890571	3664242	4336668	16432648	22553903	21700899	28462551
19	राजस्थान	1525214	1346731	1414030	1242162	111184	104569	33740879	40844596	4495427	5515741	29245452	35328855	35266093	42191327
20	तमिलनाडु	2106642	2033394	1923014	1846804	183628	186590	42335317	54309033	4719865	6631977	37615452	47677056	44441959	56342427
21	उत्तरांचल	284746	244622	284746	244622	0	0	1078877	1296593	1078877	1296593	0	0	1363623	1541215
22	उत्तर प्रदेश-(पूर्व)	1498413	1476491	1409511	1381876	89902	94615	44031988	57995034	8199211	9770248	35832777	48224786	45530401	59471525
23	उत्तर प्रदेश-(पश्चिम)	1041331	611884	1006123	576535	35208	35349	29567978	39810389	2428980	2897977	27138998	36912412	30609309	40422273
24	पश्चिम बंगाल	887827	792154	883961	786470	3866	5684	5039216	35081534	2253518	2853925	22785698	32227609	25927043	35873688
25	कोलकाता	1463442	1415272	1270929	1214072	192513	201200	16401874	21180422	1838313	2430223	14563561	18750199	17865316	22595694
26	चेन्नई	1466374	1478203	1007296	991070	459078	487133	11347395	12497676	1291285	1480295	10056110	11017381	12813769	13975879
27	दिल्ली	2710835	2811631	1537460	1546758	1173375	1264873	28299590	35560264	2404388	2593999	25895202	32966265	31010425	38371895
28	मुंबई	2945525	2982455	195294	1920303	986231	1062152	26481884	33430367	2689628	2809755	23792256	30620612	29427409	36412822
	अखिल भारत	36956684	35090060	31327314	29116054	5629370	5974006	584323402	752200035	74544028	92113291	509779374	660086744	621280086	787290095



दूरसंचार सुविधाओं की सीधी पहुँच वाले गांवों की संख्या

क्र.सं.	सरकिल / राज्य	गांवों की संख्या (अक्टूबर 2007 से संशोधित)	निम्न स्थितिनुसार वीपीटी युक्त गांव		निम्न स्थितिनुसार पीसीओ (स्थानीय+एसटीडी+राजमार्ग)				
			सावजनिक		कुल वीपीटी				
			31.03.2010	31.12.2010	निजी*	31.03.2010	31.12.2010	31.12.2010	
1	अंडमान और निकोबार	501	337	341	0	337	341	702	729
2	आंध्र प्रदेश	26613	23333	23692	1408	24741	25100	200291	133531
3	असम	25124	23992	24032	0	23992	24032	33862	30561
4	बिहार	39032	38891	38898	0	38891	38898	67160	64583
5	छत्तीसगढ़	19744	18101	18134	0	18101	18134	8630	5831
6	गुजरात	18159	16905	16926	4114	21019	21040	89587	61552
7	हरियाणा	6764	6683	6678	0	6683	6678	26273	16393
8	हिमाचल प्रदेश	17495	17300	17365	0	17300	17365	11416	8950
9	जम्मू और कश्मीर	6417	5994	6284	0	5994	6284	12693	10726
10	झारखण्ड	29354	27733	28759	0	27733	28759	18954	17510
11	कर्नाटक	27481	27419	27441	0	27419	27441	242020	195587
12	केरल	1372	1372	1372	0	1372	1372	123469	89584
13	मध्य प्रदेश	52117	51986	51986	611	52597	52597	56992	51249
14	महाराष्ट्र	41442	39319	39607	2643	41962	42250	262797	181878
15	पूर्वोत्तर- I	7347	4990	5262	0	4990	5262	9531	7856
16	पूर्वोत्तर- II	7456	5016	5095	0	5016	5095	8628	8658
17	उड़ीसा	47529	43222	43805	0	43222	43805	24796	17703
18	पंजाब	12301	12061	12063	879	12940	12942	23897	16895
19	राजस्थान	39753	38803	38838	3010	41813	41848	55445	42893
20	तमिलनाडु	13837	13826	13827	0	13826	13827	216555	170784
21	उत्तरांचल	15761	14814	15186	0	14814	15186	11065	9473
22	उत्तर प्रदेश-(पूर्व)	76993	74123	74121	0	74123	74121	124809	116370
23	उत्तर प्रदेश-(पश्चिम)	20949	23636	23629	0	23636	23629	44103	23940
24	पश्चिम बंगाल	37365	33882	34564	0	33882	34564	60181	51441
25	कोलकाता	1040	567	567	0	567	567	64083	55679
26	चेन्नई	1655	1655	1655	0	1655	1655	79513	75714
27	दिल्ली	NA	0	0	0	0	0	73819	65975
28	मुम्बई	NA	0	0	0	0	0	137409	117781
	अखिल भारत	593601	565960	570127	12665	578625	582792	2088680	1649826

* वर्ष 2003 से यूएएसएल लागू होने कारण निजि वीपीटी स्थिर है।

सारणी-5

31 मार्च की अवस्थितिनुसार दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की संख्या -
कुल, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक (शारीरिक दृष्टि से शक्त और अशक्त)
और महिलाएँ

समूह	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (शक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (अशक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	महिला कर्मचारी	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
क	614	82	13.36%	40	6.51%	0	0.00%	0	0.00%	60	9.77%
ख	676	81	11.98%	22	3.25%	0	0.00%	0	0.00%	131	19.38%
ग	620	147	23.71%	38	6.13%	11	1.77%	0	0.00%	87	14.03%
घ	135	55	40.74%	16	11.85%	3	2.22%	0	0.00%	3	2.22%
जोड़	2045	365	17.85%	116	5.67%	14	0.68%	0	0.00%	281	13.74%

सारणी-6

31 मार्च की अवस्थितिनुसार दूरसंचार विभाग के अशक्त कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	संख्या		अंतर
	स्वीकृत का प्रतिशत	कार्यरत	
अल्प दृष्टि	4	4	0
श्रवण दोष	2	0	2
अपंग अथवा मानसिक पक्षाघात युक्त	5	4	1
जोड़	11	8	3

— ★ ★ ★ ★ ★ —







X. ग्राफ एवं चार्ट


पृष्ठ


आकृति-1	दूरसंचार नेटवर्क का विकास (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र)	139
आकृति-2	टेलीघनत्व (फोन प्रति 100 व्यक्ति)	140
आकृति-3	वायर लाइन टेलीफोन एवं वायर लेस टेलीफोन	141
आकृति-4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों में सीधी एक्सचेंज लाइनों (वायर लाइन और वायर लेस) का वितरण	142
आकृति-5	गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सुविधा	143
आकृति-6	दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की संख्या का समूह-वार वितरण	144
















परिवर्णी - शब्द

एसीसी	एकाउंट्स कूलींग कॉर्ड
एडीसी	अभिगम्य घाटा परिवर्तन (एक्सेस डेफिसिट चेंज)
एडीएसएल	विषम डिजिटल उपभोक्ता लाइन (एसिमीट्रीकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन)
एपीटी	एशिया प्रशान्त दूरसंचार (एशिया पैसिफिक टेलिकम्युनिकेशंस)
एटीएम	अतुल्यकालिक अन्तरण मोड (एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड)
बीआरबीआरएआईटीटी	भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान
सीएसीटी	दूरसंचार संघटक अनुमोदन केंद्र
सीएडी	कंप्यूटर सहायता प्राप्त (एडिड) डिजाइन
सी-डॉट	टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र
सीआईडीए	कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण
सीएलआईपी	कालर्स लाइन आइडेन्टिफिकेशन प्रोटोकॉल
सीएमपी	सेल्यूलर मोबाइल फोन्स
सीओएमएसी	केन्द्रीयकृत प्रचालन और अनुरक्षण केन्द्र
सीएसएमएस	उपभोक्त सेवा प्रबंधन प्रणाली
डीसीसी	विकास समन्वय समिति
डीसीएमई	डिजिटल सर्किट गुणन उपस्कर
डीईसीटी	डिजिटल वर्द्धित तार-रहित टेलीफोन (डिजिटल एनहान्सड कॉर्डलेस टेलीफोन)
डीआईएस	सीधी इन्टरनेट अभिगम्य प्रणाली
डीएलसी	डिजिटल लूप संवाहक (कैरियर)
डीडब्ल्यूडीएम	डेन्स वेवलैंग्थ डिविजन मैल्टिप्लेक्सिंग
ईएमटीएस	तुरंत मुद्रा अंतरण सेवा
एफएसएस	फाइबर अभिगम्य प्रणाली
एफआरएस	दोष सुधार सेवा
जीएमपीसीएस	उपग्रह द्वारा सार्वभौमिक मोबाइल निजी संचार
जीपीएसएस	गेटवे पैकेट स्विचिंग प्रणाली
जीआर	सामान्य (जिनेरिक) आवश्यकताएं
एचईसीएस	उच्च वर्द्धित क्षमता स्विच (हाई एर्लेग कैपिसिटी स्विच)
एचएसडीएल	हाई बिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
आईएफआरबी	अन्तर्राष्ट्रीय आवृत्ति विनियामक बोर्ड
आईएलडी	अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी
आईएमआरबी	भारतीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो



आईएल	इन्टेलिजेंट नेटवर्क
इनसैट	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
आईआर	अंतरापृष्ठ आवश्यकताएं (इंटरफेस रिक्वायरमेंट)
आईएसडीएन	एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क)
आईएसपी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
आईटीयू	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
आईयूसी	अंतःसंपर्क प्रयोग प्रभार (इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज)
आईवीआरएस	अंतर्क्रिया ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम)
एलएमडीएस	स्थानीय बहु-बिंदु वितरण प्रणाली
एलओआई	आशय पत्र
एमसीआईबीएस	सूक्ष्म संसाधित्र नियंत्रित इंटेलिजेंट भवन प्रणाली (माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल्ड इंटेलिजेंट बिलिडिंग सिस्टम्स)
एमसीपीसी	बहु चैनल प्रति संवाहक (मल्टि चैनल पर कैरियर)
एमएलएलएन	मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क
एमएमएस	मल्टी मीडिया मेसेजिंग सर्विस
एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एमएसएस	चल उपग्रह प्रणाली
एमटीएल	मिलेनियम टेलिकॉम लिमिटेड
एमयूएक्स	मल्टीप्लेक्सर
एनआईबी	राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन
एनएलडीएस	राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा
एनटीपी	नई दूरसंचार नीति
एनवाईएसई	न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज
ओएफसी	आप्टिकल फाइबर केबल
ओएलटीई	ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेटिंग उपस्कर
क्यूटीएस	टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता
क्यूओएस	सेवा की गुणवत्ता
पीसीबी	मुद्रित सर्किट बोर्ड
पीसीओ	सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र
पीसीएस	वैयक्तिक संचार प्रणाली
पीएमआरटीएस	सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा
पीओआई	प्वाइंट ऑफ इन्टरकनेक्शन
पीओटी	साधारण पुराना टेलीफोन
पीआरएस	प्रीमियम दर सेवा



पीएसटीएन	सार्वजनिक स्विचन दूरसंचार नेटवर्क
आरएबीएमएन	दूरस्थ क्षेत्र व्यवसाय संदेश नेटवर्क
आरएएन	रेडियो अभिगम नेटवर्क
आरटीटीसी	क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र
एसएसएस	लेखांकन पृथक्करण प्रणाली
एसबीएन	सिग्नल बेस मॉड्यूल
एसडीसीए	अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र
एसडीएच	सिन्क्रोनस डिजिटल हायरकी
एसआईएम	उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल
एसएसए	गौण स्विचन क्षेत्र
एसटीएम	सिनक्रोन्स ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल
टीसीपी	ट्रान्समिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल
टीडीएमए	टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस
टीडीएसएटी	दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण
टीआरएआई	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
टीएसपी	जनजातीय उप योजना
टीटीएल	दूरसंचार प्रशिक्षण प्रयोगशाला
टीटीओ	दूरसंचार प्रशुल्क आदेश
यूएचएफ	अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी
यूमएस	एकीकृत संदेश सेवा
यूसएफ	वैश्विक सेवा निधि
यूसओ	वैश्विक सेवा दायित्व
यूटीएल	यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड
वीसीसी	वर्चुअल कॉलिंग कार्ड
वीएमएस	वायस मेल सर्विस
वीपीएन	वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
वीपीटी	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
वीआरएलए	वेल्यू रेगुलेटेड लीड एसिड
वीएसएटी	वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल
डब्ल्यूएलएल	वायरलैस इन लोकल लूप
डब्ल्यूपीसी	बेतार आयोजना एवं समन्वय
डब्ल्यूपीएचएस	वेब पेज होस्टिंग सर्विस
डब्ल्यूएसएचएस	बेव सर्वर होस्टिंग सर्विस

— ★ ★ ★ ★ ★ —





दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली